संयुक्त प्रकाशक :

कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान

बी–190 यूनिवर्सिटी मार्ग, बापूनगर, जयपुर–4

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान

221-223 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नयी दिल्ली–1

प्रथम संस्करण

नवम्बर, 1972

मूल्य 2·00

मुद्रक :

पॉपुलर प्रिंटर्स,

जयपुर

भूमिका

भारत आज़ाद हुआ लेकिन उसके लाखों गांव आज भी बेबसी और मुफलिसी की जिन्दगी बिता रहे हैं। इन गांवों में अभी तक आज़ादी का प्रकाश नहीं पहुंचा है, बल्कि यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि आज़ादी के बाद के इन 25 वर्षों में ये पहले से भी ज्यादा परावलंबी, परमुखापेक्षी और लाचार बन गये हैं। लोगों का आत्मविश्वास, हिम्मत और अभिक्रम घटा है। गांवों में रहने वाले इस देश के करोड़ों लोगों पर क्या बीत रही है यह प्रत्यक्ष दर्शन से ही समझ में आ सकता है। वास्तव में आज के गांव केवल घरों के समूह मात्र हैं, जहां केवल लोगों के झुंड बसते हैं। अंग्रेजों के आने के पहले इस देश के गांवों में जो सामाजिकता, जो समूह-भावना, जो व्यवस्था, जो अभिक्रम और जो प्राण था वह सब भूतकाल की कहानी मात्र रह गई है।

विनोबाजी ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव, सूझबूझ और प्रतिभा से ग्रामदान की जो योजना निकाली वह वास्तव में ग्राम समाज को फिर से जाग्रत और संगठित करने की योजना है। यह गांव का दान नहीं है, जैसा बहुत से लोग समझते हैं। ग्रामदान की योजना में जो चार शर्तें हैं उनका मुख्य उद्देश्य ग्राम-समाज को संगठित करने का, उसके अभिक्रम को जाग्रत करने का और गांव अपनी व्यवस्था स्वयं कर सके यह है।

उन चार शर्तों में एक शर्त ग्राम-कोष की है। इस शर्त के अनुसार गांव का हर व्यक्ति गांव के लिए अपनी उपज या कमाई का एक हिस्सा ग्रामकोष में जमा कराता है। इस कोष का उपयोग गांव के बूढ़े, बेकार, अपाहिजों की सेवा, गांव के विकास और गांव की सामूहिक आवश्यकताओं के लिए होता है। ग्रामकोष की मुख्य बात यह है कि इसमें गांव का छोटा-बड़ा, गरीब-अमीर हर व्यक्ति अपना हिस्सा देता है, केवल धनवान या किसान ही नहीं, मजदूर भी। इसका विनियोग गांव के सब बालिगों की बनी हुई सभा सर्वसम्मति से करती है, 2-4 लोगों की कमेटी या पंचायत नहीं। समाज में आमतौर पर यह धारणा बनी हुई है कि दान बड़े लोग ही करते हैं, गरीब तो केवल लेने या पाने वाला ही है। इस बात से गरीब-अमीर दोनों का नुकसान होता है, और समाज में भेद पड़ते हैं। ग्रामकोष की कल्पना में विनोबाजी ने इस

क्रांतिकारी तत्व रखा है कि गरीब से गरीब आदमी के पास भी समाज को देने के लिए कुछ है, और उसे देना चाहिए। ग्रामकोष इस प्रकार गांवों में नये मूल्यों और नये जीवन का संचार करने की दृष्टि से एक क्रांतिकारी योजना है, केवल पुराने धर्म-गोले या 'मुठिये' की तरह दान-धर्म की नहीं।

देश के सैकड़ों गांवों में ग्रामदान की योजना के अनुसार आगे का कार्यक्रम चल पड़ा है। इन गांवों में ग्राम-सभाएं कार्यरत हैं, ग्रामकोष प्रारंभ हुआ है, सामूहिक भावना धीरे-धीरे पनप रही है और विकास के भी कई काम हुए हैं। ग्रामदान की योजना में ग्रामकोष बहुत महत्व की कड़ी है। ग्रामकोष एक नई कल्पना है। ग्रामकोष की शुरुआत और संग्रह किस प्रकार हो रहा है, उनमें क्या-क्या कठिनाइयां आ रही हैं, क्या-क्या समस्याएं खड़ी हो रही है, ग्रामकोष का विनियोग किस तरह से हो रहा है, उसमें क्या दिक्कतें आ रही है, क्या ग्रामकोष की मूल भावना के अनुसार काम आगे बढ़ रहा है। इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है ताकि प्रारंभिक अनुभवों का लाभ आगे के काम में मिल सके।

इसी उद्देश्य से बिहार के 3-4 ग्रामदानी क्षेत्रों के कुछ गांवों में चल रहे ग्रामकोष का यह अध्ययन कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान तथा गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के सम्मिलित प्रयत्न से प्रकाशित हो रहा है। देश के नवनिर्माण उसके विकास, खासकर ग्रामदान आन्दोलन की पृष्ठभूमि में यह सामाजिक अध्ययन अपना विशेष महत्व रखता है। देश में कई शोध संस्थान हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश शहरी जीवन, आधुनिक औद्योगीकरण और विकास की बड़ी-बड़ी योजनाओं से संबंधित प्रश्नों के अध्ययन तक ही सीमित रहते हैं। इस देश के लाखों गांवों के पुनर्जीवन की समस्याएं, ग्रामीण जीवन में उठने वाले प्रश्न इन सब के अध्ययन की ओर भी देश के समाज-शास्त्रियों, पढ़े लिखे लोगों, योजनाकारों आदि का ध्यान खींचने में यह छोटा-सा अध्ययन सहायक होगा, ऐसी आशा है।

सिद्धराज ढड्ढा
अध्यक्ष
कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान

जयपुर, राजस्थान
15 नवंबर 1972

आरंभिक

ग्रामदान के विचार और कार्यक्रम में ग्रामकोष का स्थान बहुत महत्व-पूर्ण है। ग्राम के सबसे निर्बल वर्ग को तुरन्त राहत पहुंचाने का वह प्रमुख आधार है। साथ ही ग्राम के आर्थिक विकास में भी ग्रामकोष मूल और सतत् प्रेरणा हो सकता है। बिहार में ग्रामदान का आन्दोलन बहुत व्यापक चला है, और अब गहराई में जा रहा है। विनोबा जी का इस प्रदेश को बहुत सान्निध्य मिला है, तथा श्री जयप्रकाशनारायण जी का भी ध्यान बिहार की तरफ स्वाभाविक रूप से ही अधिक रहा है। अतः बिहार में ग्रामकोष का कार्यक्रम किस प्रकार चला, उसके क्या अनुभव हुए, किस प्रकार से उसका उपयोग हुआ तथा उसके आगे की क्या दिशा है-यह सहज ही अध्ययन का उपयुक्त विषय हो जाता है। सर्वसेवा संघ के वर्तमान अध्यक्ष श्री सिद्धराज ढड्ढा का इस अध्ययन की ओर ध्यान गया और संस्थान को उन्होंने यह विषय हाथ में लेने के लिये कहा।

इस अध्ययन की योजना बनाई गई और इसके संबंध में गांधी शान्ति-प्रतिष्ठान दिल्ली के मंत्री श्री राधाकृष्ण जी से चर्चा हुई तथा उन्हें योजना भेज दी गई। गांधी शान्ति प्रतिष्ठान ने इस योजना को अपनी स्वीकृति दी और इसका पूरा आर्थिक भार उठाना स्वीकार किया। संस्थान के शोध अधिकारी डा० अवध प्रसाद ने इस अध्ययन में मुख्य भाग लिया है। बिहार के चार जिलों के अठारह ग्रामों को इस अध्ययन के लिये चुना गया। डा० अवधप्रसाद बिहार के उन गांवों में गये, लोगों से मिले और ग्रामकोष की सारी परिस्थितियों का अध्ययन किया। प्रसन्नता की बात है कि श्री सिद्धराज ढड्ढा ने इस पुस्तिका की भूमिका लिखना मंजूर किया। संस्थान उनका तथा गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के मंत्री श्री राधाकृष्ण का विशेष रूप से आभारी है, जिनके पूरे आर्थिक सहयोग से इसका प्रकाशन हो रहा है।

नेहरू जयंति
14 नवम्बर 72

जवाहिरलाल जैन
मंत्री–निर्देशक

विषय-सूची

प्रथम अध्याय

ग्रामकोष का वैचारिक आधार

ग्रामकोष या ग्रामनिधि की कल्पना नई नहीं है। गांव के सामूहिक कामों के लिये हर फसल पर उपज का एक अंश निकालने की परिपाटी बहुत पुरानी है। धर्मगोला, ग्राम भन्डार या मुठिया इसी प्रकार के अन्य नामों से भारत के गांवों-गांवों में अन्न-संग्रह होता रहा है। सामान्य तौर पर एक मन उपज के पीछे एक सेर या एक मुट्ठी के हिसाब से हर किसान गांव के इस कोष या भंडार में अपना हिस्सा देता था और इस प्रकार हुए संग्रह का उपयोग ग्राम समाज राहत या अन्य सामूहिक कामों के लिये करता था।

विनोबाजी ने ग्रामदान की योजना में ग्रामकोष को एक निश्चित और अनिवार्य स्थान दिया है। ग्रामदान की चार शर्तों में से एक शर्त यह है कि गांव का हर व्यक्ति ग्रामकोष में अपनी उपज या कमाई का एक हिस्सा देगा। विनोबाजी ने इसे केवल फसल पैदा करने वाले किसान तक सीमित नहीं रखा है जैसा कि पुरानी परंपरा में अक्सर होता था। जिसके खेती नहीं है, वह ग्रामवासी भी अपनी माहवारी आमदनी में से एक दिन की आमदनी, या जिसके वह भी निश्चित नहीं है वह मजदूर महीने में एक दिन की मेहनत ग्रामकोष में देता है। इस प्रकार विनोबाजी ने ग्रामकोष की इस योजना में यह क्रांतिकारी तत्व दाखिल किया है कि गरीब-अमीर हर व्यक्ति 'दाता' है, कोई भी 'दीन' नहीं' है

ग्रामदान की मुख्य बातें :—

ग्रामदान में गांव का नया जन्म होता है। नया जन्म याने पूरा ग्राम-समाज एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास प्रारम्भ करता है। ग्रामदान का निर्णय लेने के बाद आज की जाति निष्ठा, सम्प्रदाय निष्ठा के स्थान पर गांव वालों के मन में ग्रामनिष्ठा जगती है और वे संकुचित विचारों से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। आज ग्रामीण जीवन एकाकी जीवन पद्धति की ओर उन्मुख है। हर व्यक्ति एवं परिवार एक दूसरे से दूर होता जा रहा

है। पारिवारिक एवं व्यक्तिगत अलगाव की स्थिति सहज ही देखी जा सकती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि गाँव में सामूहिक जीवन का जिस प्रकार ह्रास हो रहा है उसमें गाँव घरों का समूह मात्र रह गया है। ग्रामदान इस प्रवृत्ति के स्थान पर सामूहिक जीवन पद्धति का शुभारंभ करता है। इसमें पूरा गाँव एक परिवार के रूप में रहने का संकल्प स्वेच्छा से करता है। यह संकल्प सहयोगी जीवन पद्धति की ओर एक सशक्त कदम है। इसीलिये विनोवा ने गरीव-अमीर सवको ग्रामसमाज के लिये दाता के रूप में खड़ा करके गरीव को प्रतिष्ठा और आत्म सम्मान का मौका दिया है।

गाँव में सहजीवन विकसित हो इसके लिए गाँव के लोगों में तीन गुणों का विकास जरूरी है :—

1—प्रेम की शक्ति

2—सहयोग की वृत्ति

3—सर्व के कल्याण की दृष्टि

एक व्यक्ति का 'स्व' दूसरे व्यक्ति के 'स्व' से न टकराये इसके लिए एक दूसरे में प्रेम की भावना जरूरी है। ग्रामदान की योजना में विकास की मुख्य शक्ति प्रेम है, जिससे विकास को गति मिलती है और सामूहिक शक्ति प्रगट होती है। आपसी प्रेम विकसित होने से स्वभावतः सहयोग की वृत्ति आती है। ज्यों-ज्यों सहयोग की वृत्ति का विकास होता है आर्थिक समानता की खाई पटती जाती है। आज हर स्तर पर स्वामित्व की भावना पर आधारित असमानता कायम है। ग्रामदान के वाद उत्पादन एवं उपभोग में शेयरिंग (साझेदारी) का प्रारंभ होता है। गाँव में जो भी कार्य किये जाते हैं उसमें सर्व के हित का ध्यान रखा जाता है। पूरे गाँव का एक हित होता है और ग्रामविकास की योजना पूरे गाँव द्वारा तैयार की जाती है। इस प्रकार ग्रामदान के वाद सर्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है।

ग्रामदान में गाँव के लोग निम्नलिखित निर्णय को मूर्त रूप देने का संकल्प करते हैं :—

1—गाँव के वालिगों की ग्रामसभा का गठन करना

---

* ग्रामदान की घोषणा के लिये आवश्यक है कि गांव की 75 प्रतिशत जनसंख्या एवं गांव की जोत का 51 प्रतिशत भाग ग्रामदान में शामिल हो।

2—जमीन की मालिकी ग्रामसभा को अर्पण करना
3—जमीन का बीसवां हिस्सा गांव के भूमिहीनों को देना ।
4—ग्रामकोष की स्थापना करना ।

ग्रामदान का संकल्प लेने के बाद सामाजिक परिवर्तन, ग्रामनिर्माण एवं ग्रामस्वराज्य की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है । ग्रामदानी गांव में सभी वयस्कों की ग्रामसभा बनती है । ग्रामकोष का प्रारंभ होता है, जिसमें ग्रामदान में शामिल हर व्यक्ति, चाहे वह नकद कमाई करने वाला हो, कृषक हो या मजदूर हो, अपनी आय का, उपज का या श्रमका हिस्सा देता है । जिसके पास भूमि है, वह उपज का हिस्सा नियमित रूप से देने के अलावा उस गांव में अपनी भूमि का कानूनी स्वामित्व भी ग्रामसभा को अर्पित करता है । लेकिन (दान दिये गये भूमि क्षेत्र को छोड़कर) भूमि पर कब्जा रखने और (ग्रामकोष में दिये गये उपज के भाग को छोड़कर) उपज का उपयोग करने तथा विरासत का उसका अधिकार कायम रहता है । ग्रामसभा गांव के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है । इस सभा में सभी का मत बराबर होता है । गांव की स्वायत्तता ग्रामसभा में निहित होती है । ग्रामसभा गांव के विकास, व्यवस्था एवं स्वायत्तता की आधारशिला है ।

ग्रामदान की दृष्टि में गांव की समस्या :—

ग्रामदान गांव की समस्याओं को सामाजिक-आर्थिक संबन्धों के संदर्भ में देखता है और गांव में मानवीय मूल्यों का प्रवेश कैसे हो और सामाजिक तथा आर्थिक संबन्धों में दुराव किस प्रकार कम हो, इस दृष्टि से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है । आज के गांवों की कुछ मुख्य समस्याओं को इस रूप में देख सकते हैं—

क—एक समुदाय बनने की समस्या:—आज गांव के सामने मुख्य समस्या उसे एक समुदाय के रूप में संगठित करने की है । ग्रामदान जिस नयी समाज रचना की कल्पना करता है उसमें गांव मात्र घरों के समूह के रूप में नहीं रहता बल्कि पूरा गांव एक 'ग्राम परिवार' बनने का प्रयास करता है । परिवार में आपस में और गांव स्तर पर एक परिवार का दूसरे परिवार के हितों में टकराव है । आर्थिक दृष्टि से गांव छोटे-छोटे परिवार एवं परिवार समूहों में विभक्त है । परिणामस्वरूप आर्थिक इकाई छोटी होती जा रही है । गांव में मुख्यतया दो प्रकार के सम्बन्धों में बिखराव हो रहा है । (1) परिवार

में स्वामित्व एवं स्वार्थ को लेकर विघटन, जिससे संयुक्त परिवार टूट रहा है। (2) गांव स्तर पर जाति, धर्म, राजनीति एवं आर्थिक स्वार्थ के कारण तनाव बढता है। उससे गांव अनेक गुटों में बंटता है।

ख–स्वायत्तता की समस्या—ग्रामदान गांवों को एक स्वशासित इकाई के रूप में संगठित करने की योजना है। लोग एक गांव में रहते हैं, उनकी अपनी जमीन है, परम्परा से उनके आपसी सामाजिक और आर्थिक संवन्ध हैं तो वे गांव की व्यवस्था एवं विकास में भी स्वाशासित हों। आज गांव की व्यवस्था, आर्थिक विकास एवं अन्य कार्य वाहरी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से पूरा गांव एक इकाई वने, इस दृष्टि से आर्थिक साधनों के उपयोग के लिए योजना कैसे वने ? इसी प्रकार गांव की व्यवस्था की दृष्टि से स्वायत्तता कैसे आये-यह भी एक समस्या है। ग्रामदान ग्रामसभा द्वारा स्वायत्त शासन की व्यवस्था कायम करता है।

ग–गांव की आर्थिक समस्या – जीवन को सीधे प्रभावित करता है। उद्योग, व्यापार, तकनीकी विकास, श्रमशक्ति का आधिक्य एवं रोजगार आदि सभी गांवों की सामान्य समस्या वन गयी है। पूंजी की कमी एवं श्रमशक्ति के आधिक्य ने श्रमशक्ति के उपयोग की समस्या को वढ़ाया है। सामान्य जन को तभी लाभ होगा और उसका आर्थिक विकास तभी होगा जव श्रमशक्ति का पूरा उपयोग होगा। श्रमशक्ति को काम देना आज एक प्रमुख समस्या है। ग्रामदान ग्रामीण उद्योगों की तकनीक का पूरा विकास करना चाहता है जिससे सवको काम मिले और उत्पादकता वढ़े। परन्तु यह विकास एकाकी ढंग से न हो कर पूरे गांव के हित को ध्यान में रख कर किया जाय।

ग्रामदान गांव की आर्थिक समस्या को समग्र दृष्टि से देखता है। इसकी मान्यता है कि व्यक्तिगत आर्थिक समस्यायें तभी सुलझ सकती हैं जवकि इसे ग्राम स्तर पर सुलझाया जाय। इसके लिए सम्पूर्ण आर्थिक पद्धति में, सोचने के ढंग में परिवर्तन करना होगा। मात्र आर्थिक सहायता या सेवा के नाम पर वाहर से पूंजी प्राप्त कर विनियोग करने से आर्थिक समस्यायें नहीं सुलझेंगी। आर्थिक समस्याओं की गहराई में जाकर देखें तो ये समस्यायें इस प्रकार की हैं–

१. आर्थिक सम्वन्धों में परिवर्तन की समस्या—मनुष्य का भूमि से सम्वन्ध, व्यापार एवं वाजार व्यवस्था से सम्वन्ध, मालिक, मजदूर और महाजन का आपसी सम्वन्ध। इनके सम्वन्धों में परिवर्तन की आवश्यकता है।

२. भूमि व्यवस्था की समस्या—ग्रामदान भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व के प्रश्न का ग्रामस्वामित्व के रूप में हल प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर ग्रामस्वामित्व की भावना स्वामित्वगत संकीर्णता को कम करती है।

३. गांव को एक सूत्र में बांधने के लिए ग्राम नियोजन की समस्या—अब तक ग्राम स्तर पर नियोजन का प्रयास नहीं किया गया है। ग्रामदान ग्राम नियोजन को मूर्तरूप देकर आर्थिक समृद्धि का प्रयास प्रारम्भ करता है।

४. उद्योग, व्यापार को किस रूप में विकसित किया जाय—यह प्रश्न भी गांव के सामने है।

ग्रामदान गांव की समस्याओं को गांव में, गांव के लोगों द्वारा ढूंढने का प्रयास करता है। ग्रामदान के बाद पूरे गांव के हित के लिए आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन की शुरुआत होती है। आपसी हितों का टकराव क्रमशः कम हो और सब सबके लिए सोचें और उसी के अनुसार कार्य करें इसका प्रयास पूरा गांव मिलकर करता है।

ग्रामकोष

उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस आवश्यक साधन माने गये हैं। इनके अभाव में उत्पादन संभव नहीं है, इन पांच साधनों में जितना अधिक समन्वय एवं कुशलता रहेगी उत्पादन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। गांव का त्वरित आर्थिक विकास हो इसके लिए कुशल श्रम शक्ति, पूंजी, संगठन एवं साहस की आवश्यकता है। गांव में भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस की कमी न होते हुए भी आर्थिक विकास नहीं संभव हो पा रहा है। अन्य कारणों के अतिरिक्त इसका एक मुख्य कारण यह है कि उत्पादन के इन साधनों में समन्वय नहीं है। सभी साधन स्वामित्व एवं स्वार्थ के दायरे में सिमटे हुए हैं। गांव के लोग यह समझ नहीं रहे हैं कि उनका हित किस में है। ग्रामदान ग्रामहित की दृष्टि में ग्राम स्तर पर इनका समन्वय स्थापित करता है। जब तक सभी साधनों का ग्रामहित की दृष्टि से समन्वित उपयोग नहीं होगा तब तक ग्राम विकास को गति मिलना संभव नहीं है। फिर गांव की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है जिससे केवल व्यक्तिगत स्तर पर उत्पादन बढ़ाया जा सके। गांव में आर्थिक साधनों की मात्रा सीमित है। उसे असंतुलित इस अर्थ में कह सकते हैं कि पूंजी, तकनीकी ज्ञान, कुशल श्रम, भूमि आदि

की मात्रा असंतुलित है। श्रम शक्ति का आधिक्य और पूंजी की कमी है। फिर भारतीय समाज व्यवस्था का जो स्वरूप रहा है उसमें एकाकी तौर पर आर्थिक विकास अनुकूल नहीं है। प्रारम्भ से ही गांव एक इकाई के रूप में संगठित रहा है। हर दृष्टि से ग्राम समूह का खास महत्व रहा है। इस महत्व को स्वीकार करने पर यह आवश्यक हो जाता है कि उत्पादन के साधनों का ग्राम-स्तर पर संयोजन किया जाय।

यह सामान्य धारणा है कि आर्थिक विकास के लिए पूंजी की जितनी आवश्यकता होती है वह गांव में प्राप्य नहीं है। गांव की आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है कि उनके लिए जिंदा रहना भी कठिन हो रहा है। गांव की पूंजीगत स्थिति पर विचार करने पर यह कहा जाता है कि गांव के लोग स्वयं की पूंजी से आधुनिक आर्थिक विकास करने में सक्षम नहीं हैं। जहां भर पेट भोजन नहीं मिलता वहां स्वयं की शक्ति एवं साधनों से आर्थिक विकास की बात करना व्यावहारिक नहीं है। परन्तु पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में सामान्य गांव के आर्थिक विकास की जो स्थिति रही है उस पर से यह अनुभव आया है कि बाहर से पूंजीगत सहायता देने एवं बाहर की योजनायें गांव में लागू करने मात्र से गांव का आर्थिक विकास संभव नहीं है। ग्रामदान के विचार के अनुसार यदि गांव का विकास करना है तो गांव की श्रम शक्ति का उपयोग करना आवश्यक है। प्रश्न पूंजी का आता है जिससे श्रम का उपयोग किया जाय।

पूंजी निर्माण की पद्धति की खोज में ग्रामदान में ग्रामकोष की भी योजना प्रस्तुत की गई है। ग्रामकोष गांव की सामूहिक पूंजी होगी जिससे आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। ग्रामदान का मानना है कि गांव के आर्थिक विकास के लिए पूंजी का निर्माण गांव के साधनों द्वारा किया जाना चाहिए और यह हो सकता है। गांव केवल बाहरी पूंजी प्राप्त करने के लिए लालायित न रहे और न उसके भरोसे बैठा ही रहे। परन्तु यह भी नहीं कि बाहरी पूंजी का बहिष्कार करें। सामान्य ढंग से बाहरी पूंजी का स्वागत होगा और वह बाहरी पूंजी आर्थिक विकास में सहायक भी होगी। परन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है बाहरी पूंजी के भरोसे काम रुकेगा नहीं। अधिक से अधिक पूंजी निर्माण ग्राम स्तर पर हो इसका प्रयास रहेगा।

गांव में नकद पूंजी का अभाव है। ऐसे परिवारों की संख्या काफी कम है जो आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण की क्षमता रखते हों। फिर

परम्परागत व्यवस्था में गिने-चुने परिवारों को छोड़कर शेष प्रायः अभाव का जीवन ही व्यतीत करते हैं। ग्रामकोष की योजना के अन्तर्गत पूंजी निर्माण को गति मिलती है। गांव में लोग कृषि, गोपालन, ग्रामीण उद्योग, नौकरी आदि कार्यों में लगे हैं। ये कार्य व्यक्तिगत स्तर पर किये जाते हैं। परन्तु इनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि इन उद्योगों को पूंजी के अभाव में, आधुनिक रूप देना सम्भव नहीं। इस दृष्टि से विभिन्न उद्योगों से एक हिस्सा ग्रामकोष में जमा किया जाता है। इस समय निम्नलिखित नियमानुसार ग्रामदानी गांव ग्रामकोष संग्रह का प्रयास करता है—

1–भू-स्वामी से वार्षिक उत्पादन का चालीसवां हिस्सा

2–नौकरी करने वाले से माह में एक दिन का वेतन

3–उद्योग, व्यापार में लगे लोगों से माह में एक दिन का लाभ

4–मजदूरी करने वालों से माह में एक दिन का श्रम।

इस प्रकार ग्रामदान में शामिल प्रत्येक व्यक्ति उपरोक्त नियमानुसार अपनी आय में से एक हिस्सा ग्रामकोष में जमा करता है। यह अवश्य है कि ग्रामसभा चाहे तो उपर्युक्त परिमाण में कुछ परिवर्तन भी कर सकती है, पर कुल मिलाकर अपनी आय तथा उपज का निश्चित भाग प्रत्येक व्यक्ति ग्रामकोष में दे, यह ग्रामदान विचार का निश्चित तथा आवश्यक अंग है।

श्रम का महत्व—गांव में नकद पूंजी के अभाव और श्रमशक्ति आधिक्य की स्थिति में श्रमशक्ति के उपयोग की समस्या आती है। ग्रामकोष संग्रह में यह प्रश्न आता है कि जिसके पास मात्र श्रमशक्ति है उनका पूंजी निर्माण में किस प्रकार योगदान हो। श्रम का पूंजी निर्माण में योगदान हो इसके लिए श्रमिक का श्रम ग्रामकोष में जमा किया जाता है। इस प्रकार ग्रामदान पूंजी के निर्माण में उनका भी उपयोग करता है जिनके पास श्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। श्रम-प्रधान समाज में, ग्रामकोष के माध्यम से ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जिससे कम से कम नकद पूंजी से अधिक से अधिक पूंजी निर्माण की क्षमता आये। श्रमिक अपनी श्रमशक्ति ग्रामकोष के रूप में जमा करे यह खास महत्व की बात है। यह कहा जाता है कि श्रमिक, जो कि अपनी मेहनत से इतना ही कमा पाता जिससे किसी प्रकार अपना एवं परिवार का पेट भर पाता है, ग्रामकोष में अन्न या नकद जमा कराने में सक्षम नहीं है। यहां यह ध्यान में रखने की बात है कि ग्रामदान श्रम प्रधान समाज व्यवस्था की ओर बढ़ने का

प्रयास है। नकद पूंजी का उतना महत्व नहीं है जितना कि श्रम का है। श्रम उत्पादन का मुख्य साधन है। ग्रामकोष में श्रमिक का श्रम जमा होगा और उसका उपयोग उत्पादक कार्यों में होगा। ग्रामकोष में जमा श्रम का ग्राम एवं व्यक्ति दोनों के लिये उपयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि जिन दिनों श्रमिक को काम नहीं मिलता उन दिनों का श्रम का उपयोग ग्रामसभा करे। ऐसा भी किया जा सकता है कि जमा श्रम का उपयोग किसी की खेती या उद्योग में किया जाय और उस दिन की मजदूरी ग्रामकोष में जमा हो। इस प्रकार श्रम का विविध प्रकार से उपयोग किया जा सकता है।

द्वितीय अध्याय
क्षेत्र परिचय

ग्रामस्वराज्य आन्दोलन में विहार का प्रमुख स्थान रहा है। विनोवाजी ने विहार को आन्दोलन का प्रयोग प्रान्त माना है। भू-दान-ग्रामदान आन्दोलन का वैचारिक प्रसार जितनी सफलता से विहार में हुआ उतना अन्य प्रान्तों में नहीं हो पाया है। राजगृह के अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन में, 1969 में गांधी शताब्दी के अवसर पर 'विहार-दान' सम्पन्न हुआ। इस व्यापक काम के वाद सघनता की ओर जाना स्वाभाविक था। इसी वीच 1970 में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण श्री जयप्रकाश नारायण ने विहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखण्ड को अपना कार्य क्षेत्र वनाया। इस प्रकार पूरे देश का ध्यान मुसहरी की ओर गया, साथ ही साथ उसमें लगे लोगों को कार्य की एक नयी प्रेरणा मिली। इसी वर्ष सर्व सेवा संघ का अधिवेशन सेवाग्राम में हुआ। इस अधिवेशन के अवसर पर विनोवाजी की प्रेरणा से विहार के लोगों ने सरहसा जिले को सघन कार्य के लिये चुना। सरहसा का पड़ोसी जिला है पूर्णिया। पूर्णिया श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी की कर्मभूमि है। पूर्णिया का रूपौली सरहसा जिले के साथ लगा हुआ प्रखण्ड है। श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी ने रूपौली में वैठने का निर्णय किया। इस प्रकार विहार में सघन कार्य के तीन क्षेत्र वने—सरहसा, मुसहरी और रूपौली। इन तीनों क्षेत्रों के अतिरिक्त मुंगेर जिले का झाझा प्रखण्ड विहार का प्रथम प्रखण्ड है जहां पुष्टि का कार्य विशेष सघनता से चला है। यहीं सवसे पहले प्रखण्ड सभा वनी। इन वातों को ध्यान में रखकर सहरसा, मुसहरी, रूपौली और झाझा—इन चार क्षेत्रों को इस अध्ययन के लिये चुना गया।

इन क्षेत्रों का सामान्य परिचय इस प्रकार है।

सहरसा—

सहरसा विहार का एक नया जिला है। यह उत्तर विहार का सवसे छोटा जिला भी है। 2 अप्रेल 1954 को भागलपुर जिले से काट कर यह

जिला वनाया गया था। वाद में मुंगेर जिले के सिमरी, वख्तियारपुर और सलखुवा प्रखण्ड भी इसमें जोड़े गये। हिमालय की छाया में स्थित इस जिले की उत्तरी सीमा भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। जिले के उत्तर में नेपाल, पूरब में विहार का पूर्णिया, दक्षिण में भागलपुर और मुंगेर तथा पश्चिम में दरभंगा जिला है। स्वच्छन्द विचरने वाली कोसी नदी के प्रकोप से पीड़ित यह प्रदेश भूकम्प का भी शिकार रहा है। मलेरिया, तिल्ली जैसे रोगों का निरंतर आक्रमण, यातायात के साधनों की कमी, उद्योग का अभाव और वरसात के चार महिनों में कमर भर पानी में डूवा हुआ अधिकांश भू-भाग–ये वातें इस जिले को विकास की आधुनिक राह पर आगे वढ़ने से रोकती रही हैं। अव कोसी वांध तथा तटवन्धों के निर्माण से कोसी को नियंत्रित किया गया है, जिससे समस्या कुछ हल हुई है।

प्रारम्भ में जिले भर में सभायें, गोष्ठियां और चर्चाओं का दौर चलाया गया और सारे जिले में ग्रामदान-पुष्टि के लिए जागृति लाने का काम किया गया। गांव-गांव में ग्राम शान्ति-सेना और विद्यालयों में आचार्यकुल तथा तरुण शान्ति सेना का गठन किया गया। वाद में काम के लिए सघन क्षेत्र हाथ में लिये गये। इस क्रम में मरौना, महिषी, चौसा और सुपौल प्रखण्डों में कार्य प्रारम्भ किया गया।

कार्य की दृष्टि से पूरे जिले को सघन क्षेत्र माना गया है। परन्तु आन्दोलन में लगे लोगों की शक्ति एवं साधन को देखते हुये शुरू में कुछ प्रखण्डों को सघन कार्य के लिए चुना गया है। जिले के मरौना प्रखण्ड में पहले से ही काफी कार्य हो चुका था। जिले के प्रमुख कार्यकर्ता एवं जिला ग्राम स्वराज्य अभियान समिति एवं सर्वोदय मण्डल के मंत्री श्री महेन्द्र नारायण इस क्षेत्र में 1958 में आये थे और तभी से इस प्रखण्ड से उनका निकट का सम्बन्ध रहा है। यहां ग्रामदान पुष्टि का कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है। मरौना प्रखण्ड में ग्रामकोष का कार्य भी पिछले 2–3 वर्षों से चल रहा है। अतः जिले के मरौना प्रखण्ड के कुछ गांवों को इस अध्ययन में शामिल किया गया।

मरौना प्रखण्ड कोसी के पूर्वी तथा पश्चिमी तट के वीच में स्थित है। पूरा प्रखण्ड कोसी तट के भीतर आता है। कोसी की प्रायः सभी धारायें इस प्रखण्ड से गुजरती हैं। प्रखण्ड में कोसी की करीव 8 धारायें वहती हैं जिनमें से कुछ तो साल भर वहती रहती हैं। इस प्रखण्ड में एक भी पक्की सड़क नहीं है। यातायात का साधन नाव या वैलगाड़ी है। यही कारण है कि यहां पैदल

चलना अधिक सुविधाजनक होता है। बरसात में तो बाहर के लोगों का आवागमन प्रायः बन्द रहता है। बिजली का अभाव है। आज से 15-20 वर्ष पूर्व इस प्रखण्ड में कोसी तट की जंगली घास का बाहुल्य था। घास इतनी घनी एवं खराब किस्म की थी कि उसका उन्मूलन कठिन काम था। पिछले दो दशकों में यहां की आबादी बढ़ी और जो लोग कभी कोसी के प्रकोप के कारण यहां से चले गये थे, पुनः आ गये। इस आगमन से यहां की जमीन आबाद होने लगी। कोसी बांध बन जाने से बाढ़ का प्रकोप भी कम हो गया है। कोसी का कटाव इतना तीव्र होता है कि किसी गांव का बरसों तक एक स्थान पर रहना संभव नहीं, इसलिए यहां के लोग पक्के मकान नहीं बनाते। प्रायः फूस के सुन्दर मकान हैं। इस क्षेत्र के निवासी मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के हैं। अधिकांश आबादी मध्यम तथा पिछड़ी जातियों की है। ब्राह्मण राजपूत, भूमिहार, कायस्थों की पूरे प्रखण्ड में परिवार संख्या 100 के आस-पास है। यहां की मुख्य जातियां हैं—मंडल, यादव, केवट, व्यापारी, हरिजन। आर्थिक दृष्टि से पूरा प्रखण्ड गरीब है। सामान्य किसान 5–6 बीघे जमीन का मालिक है। 10 बीघे से अधिक के किसान अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। कोसी तट की जमीन होने के कारण यहां उपजाऊपन काफी है। बिना सिंचाई के भी यदि सामान्य वर्षा हो जाय तो अच्छी फसल हो जाती है। नदियों से भरपूर होने के बावजूद भी सिंचाई साधन का यहां पूरा अभाव है। यहां प्रति वर्ष प्रति एकड़ उत्पादन 25 से 40 मन तक हो जाता है।

ग्रामदान आन्दोलन के बाद क्षेत्र में नई जागृति आई है। पूरे प्रखण्ड में करीब 100 लोगों की एक जमात बनी है जो ग्रामदान के कार्य में सक्रिय हैं। ये लोग स्थानीय स्तर पर ग्रामस्वराज्य-आन्दोलन में सहयोग करते हैं। मरौना में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शक्ति से-आन्दोलन से संबंधित अनेक कार्य-क्रम चलाये गए। पिछले डेढ़ वर्ष में 3 बड़े शिविर चलाये गये। 9 पंचायत एवं क्षेत्रीय स्तर के शिविर चलाए गए। एक गोष्ठी की गयी। दानापुर ग्रामसभा ने प्रखण्ड स्तर के त्रिदिवसीय शिविर का आयोजन किया जिसमें करीब 1 हजार रुपया व्यय हुआ, जो स्थानीय लोगों ने ही किया। 1967 में ग्रामदान अभियान यहां चला था। यह अभियान भी स्थानीय शक्ति से चलाया गया था। पुष्टि कार्य चलाने में मरौना की युवा शक्ति ने अनुपम सहयोग दिया है।

प्रखण्ड में कुल गांव संख्या 102 है। प्रायः सभी गांवों में ग्रामसभा का गठन किया जा चुका है। 36631 जनसंख्या वाले प्रखण्ड में 32036

लोग ग्रामदान में शामिल हैं। 77 प्रतिशत जमीन ग्रामदान में शामिल है। प्रखण्ड में 1118 शान्ति सैनिक दर्ज हैं।

प्रखण्ड स्वराज्य सभा का गठन 10 नवम्बर 1971 को किया गया। कार्य समिति में 33 सदस्य हैं। क्षेत्र कार्य समिति के सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर स्पष्ट हुआ है उनमें से 26 सदस्य नये हैं और यह नया नेतृत्व ग्रामदान की बड़ी मानवीय उपलब्धि है। पूरी कार्य समिति प्रखण्ड के सक्रिय लोगों की एक जमात है। इस नये नेतृत्व को विकसित करने का कार्य ग्रामदान आन्दोलन ने किया है। प्रखण्ड में 30–35 गावों में ग्राम कोष संग्रह करना प्रारम्भ किया गया है।

निम्नलिखित 6 गांवों में ग्रामकोष का अध्ययन किया गया है।

सारणी संख्या–1

	गांव	जमीन (बीघा)	परिवार सं.	जनसंख्या	भूमिहीन परिवार
1.	नवटोल	49	33	216	3
2.	अरहा	134	60	285	2
3.	दानापुर	100	95	500	43
4.	कोनी गनौरा	406	105	567	41
5.	सिरखड़िया	207	84	507	27
6.	खुशियाली	247	71	438	34

सर्वेक्षित—गावों में ही नहीं पूरे प्रखण्ड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई धन्धा यहां नहीं है जिससे जीविका चलाई जा सके। कृषि के साथ पशुपालन स्वभावतः जुड़ गया है। परन्तु पशुपालन यहां कोई खास धन्धा नहीं है। फिर भी पशु पाले जाते हैं, और उससे कुछ नकद आय भी हो जाती है। दुधारू पशु पालने का अच्छा रिवाज है। प्रायः सभी के पास गाय या भैंस मिलेंगी। कुछ लोगों को दूध से

अच्छी आय हो जाती है। कृषि से मुख्यतः दो प्रकार की आय होती है (1) उपयोग के लिये अन्न (2) नकद आय के लिये खास बाजारू फसलें। उपयोग की प्रायः सभी चीजें यहां के लोग पैदा कर लेते हैं। जहां तक नकद आय का सवाल है इसके लिए मुख्यतः पटुआ लगाते हैं। क्षेत्र में पटुआ की अच्छी खेती हो जाती है। पटुआ के अतिरिक्त कुछ लोग तिलहन भी उपजाते हैं। नकद आय का एक स्रोत दूध भी है। यहां के लोग दूध का घी बनाकर बेचते हैं। पिछले एक दशक से इस क्षेत्र में दूध से मक्खन निकालने की मशीन आ गयी है। गांव-गांव में यह मशीनें देखने को मिलेंगी, इन मशीनों के जरिये कुछ लोग काफी पैसा कमा लेते हैं। ये मशीनें छोटे किसानों के शोषण का एक माध्यम भी बन गया है। जिनके पास मशीनें हैं वे केवल मक्खन निकालने की मेहनत भर करके काफी रकम वसूल कर लेते हैं।

जैसा हमने ऊपर देखा, यहां प्रति व्यक्ति अत्यधिक कम जमीन है। ग्रामीण जीवन में, पारिवारिक स्तर पर जीवन चलता है। आर्थिक इकाई परिवार है। यदि आय अधिक है तो उसका लाभ पूरे परिवार को होगा कम है तो पूरा परिवार कष्ट सहेगा। यहां प्रति व्यक्ति जमीन आधा बीघा से कम पड़ती है। जो परिवार एवं गांव की आर्थिक स्थिति की दृष्टि से बहुत कम है। नवटोल एवं दानापुर में तो प्रति व्यक्ति जमीन 4 विस्वा के आसपास है। अरही एवं सिरखड़िया में प्रति व्यक्ति जमीन क्रमशः 7 एवं 8 विस्वा पड़ती है। कोनी-गनौरा एवं खुशियाली की स्थिति थोड़ी अच्छी मानी जा सकती है, परन्तु यह औसत का हिसाब है। औसत के हिसाब से स्थिति की सही जानकारी नहीं मिल सकती। इन गांवों में काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। नवटोल एवं अरहा में ग्रामदान के पूर्व कमशः 3 और 2 परिवार भूमिहीन थे। ग्रामदान के बाद इन परिवारों को जमीन दे दी गई। लेकिन अन्य गांवों में भूमिहीन परिवारों की संख्या पर्याप्त है। फिर जिनके पास जमीन है वे भी इस स्थिति में नहीं हैं कि अच्छे किसान कहे जा सकें। प्रायः लोगों के पास 1 से 4 बीघा तक जमीन है। दानापुर में 10 एकड़ या इससे अधिक जमीन वाला एक भी परिवार नहीं है। अरहा एवं नवटोल की भी यह स्थिति है। कौनी गनौरा की स्थिति थोड़ी अच्छी है जहां 6 परिवारों के पास 10–10 बीघा के करीब जमीन है। सिरखड़िया एवं खुशियाली में इस स्थिति के परिवार क्रमशः 6 और 10 हैं। इस परिस्थिति में प्रायः सभी परिवारों की स्थिति खाने कमाने की है। सर्वेक्षित गांवों में कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो

बचत की स्थिति में हैं। ग्रामदान के वाद वीघा कठट्टा में प्राप्त जमीन का वितरण भूमिहीनों में किया गया है। लेकिन जमीन की जो स्थिति है उसमें सव के लिये कृषि की जमीन उपलब्ध करना सम्भव नहीं है। अतः वीघा-कट्ठा की जमीन से भूमिहीन को किसान नहीं बनाया जा सकता। अन्य उद्योग न होने के कारण ग्रामदान के वाद भी जीविका की परिस्थिति में खास परिवर्तन नहीं आ सका है। पर ग्रामकोष ने अन्तिम वर्ग को राहत पहुंचाने में अच्छी सफलता प्राप्त की है।

औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से तत्काल दो स्रोतों की ओर ध्यान दिया जा सकता है। पटुआ एवं दूध, ये दो चीजें आय का अच्छा साधन है। उसकी आय का वड़ा हिस्सा व्यापारियों एवं कुछ किसानों के हाथ में चला जाता है। दूध की व्यापारिक स्थिति यह है कि किसान दूध मशीन वाले के पास ले जाता है। जितना मक्खन निकलता उसे 2·50 या 3 रु० प्रति किलो के हिसाव से वेचता और बिना मक्खन का दूध वापस लाता है। विना मक्खन के दूध का उपयोग प्रायः किसान स्वयं करता है, कुछ उसे भी किसान वेचता है। 2 किलो मक्खन में 1 किलो घी तैयार होता है। इस हिसाव से 6 रु० प्रति किलो घी पड़ा। यह घी वाजार में 10-11 रु० प्रति किलो विकता है। स्थिति यह रहती है कि 1 किलो घी तैयार करने पर मशीन वाले को कम से कम 4 रु० शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। फिर मक्खन निकाल कर घी वनाना अंशकालिक कार्य है। किसान की स्थिति यह है कि वह अपनी भैंस का पूरा दूध ले जाता है और मक्खन निकलवा कर आ जाता है। 4-5 किलो दूध से 1 किलो मक्खन निकलता और उसे 3 रु० के करीव मिल जाता है। पूरे प्रखण्ड में दूध उद्योग की स्थिति पर विचार करने पर यह जानकारी मिली कि प्रखण्ड में कुल 80 मशीनें चल रही हैं। इन मशीनों पर करीव 2000 भैंसों का दूध प्रतिदिन जाता है। औसत 1 भैंस से 1 किलो मक्खन प्राप्त होता है। इस प्रकार 2 हजार किलो मक्खन या अन्ततः 1 हजार किलो घी प्रति दिन तैयार होता है। किसानों को, जिनके पास भैंस है, प्रति दिन 3 रु० प्राप्त होता हैं। कुल तीन हजार रु० मिलता है। मशीन का मालिक कम से कम 4 रु० प्रति किलो का लाभ लेकर वेंचता है और इस प्रकार पूरे प्रखण्ड के मशीन मालिकों को प्रति दिन 4 हजार रु० की शुद्ध आय होती है। मासिक आय 120 हजार हुई और वार्षिक 1440 हजार रु० की शुद्ध आय हुई। पूरे प्रखण्ड से प्रति वर्ष 36 लाख रु० का घी विकता है। प्रखण्ड के इस

36 लाख के धन्धे का लाभ 80 परिवारों तक सीमित है जिससे शेष पशुपालकों का शोषण होता है। ग्रामसभा इस उद्योग को किस प्रकार चलाये, यह प्रखण्ड सभा के लिये विचारणीय है।

इसी प्रकार प्रखण्ड में पटुआ उत्पादन भी व्यक्तिगत व्यापारियों, खास-कर बाहर के, हाथ में है। पटुआ के संग्रह मात्र से उन्हें पर्याप्त लाभ हो जाता है। पूरे प्रखण्ड में पटुआ नकद आय का स्रोत है। प्रायः सभी गांवों में पटुआ का उत्पादन होता है। यहां एक गांव के उत्पादन को हम लें। नवटोल में करीब 45 बीघे में पटुआ की खेती की जाती है। प्रति बीघे उत्पादन 15 मन मान लें तो 675 मन पटुआ हुआ। किसान को पैसे की तत्काल आवश्यकता होती है इस कारण उत्पादन होते ही बेचना अनिवार्य हो जाता है। किसान इस स्थिति में नहीं होता कि तैयार माल को 2-3 माह भी संग्रह कर रख सके। बाहर के महाजन इस स्थिति का लाभ उठाते हैं। फसल के समय इसका भाव 30 रु० प्रति मन के आस पास रहता है। यह स्थिति 1970 एवं 71 की है। इस भाव से नवटोल से 30×675=20250 रु० का पटुआ इन वर्षों में बिका। इन दोनों वर्षों में किसानों के बेचने के 3 से 5 महीने बाद भाव बढ़कर 50 से 60 रु० प्रति मन हो गया। इस प्रकार इसी पटुआ की कीमत करीब 40 हजार रुपया हो गयी। 5 माह संग्रह मात्र करने से 20 हजार रु० का लाभ व्यापारी को हो गया। लेकिन किसान जल्दी बेचने के लिये मजबूर है और महाजन इस मजबूरी का पर्याप्त लाभ उठाता है। यह हिसाब तो 33 परिवार के एक नवटोल ग्राम का है। इस प्रकार पूरे प्रखण्ड से लाखों रुपये का लाभ महाजन प्रति वर्ष ले जाते हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मरौना अति सामान्य आर्थिक स्थिति का प्रखण्ड है। ग्रामदान आन्दोलन के बाद प्रखण्ड सभा प्रखण्ड स्तरीय आर्थिक विकास की योजना बनाये, इसके लिए आवश्यक है कि पर्याप्त आर्थिक साधनों की प्राप्ति हो। ये साधन स्थानीय तथा बाहरी दोनों स्रोतों से प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस समय एकता एवं उत्साह का जो वातावरण है जिसमें स्थानीय स्रोतों से आर्थिक साधनों का प्राप्त करना आसान है। प्रखण्ड के सभी लोगों को रोजगार मिले तथा प्राप्त आर्थिक साधनों को गति मिले इसके लिए बेकार तथा अर्ध बेकार मानवीय शक्ति को पूरा काम मिलना आवश्यक है। जमीन के अनुपात को देखते हुए उस पर दबाव कम करना भी आवश्यक है।

मुसहरी

मुसहरी मुज्जफरपुर जिले का उपनगरीय प्रखण्ड है। अभी कुछ दिन पहले तक नक्सलवादियों का आंतक था। उसी आंतक के संदर्भ में श्री जयप्रकाश नारायण ने इसे अपना कार्य क्षेत्र बनाया। उपनगरीय प्रखण्ड होने के कारण शहरी वातावरण का पूरा प्रभाव है। क्षेत्र में ग्रामदान के कार्य को सघनता श्री जयप्रकाशनारायण ने प्रदान की। वह 7 जून, 1970 को इस प्रखण्ड में आये और तभी से यहां के सघन काम की शुरूआत माननी चाहिये। इस प्रखण्ड का कुल क्षेत्रफल 43983 एकड़ है जिसमें से 36398 एकड़ पर खेती होती है। यहां की अनुमानित जनसंख्या (ग्रामीण) 118737 है। इस प्रकार भूमि-मनुष्य का अनुपात (केवल खेती की भूमि को लेते हुये) 30 डिसिमल होता है। इस प्रखण्ड में 17 पंचायतें और 121 राजस्व गांव हैं। यहां जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्गमील 1000 से भी अधिक है। सिर्फ 8·6 प्रतिशत भूमि में सिंचाई होती है। फसलों की किस्म के अनुसार औसत उत्पादन प्रति एकड़ 8 से 16 मन है। जिले के अन्य प्रखण्डों के मुकावले मुसहरी में खेतीहर मजदूरों की आवादी का प्रतिशत अपेक्षत: अधिक है। पूरे जिले का औसत मजदूरों का प्रतिशत 33.3 है जबकि इस प्रखण्ड की खेतीहर मजदूर आवादी अपने आश्रितों को लेकर पूरी ग्रामीण आवादी का 39.2 प्रतिशत है। अगर इस जनसंख्या में शहर जाकर रोटी कमाने वाले भूमिहीन मजदूरों की संख्या जोड़ें तो ग्रामीण आवादी के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगा। भूमि-मनुष्य के अनुपात के अलावा एक विशेपता यह है कि यहां भूमिवान परिवारों का असाधारण प्रभुत्व है। मजदूरी की दर, खासकर संलग्न मजदूरों की मजदूरी वहुत ही कम है। यहां व्यापक वेकारी है तथा खेतिहर मजदूरों में हद दर्जे की गरीवी और व्यापक असन्तोष का वातावरण है। यही स्थिति शायद इस प्रखण्ड के सामान्य पिछड़ेपन के लिए भी जिम्मेवार है, चाहे वह पिछड़ापन शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि विकास के क्षेत्र में हो या राजनीतिक चेतना की दृष्टि से हो, वावजूद इसके कि वह क्षेत्र जिला स्तर के नगर से सटा हुआ है। प्रखण्ड में भूमिहीन परिवार के सामने वासगीत की जमीन का झगड़ा भी यहां की मुख्य समस्या है।

सर्वेक्षित गांवों की आर्थिक स्थिति का अन्दाज इस तालिका से लगाया जा सकता है।

सारणी सं०–2

गांव	जमीन (एकड़)	परिवार सं०	जनसंख्या	भूमिहीन परिवार
1. मादापुर	150	125	840	64
2. सुस्ता	189	210	1157	170
3. माधोपुर	336	236	1450	131

इन आंकड़ों से साफ है कि यहां भूमिहीनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है और ये लोग दूसरे के यहां काम करके ही अपनी जीविका चलाते हैं। जिनके पास जीविका का कोई स्वयं का साधन नहीं है अर्थात् जिनके पास जमीन या अन्य कोई धन्धा नहीं है वे प्राय: दो प्रकार से अपनी जीविका चलाते हैं :—(1) अन्य लोगों के यहां मजदूरी करके (2) शहर में जाकर मजदूरी या अन्य धन्धा करके। सुस्ता शहर से बिल्कुल निकट का गांव है और यहां के 65 प्रतिशत लोग नौकरियों (सामान्य छोटी नौकरियों) में लगे हैं और 5 प्रतिशत लोग व्यवसाय में हैं। इस गांव में जो जमीन है उस पर कुछ लोगों का आधिपत्य है उस कारण गांव में रह कर कोई कार्य खोजना आसान नहीं है। अन्य गांवों की भी कमोबेश यही स्थिति है। ऊपर बताया गया है कि कुल मिलाकर 45 प्रतिशत आबादी मजदूरी पर निर्भर करती है। इस प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाकर शहर से संबंधित नौकरी से जोड़ें तो यह जानकारी मिलती है कि अधिकांश परिवारों का आर्थिक सम्बन्ध नौकरी या शहर से है।

कृषि की भी अपनी समस्या है। कुछ किसानों को छोड़कर शेष सभी किसानों के पास बहुत कम जमीन है। ऐसे किसान ज्यादा मिलेंगे जिनके पास 1 से 3–4 एकड़ तक जमीन है। ये छोटे किसान स्वयं के साधन से कृषि के आधुनिक विकास की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों की तरह यहां भी सिंचाई की समस्या मुख्य है। यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाय तो उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। यहां की जमीन की उर्वराशक्ति देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कम से कम जमीन में भी जीविका चलायी जा सकती है।

श्री जयप्रकाश नारायण के इस क्षेत्र में आने के बाद पूरे प्रखण्ड में ग्रामदान-पुष्टि का कार्य प्रारम्भ हुआ। सक्रिय ग्रामसभाओं ने ग्रामकोष भी आरम्भ किया, लेकिन समस्या-प्रधान इस प्रखण्ड में ग्रामकोष की भी अपनी समस्यायें हैं जिन पर अन्यत्र विचार करेंगे। ग्रामदान के साथ-साथ ग्रामसभाओं को मजबूत किया गया जिससे ग्रामसभा के माध्यम से ग्राम विकास का कार्य किया जा सके। क्षेत्र में स्थानीय गुटबंदी, जिसे घटिया किस्म की राजनीति कह सकते हैं, के कारण प्रखण्ड सभा में रचनात्मक सक्रियता उतनी नहीं है। जितनी अपेक्षा की जाती है। श्री जयप्रकाश नारायण के प्रयास एवं प्रभाव से आर्थिक विकास का कार्य चल रहा है।

यहां के ग्रामस्वराज्य आन्दोलन के साथ श्री जयप्रकाश नारायण का नाम सहज ही जुड़ जाता है। उनके खुद के शब्दों में यहां के कार्य की दृष्टि यह रही है—"मेरे कार्यक्रम के दो हिस्से हैं। उसका एक हिस्सा पूर्व-प्राप्त ग्रामदान के संकल्पों की कार्यान्विति के संबंध में था, जो निम्नलिखित है—

1. ग्रामसभा की स्थापना
2. ग्रामदान में शामिल बीघा कट्ठा भूमि का वितरण
3. ग्रामकोष का संग्रह
4. ग्राम शान्ति सेना का संगठन

अब हम लोगों ने उसमें पांचवी बात जोड़ी है और यह है ग्रामवार आवश्यक कागजात तैयार कर ग्रामदान की कानूनी पुष्टि के लिए उन्हें ग्रामदान पुष्टि पदाधिकारी के पास दाखिल करना।

दूसरा हिस्सा इस प्रकार था—

1. अवितरित भूदान की भूमि का वितरण करना और पूर्व वितरित भूमि के संबंध में हुई गलतियों तथा गड़बड़ियों को दुरुस्त करना।

2. यह देखना कि संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त हर व्यक्ति को उसकी वास की भूमि का पर्चा अवश्य मिल जाय तथा वितरित पर्चों के बारे में अनियमितताओं एवं गड़बड़ियां ठीक कर ली जायं।

3. भूमिहीन मजदूरों की समस्याओं की तह में जाना तथा उनके लिए यथा आवश्यक कुछ करने का प्रयास करना।

4. मेरे (जयप्रकाशजी के) ध्यान में लाये गये अन्याय एवं उत्पीड़न के खास-खास मामले हाथ में लेना और उनके समाधान में सहायक होना।"

रूपौली :—

पूर्णिया जिले में कुल 38 प्रखण्ड हैं। इस जिले की कुल जनसंख्या 3089128 और रकवा 1909982 एकड़ है। इसमें शहरी क्षेत्र की आवादी एवं रकवा छोड़कर शेष हिस्सों में 75 प्रतिशत आवादी तथा 51 प्रतिशत जमीन की शर्त के अनुसार 8160 गांव तथा टोले के लोगों ने ग्रामदान का संकल्प लिया है। रूपौली पूर्णिया जिले का एक प्रखण्ड है। यह प्रखण्ड जिले के पश्चिमी छोर पर अवस्थित है। पूर्णिया से रूपौली की दूरी 34 मील है। आवागमन के साधन के रूप में वसें हैं।

रूपौली प्रखण्ड में कुल 21 पंचायते हैं। प्रखण्ड की कुल जनसंख्या 93613 है। कुल 55 राजस्व गांव हैं। यहां भूमिवालों से भूमिहीन परिवारों की संख्या अधिक है। भूमिवान् परिवारों की कुल संख्या 4025 है जब कि भूमिहीन परिवार 6085। रूपौली प्रखण्ड अनुपस्थित भू-स्वामियों का प्रखण्ड कहा जाता है। यहां ऐसे किसानों की संख्या पर्याप्त है जो कभी गांव में नहीं आते, पर सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक हैं। यहां का मुख्य पेशा खेती है और सहायक पेशे में मजदूरी तथा पशुपालन माना जा सकता है।

पूरा प्रखण्ड कोसी का प्रभाव क्षेत्र है। एक समय था जब इस प्रखण्ड में वाढ का प्रकोप हमेशा बना रहता था, परन्तु कोसी के बंध जाने से वह प्रकोप कम हो गया है। फिर भी इसे संपन्न क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। इसके कई कारण हैं (1) कोसी की वाढ़ के कारण यहां की जमीन बलुई हो गयी है। इस कारण पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। क्षेत्र की गरीबी के कारण सामान्य किसान यह खर्च नहीं कर पाता (2) वाढ़ एवं वर्षा के प्रकोप के कारण पशु अधिक मरते हैं। पशुओं की बीमारी भी अधिक मृत्यु का कारण है। (3) इस क्षेत्र की जमीन कुछ वड़े किसानों-खास कर अनुपस्थित किसानों के हाथ में है। इस कारण अधिकांश आवादी या तो भूमिहीन है या उसके पास अलाभकर जोत है। यहां बटाई की भी एक वड़ी समस्या है। ऐसे किसान ज्यादा हैं जिनके पास 1 बीघा से कम जमीन है। यहां तीन प्रकार के कृषक हैं (1) वड़े किसान इनमें भी दो प्रकार के हैं, (क) वासा पर जिनका प्रतिनिधि रहता और वह या तो मजदूर लगाकर खेती कराता है या बटाई पर

(ख) स्थायी निवासी किसान जो वहां का मूल निवासी है। ये लोग प्रायः मजदूर रखकर खेती करते हैं। कुछ वटाई भी देते हैं। यहां वटाई का कानूनी नियम है 1 मन में 30 सेर वटाई करने वाले का होगा और 10 सेर जमीन मालिक को मिलेगी। पर व्यवहार में आधा-आधा बटता है।

(2) अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान। इस प्रकार के किसान प्रायः स्वयं खेती करते हैं। परन्तु पिछले दो-तीन वर्षों से सामान्य किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है।

(3) कुछ लोगों के पास इतनी कम जमीन है जो कि अपनी जमीन से जीविका नहीं चला सकते। ऐसे किसान वटाई पर खेती करते हैं।

इसके अतिरिक्त वड़ी संख्या ऐसे मजदूरों की है जो वड़े किसानों के यहां तथा अन्य स्थानों पर जाकर मजदूरी करते हैं। यहां दैनिक मजदूरी की दर सामान्य तौर पर 2 रु० है। इसके अतिरिक्त एक समय का भोजन एवं नाश्ता भी मिलता है।

राजनीतिक दृष्टि से यह नेताओं का क्षेत्र है। पर नेता भी अनेक प्रकार के हैं। वैसे रूपौली हिंसक आंतक का क्षेत्र रहा है। जहां श्री नक्षत्र मालाकार जैसे उग्रवादी नेताओं का पूरा प्रभाव है। पर दूसरी ओर श्री भोला पासवान शास्त्री, 'श्री लक्ष्मीनारायण' सुधांशु जैसे लोग भी यहीं के हैं। श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी का यह पुराना कार्य क्षेत्र रहा है।

रूपौली में ग्रामदान का कार्य व्यवस्थित रूप से 8 जुलाई 1970 से प्रारम्भ हुआ, जब श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी ने यहीं जमकर कार्य करने का निर्णय किया। इसके बाद से क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से ग्रामस्वराज्य का आन्दोलन चल रहा है। सम्पूर्ण रूपौली प्रखण्ड को कार्य की दृष्टि से तीन हिस्सों में बांटा गया। हर हिस्से में 7 ग्राम पंचायतें हैं। उत्तर, पूर्व एवं दक्षिण में तीन केन्द्रों की स्थापना कर तीन समर्थ कार्यकर्ता निरतंर ग्रामसभाओं के संगठन का कार्य संपादन कर रहे हैं। ये तीन क्षेत्र हैं-रूपौली, वैरिया और कंकला। इन तीनों क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, पंचायत प्रभारियों, व्यापारियों, भूमिवान् तथा भूमिहीनों का एक वृहत् सम्मेलन 14,15,16 जून 1971 को हुआ। अब तक 128 एकड़ जमीन वीघा-कट्ठा में वट चुकी है। इसके साथ 2721 एकड़ भू-दान में प्राप्त जमीन वटी है। कुल भूमिवान् परिवारों की संख्या 4025 है जिनमें से 3286 परिवार ग्रामदान में शामिल हैं और कुल

भूमिहीन 6085 परिवारों में से 5930 परिवार ग्रामदान में शामिल हैं। क्षेत्र के 51 गांवों में ग्रामकोष का कार्य चल रहा है। क्षेत्र में जनसंख्या एवं ग्रामसंख्या के अनुसार कुल 100 ग्रामसभायें बनेगी, जिनमें से अब तक 71 ग्राम सभायें बन चुकी हैं। 17 जनवरी 1972 को प्रखण्ड सभा का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष डा० रामलगन ईशर चुने गये।

प्रखण्ड के 5 गांवों में चल रहे ग्रामकोष का अध्ययन किया गया है इन गांव की सामान्य जानकारी इस प्रकार है :—

सारणी सं०–4

	*	1	2	3	4	5
1.	परिवार सं०					
	भूमिवान—	45	14	5	133	45
	भूमिहीन—	80	4	60	138	73
2.	जनसंख्या—	640	86	238	1600	868
3.	कुल जमीन (एकड़)	163	36	35	105	53
4.	वीघा कट्ठा में निकल सकने वाली जमीन (एकड़)	5	1.60	75 डि०	2.50	3
5.	वीघा कट्ठा में वटी जमीन (एकड़)	4.37	1.60	75 डि०	1.20	3
6.	मजदूरी वाले परिवार	60	3	60	200	108
7.	भू-दान में वटी जमीन (एकड़)	—	4	—	19.37	8.40
8.	ग्रामदान में शामिल जनसंख्या (प्रतिशत)	90	100	99	78	95
9.	ग्रामदान में शा० जमीन का प्रतिशत	76	100	65	37	78

* 1–मतेलीक्षेम नारायण 2–मेहता टोला
2–आजाद दरगाह 4–झलारी
5–मैनमा

सर्वेक्षित गांव सामान्य एवं निम्न आर्थिक स्थिति के हैं। मेहता टोला को छोड़कर शेष सभी गांवों के अधिकांश परिवार निम्न आर्थिक स्थिति के हैं। मेहता टोला किसानों का एक जातीय गांव है। इस गांव में सभी परिवार कमाने खाने की स्थिति में है। सभी मेहनती किसान हैं। आजाद दरगाह मुस्लिम गांव है। सर्वेक्षित गांवों में परिवार संख्या देखते हुये जमीन का अनुपात काफी कम है। मेहता टोला एवं आजाद दरगाह में तो मात्र 35-35 एकड़ जमीन है। इस स्थिति में यहां के लोगों के पास दो ही रास्ते हैं (1) बटाई पर खेती करें या (2) मजदूरी करें। और प्रायः सभी विना जमीन वाले इन्हीं दो धन्धे में लगे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन दूसरे गांव में है। पर इस प्रकार के लोग गिने चुने हैं। जैसा कि उक्त तालिका से स्पष्ट है, सभी गांवों में बीघा कट्ठा में जमीन निकली है। पांच गांवों में से तीन गांवों में हिसाव से जितनी जमीन निकलनी चाहिये उतनी जमीन वीघा कट्ठा में बट चुकी है। मैतली क्षेमनारायण एवं झलारी में कुछ जमीन अभी वटनी है। लेकिन गांवों में ऐसे लोग भी हैं जो ग्रामदान में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामदान की शर्तों की पूर्ति की दृष्टि से प्रायः सभी शर्तें व्यवहारतः पूरी हो चुकी हैं। जमीन का अनुपात अत्यधिक कम होने के वावजूद लोगों ने वीघा कट्ठा में जमीन निकाली है।

सर्वेक्षित गांवों की मुख्य समस्या आर्थिक विकास के लिये साधन उपलब्ध करने की है। जिन किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है उनके लिये पूंजी विनियोग असंभव है। स्थिति यह है कि आज किसान इस आर्थिक स्थिति में नहीं है कि वैल खरीद सके। ग्रामदान के वाद भूमिहीनता मिटाने की दृष्टि से वीघा कट्ठा तथा भू-दान की जमीन वितरित की गयी हैं। इस वितरण के वाद मेहता टोला में एक भी भूमिहीन नहीं रहा। अन्य गांवों की ऐसी स्थिति नहीं है जहां इस श्रोत से भूमिहीनता मिटायी जा सके। फिर यह संभव भी नहीं कि केवल जमीन देकर गरीवी दूर की जा सके। इसके लिये तो जीविका के अन्य साधन सुलभ करने होंगें। हां, अच्छी खेती की सुविधा प्रदान करना भी आवश्यक है।

झाझा :—

मरौना, मुसहरी, रूपौली इन तीनों से भिन्न परिस्थिति का प्रखण्ड झाझा है। जहां उक्त तीनों प्रखण्ड समतल मैदानी भू भाग में है वहीं पूरा झाझा प्रखण्ड पहाड़ी है। भौगोलिक दृष्टि से वह विलकुल निम्न है। फिर उक्त

तीनों प्रखण्ड उत्तर विहार में हैं जब कि झाझा दक्षिण विहार में है। झाझा प्रखण्ड पटना से कलकत्ता जाने वाली मेन लाइन पर स्थित है। इसकी एक सीमा संथाल परगना से मिलती है और प्रखण्ड का एक भाग बंगाल की संस्कृति से प्रभावित है। पूरे प्रखण्ड में छोटी-छोटी पहाड़ियां एवं ऊबड़-खावड़ जमीन है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी का अभाव है। खेती प्राय: वर्षा पर निर्भर है। मुंगेर जिले का यह एक प्रखण्ड है। इस क्षेत्र में 1966–67 में भयंकर अकाल पड़ा था—वैसे अकाल यहां हमेशा रहता है। उत्पादन काफी कम है। प्रति एकड़ वार्षिक उत्पादन 12 मन हो जाय तो यहां के लोगों को सन्तोष हो जाता है। सामाजिक दृष्टि से हर स्तर के लोग हैं। परन्तु निम्न एवं मध्यम जाति के लोगों का बहुमत है। यहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये खेती पर निर्भर रहना संभव नहीं। फिर भी यहां के लोगों का मुख्य धन्धा कृषि है। कलकत्ता समीप है, पास के जिलों में कोयला एवं अन्य खनिज उद्योग भी हैं। इस कारण कृषि के अतिरिक्त यहां के लोगों की जीविका इन स्रोतों से चलती है।

1–पास पड़ोस में मजदूरी
2–बीड़ी बनाना,
3–कलकत्ता में नौकरी,
4–अन्य खनिज क्षेत्रों में मजदूरी
5–जंगल से लकड़ी काटना, पत्तल बनाना।

जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आवागमन की सुविधाओं का अभाव है। पास पड़ोस में कोई बड़ा शहर नहीं है। झाझा में बीड़ी बनाने का धन्धा अच्छा है। पूरा प्रखण्ड कठिन जीवन जीने का जीता जागता नमूना है।

प्राय: हर वर्ष अकाल की स्थिति रहने वाले इस क्षेत्र में ग्रामदान का कार्य आर्थिक विकास के साथ साथ प्रारम्भ हुआ। 1967 के अकाल के समय क्षेत्र में यहां के खादी एवं रचनात्मक संस्था के कार्यकर्ताओं का यहां की जनता से निकट का संपर्क हुआ। इस संपर्क में क्षेत्र के हर स्तर के लोगों से परिचय हुआ। ग्रामदान आन्दोलन अकाल सहायता एवं अन्य निर्माण कार्य का माध्यम बना। क्षेत्र के मुख्य कार्यकर्ता श्री शिवानन्द झा ने क्षेत्र के लोगों को संगठित किया। झाझा प्रखण्ड ऑक्सफॉम का भी कार्य क्षेत्र है। ऑक्सफॉम की ओर से कृषि विकास के लिये निर्माण कार्य में मदद दी जाती है। इस संस्था की ओर से अब तक इस प्रकार के कार्य किये गये हैं:—

1–सिचाई के लिये कुँआ, तालाब निर्माण,

2–पेय जल के लिये कुँआ निर्माण,

3–अच्छे बीज में एवं अन्य तकनीक की व्यवस्था,

4–कृषि तकनीक प्रशिक्षण।

उपरोक्त कार्य प्राय: उन्हीं गांवों में प्रारम्भ किये गये जहां ग्रामदान की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। जिन गांव के लोगों ने ग्रामदान की शर्तों को पूरा किया है और जहां की ग्रामसभा सक्षम है वहां ऑक्फॅम की ओर से निर्माण एवं प्रशिक्षण का कार्य चलता है। इस संस्था के माध्यम से समाज के गरीब मजदूर को काम मिला, रोटी मिली। कार्य की पद्धति यह है कि ग्रामसभा अपने गांव में निर्माण का कार्य देखती है। सारा कार्य ग्रामसभा के माध्यम से किया जाता है। निर्माण कार्य कमाओ और खाओ की पद्धति से किया जाता है। मजदूर काम करते हैं और उन्हें अन्न के रूप में मजदूरी दी जाती है। ऑक्सफॅम के कार्य को देखते हुये हम ये बातें कहने की स्थिति में हैं :—

1–इस प्रकार के निर्माण कार्य को देखकर लोगों में यह भावना बलवती होती है कि यदि हमने ग्रामदान किया तो हमारे यहां भी मदद मिलेगी।

2–व्यवहारत: समाज के अन्तिम वर्ग को काम मिलता है।

3–ग्रामदान के साथ-साथ आर्थिक विकास का काम भी प्रारम्भ होता है। इससे एक ओर तो लोगों में उत्साह आता है तो दूसरी ओर लोगों में दूसरों से अपेक्षा भी बढ़ जाती है।

जो हो, इस क्षेत्र में ग्रामदान और आक्सफॉम का कार्य दोनों साथ-साथ चलते रहे हैं। अब तक इस क्षेत्र में इस संस्था की ओर से निम्नलिखित रकम व्यय की जा चुकी है जिसका लाभ 87 ग्रामसभाओं को मिला।

सारणी सं०–5

वर्ष	—	व्यय की गयी रकम (रु०)
1968—	69	—215569.65
1970	—	110767.34
1971	—	125884.93
कुल		452221.92

झाझा प्रखण्ड में छोटे-बड़े कुल मिलाकर 180 गांव हैं, जिनमें 161 गांवों का ग्रामदान हुआ है। इन ग्रामदानी गांवों में अभी तक 116 गांवों में ग्रामसभायें बन चुकी हैं। 87 गांव ऐसे हैं जिन में गांव के लोगों ने ग्रामदान की शर्त के मुताबिक बीघा-कट्ठा जमीन भूमिहीनों में वितरित की है तथा ग्रामकोष संग्रह की शुरूआत भी करदी है। प्रखण्ड ग्रामस्वराज्य सभा नियमित कार्य कर रही है। क्षेत्र के निम्नलिखित गांवों में ग्रामकोष संबंधी जानकारी प्राप्त की गई है। (1) खुरण्डा (2) बनगांवां (3) महापुर (4) ताराकुड़ा। ताराकुड़ा मुस्लिम प्रधान गांव है। करीब 200 परिवारों के इस गांव की आबादी 1100 है। अधिकांश परिवार अत्यन्त गरीब हैं और 50 परिवारों के पास तो बिल्कुल जमीन नहीं है। इसी प्रकार महापुर, बनगांवा एवं खुरण्डा भी सामान्य आर्थिक स्थिति के गांव हैं। इन सामान्य गांवों में ग्रामकोष एक शुभ शुरूआत है।

सर्वेक्षित गांवों के बारे में सामान्य जानकारी इस प्रकार है :—

सारणी सं०–6

	गांव	जमीन (एकड़)	परिवार सं०	जनसंख्या	भूमिहीन परिवार
1.	खुरण्डा	150	64	600	25
2.	बनगांवा	80	40	300	2
3.	महापुर	400	300	1500	150
4.	ताराकुड़ा	500	200	1100	50

यहां जमीन संबंधी वे ही आंकड़े दिये गये हैं जिस पर कुछ न कुछ खेती होती है। प्रति एकड़ पैदावार कम होने के कारण यह जमीन बहुत अपर्याप्त है। यहां के लोगों का एक मुख्य धन्धा बीड़ी बनाना है। बीड़ी बनाने से काफी लोगों को रोजगार मिलता है। एक पुरुष दिन भर में करीब 2 रुपये मजदूरी के प्राप्त कर लेता है।

तृतीय अध्याय

ग्रामकोष संग्रह की पद्धति

मरौना, मुसहरी, रूपौली और झाझा, इन चारों प्रखण्डों में ग्रामकोष का कार्य चल रहा है। अध्ययन की गहराई में जाने की दृष्टि से इन क्षेत्रों में कुछ चुने गए गांवों का सर्वेक्षण किया गया। इन क्षेत्रों के बारे में सामान्य जानकारी पिछले अध्याय में दी जा चुकी है। इस अध्याय में ग्रामकोष संग्रह सम्बन्धी तथ्यों पर विचार किया जायगा। इन चार क्षेत्रों में से निम्नलिखित गांवों का सर्वेक्षण किया गया है :—

सारणी सं०–7

सर्वेक्षित गांव

गांव	ग्राम पंचायत	प्रखण्ड
1. नवटोल	1. जोवहा	मरौना
2. अरहा	,,	
3. दानापुर	2. हड़री	
4. कोनी गनौरा	,,	
5. सिरखड़िया	,,	
6. खुशियाली	3. मरौना	
7. मादापुर	4. पताही	मुसहरी
8. सुस्ता	5. शेरपुर	
9. मावोपुर	6. सलहाजलालपुर	
10. मतेलीक्षेमनारायण	7. रूपौली	रूपौली
11. मेहताहोला	8. ओझाकोपा	
12. आज़ाद दरगाह	9. रामपुर परिहार	

13. लारी	10. झलारी	
14. मैनमा	11. महुवल्ला	
15. खुरण्डा	12. खुरण्डा	झाझा
16. वनगांवा	13. सिमुलतला	
17. महापुर	14. वरमिसिया	
18. ताराकुड़ा	15. छाया	

प्रारम्भ

प्राय: सभी गांवों में पिछले दो-तीन वर्षो से ग्रामकोष संग्रह का कार्य चल रहा है। स्थिति यह देखने को मिली कि ग्रामकोष संग्रह का कार्य ग्रामदान की शर्तों की पूर्ति के साथ-साथ प्रारम्भ होता है। मरौना, मुसहरी एवं रूपौली इन तीनों प्रखण्डों में ग्रामदान पुष्टि का कार्य 1970 से या इसके वाद प्रारम्भ हुआ है। वैसे प्रयास यह रहता है कि ग्रामदान घोषणा के वाद ही ग्रामकोष संग्रह प्रारम्भ हो जाय, परन्तु कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण कोष के कार्य में देर हो जाती है। इन कठिनाइयों पर अन्यत्र विचार किया जायगा। सर्वेक्षित गांवों में से 14 में 1971 में ग्रामकोष आरम्भ हुआ, 2 गांवों में 1970 में और मरौना तथा झाझा के दो गांवों में ग्रामकोष संग्रह 1968 में प्रारम्भ किया गया था।

ग्रामकोष संग्रह की प्रक्रिया का प्रारम्भ ग्रामसभा गठन के वाद प्रारम्भ होती है। ग्रामकोष गांव वालों के लिए नयी चीज तो नहीं है पर पिछले वरसों में विकास के कामों के वास्ते जो परमुखापेक्षिता गांव में वढ़ी है उसके कारण यह जरूर अव नयी वात मालुम होती है। ग्राम विकास एवं गांव वालों के तात्कालिक लाभ के लिए एक कोष जमा हो इसे गांव के लोग लाभप्रद मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि गांव के पास यदि अपना कोष हो तो समय पर काम दे सकता है, काम देता भी है। लेकिन इस संबंध में कुछ प्रश्न उठते हैं। आज सभी कार्यो के लिए सरकार की ओर देखा जाता है और इसके लिए सरकार पर्याप्त कर भी लगाती है। तो क्या कर के साथ-साथ कोष संग्रह भी आवश्यक है, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि कर भी दें और कोष भी ? गांव में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हर प्रश्न को अपने को मिलने वाले लाभ के कोण से देखते हैं। इसमें उनको क्या मिलेगा ? जितना दिया इससे ज्यादा

मिलने की संभावना है या नहीं ? व्यावहारिक स्थिति यह वनती है कि ग्राम-कोष का लाभ प्रायः सार्वजनिक कार्यों में व्यय होता या जरूरतमंद गरीवों के काम आता है। इस स्थिति में कुछ संपन्न व्यक्ति के इस ओर व्यावहारिक पक्ष पर विचार करने पर उपरोक्त सवालों का खास अर्थ नहीं रह जाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है ग्रामकोष आरम्भ के समय उक्त प्रकार के प्रश्न ग्रामसभा के कुछ सदस्यों की ओर से उठाये जाते हैं, लेकिन ये सवाल सवाल नहीं रह जाते हैं और कोष संग्रह पर सबकी सहमति प्राप्त हो जाती है। जो लोग ग्रामदान में शामिल हो जाते हैं वे ग्रामकोष से असहमत नहीं मिले। हां, विचार सफाई में कमी के कारण मन में शंका की गुंजाइश रहती है।

ग्रामकोप संग्रह के प्रचलित नियम इस प्रकार हैं–(1) प्रत्येक परिवार उत्पादन में से 1 मन में 1 सेर अन्न दे (2) मजदूर माह में 1 दिन की मजदूरी या श्रम दे (3) नौकरी करने वाले 1 दिन का वेतन दें और (4) व्यापारी 1 दिन का लाभ दे। सभी ग्रामसभाएं उक्त नियम को सिद्धान्ततः स्वीकार करती है।

शर्त का निर्धारण

सिद्धान्ततः उक्त नियम स्वीकार करने के वावजूद सभी जगह संग्रह के नियम एक से देखने को नहीं मिले। ग्रामसभा निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करके संग्रह करती देखी गयी :—

1. कोष संग्रह की शर्तों के वारे में ग्रामसभा की जिस प्रकार की राय वनती है संग्रह की शर्तें उसी प्रकार की वनायी जाती है।

2. गांव की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति पर भी संग्रह की शर्तें निर्भर करती हैं। गांव में मध्यम एवं छोटे किसान का अनुपात क्या है, मजदूर एवं अन्य गरीव समुदाय की स्थिति एवं मानस कैसा है–इन वातों का संग्रह की नीति पर प्रभाव पड़ता है।

3. विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों का (1) कोप संग्रह के सम्वन्ध में कैसा मानस है (2) कोष में देने की किसकी कितनी क्षमता है–इसका भी असर ग्रामकोप के संग्रह की नीति पर पड़ता है।

4. उत्पादन भी कोप-संग्रह को प्रभावित करता है। ऐसा देखा गया है कि जहां अच्छी पैदावार होती है, वहां कोप-संग्रह में सुविवा होती है साथ ही साथ वहां कोप-संग्रह में पारिवारिक योगदान की मात्रा भी अधिक रहती

है। यदि पैदावार कम होती है या अकाल की स्थिति है, तो अधिक मात्रा संग्रह संभव नहीं होता। देखा यह गया है कि उत्पादन की मात्रा कोष-संग्रह में अधिक प्रभाव डालती है बजाय कि नकद आय के।

विभिन्न गांवों में संग्रह की शर्तें इस प्रकार देखने को मिलीं :—

मरौना—

मरौना प्रखण्ड के नवटोल में प्रारम्भ में यह प्रयास रहा कि एक मन में एक सेर अन्न जमा हो। इस हिसाब से जमा भी किया गया। ग्रामसभा यह मानती है कि मन में सेर का नियम ठीक है। परन्तु प्रारम्भ में, जबकि लोग ग्रामकोष देने के अभ्यस्त नहीं है, इस नियम का पालन नहीं हो पाता है। यहां के लोगों ने स्वीकार किया कि मन में सेर जमा करने में कई कठिनाइयां आती हैं। जैसे (1) किस किसान के यहां कितना उत्पादन हुआ, उसका सही अंदाज नहीं लग पाता है (2) हर फसल में उत्पादन का अंदाज लगाकर वसूल करना ग्रामसभा के लिए परेशानी का कार्य हो जाता है।

3–अन्ततः "मन में सेर" व्यवहार में किसान के "अपने मन का सेर" हो जाता है। देखा यह गया कि उत्पादन काफी कम बताया जाता है। उस हिसाब से ग्रामकोष की राशि कम हो जाती है। मन में सेर का नियम स्वीकार करने पर लोग अपनी इच्छानुसार देते हैं। परिणाम स्वरूप स्वेच्छा से जितना दे दिया वही मन में सेर मान लिया गया।

जहां तक मजदूरों का सवाल है नवटोल में यह नियम रखा है कि माह में एक दिन की मजदूरी ग्रामकोष में जमा की जाय। पर जैसा कि यहां के लोगों ने स्वीकार किया, यह नियम अभी नहीं चल पा रहा है। मजदूरों से कोष जमा करने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं।

दानापुर गांव में 1968 से ग्रामकोष व्यवस्थित रूप से चला रहा है। इस ग्रामसभा ने 1968 में मन में एक सेर देने के नियम के साथग्राम-कोष की शुरूआत की थी। यह नियम 1970 तक चला। यह नियम व्यहार में जिसने जितना उत्पादन बताया और जितना दिया वही वसूल हुआ बन गया। इस प्रकार जिसके मन में जितना देने का विचार हुआ वही उसका मन सेर माना गया। इस परिस्थिति में मजदूर भी इस बात के लिये स्वतंत्र रहे कि वे जितना चाहे कोष में जमा करें। हां, ग्रामसभा ने उनके लिये माह में एक दिन की मजदूरी का नियम घोषित किया। दानापुर में किसान और मजदूर दो ही धन्धे के लोग हैं। ग्रामसभा के लोगों की राय

में मन में सेर के नियम में काफी अस्पष्टता रहती है। कौन कितना दे उसका सही अंदाज नहीं लगाया जा सकता। अन्ततः सब स्वेच्छा पर छोड़ना पड़ता है। फिर आज जिस प्रकार की सामाजिक नैतिकता है उसमें स्वेच्छा पर छोड़ देने पर नियमनुसार कोष नहीं जमा हो पाता है। काफी विचार विनिमय के वाद 1971 में दानापुर की ग्रामसभा द्वारा कोष संग्रह की शर्तों में परिवर्तन का निर्णय किया गया। सर्व-सम्मति से यह निर्णय किया गया कि 1971 से निम्नलिखित नियमानुसार कोष संग्रह किया जाय—

1–किसान से प्रति वीघा वार्षिक 20 सेर अन्न ग्रामकोष में लिया जाय।

2–मजदूर महीने में एक दिन की मजदूरी या श्रम ग्रामकोष में दे।

अतः 1971 से उक्त नियमानुसार कोष संग्रह प्रारम्भ किया। किसानों को इस वात की छूट दी गयी कि वे जो चाहें वह अन्न दे सकते हैं। ग्रामसभा इसे या तो धान में परिवर्तन करती या नगद में। यहां की जो स्थिति है उसमें प्रायः सभी लोग धान जमा करते हैं। ग्रामसभा को इस वात की छूट दी गयी है कि यदि किसी वर्ष कम उत्पादन हुआ या कोई खास परिस्थिति हो तो इस शर्त में परिवर्तन करे। मजदूर महीने में एक दिन का श्रम, अन्न या नकद किसी भी रूप में जमा कर सकते हैं।

मरौना प्रखण्ड के अन्य गांवों में कोष संग्रह की शर्तें अभी तक व्यवस्थित नहीं कही जा सकती हैं। कोनीगनौरा, सिरखड़िया एवं खुशियाली की ग्रामसभा ने मन में एक सेर का नियम रखा है। लेकिन यहां भी व्यवहारतः 'स्वेच्छा का योगदान' ही रहता है। इन गांवों में संग्रह में मुख्य योगदान किसानों का रहता है। मजदूर प्रायः नहीं जमा करा पाते हैं।

कुल मिलाकर मरौना प्रखण्ड में कोप संग्रह की शर्तों की यह स्थिति है—

(क) प्रायः सभी गांवों में (1) किसानों से मन में सेर देने का नियम रखा है। सालभर में कुल जितना उत्पादन हुआ उसका मन में सेर का नियम है। (2) मजदूरों से एक माह में एक दिन की मजदूरी-अन्न, श्रम या नकद-लेने का नियम है।

(ख) व्यावहारिक स्थिति यह वनती है कि उक्त नियम में किसान स्वेच्छा का अर्थ स्वीकार करते हैं और जिसकी जितनी इच्छा होती है उतना देता है।

(ग) लोग नियमानुसार कोष में जमा करें इसलिए दानापुर में ग्रामकोष ने प्रत्यक्ष उपज की अपेक्षा जिसकी जितनी जमीन है उसके हिसाब से कोष संग्रह का नियम बनाया।

मुसहरी:—

मुसहरी के मादापुर गांव में ग्रामकोष संग्रह की शर्तें स्वच्छा से दान की शर्त रखी गयी है। ग्रामसभा के मतानुसार आज की परिस्थिति में मन में एक सेर का संग्रह संभव नहीं है। लोग अन्ततः स्वेच्छा से ही देते हैं तो स्वेच्छा का नियम ही क्यों न रखा जाय। यहां का वातावरण इतना अनुकूल नहीं है कि सभी किसानों से संग्रह किया जा सके, फिर भी ग्रामसभा अधिक से अधिक किसानों से संग्रह का प्रयास करती है। शहर के समीप होने के कारण यहां तीन प्रकार के लोग हैं। (1) किसान (2) मजदूर (3) नौकरी करने वाले। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रामीण धन्धों में लगे हैं। कुछ परिवार व्यापार में भी लगे हैं, लेकिन उनकी भी जीविका का मुख्य आधार कृषि है। ग्रामसभा का मानस भी यही है कि ग्रामकोष में उक्त तीन प्रकार के कार्यों में लगे लोगों की आय से ग्रामकोष जमा होगा। मादापुर में अभी मुख्य दो स्रोतों से कोष जमा होता है: (1) किसानों से प्राप्त अन्न (2) मजदूर से प्राप्त आय श्रमशक्ति को भी ग्रामकोष में संग्रहीत किया है, हिसाब रखा है। नौकरी तथा अन्य धन्धों में लगे लोगों का कोष में नहीं के बराबर योग है।

सुस्ता में अभी कोष की प्रारंभिक स्थिति है। इस गांव में अधिकांश लोग गांव के बाहर काम करने वाले हैं। खासकर शहर जाकर मजदूरी करते हैं। मजदूरी के अतिरिक्त नौकरी करने वालों की संख्या भी पर्याप्त है। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया, इस गांव में किसानों की संख्या गिनी चुनी है। जो बड़े किसान हैं वे अभी ग्रामदान से अलग हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह बनती है कि श्रमिक मजदूर एवं नौकरी वालों का ही ग्रामकोष में मुख्य योगदान रहता है। लेकिन व्यवहार में ग्रामसभा इतनी सक्रिय नहीं है कि सबसे ग्रामकोष की रकम वसूल की जा सके। ग्रामकोष के लिये इन्कार किसी को नहीं है। परन्तु रोज कमाने-रोज खाने की स्थिति में ग्रामकोष नियमित निकालना नहीं सध पाता है। यही कारण है कि अभी ग्रामकोष में जो जितना दे, वही उसकी शर्त है। हां, ग्रामसभा इस प्रयास में है कि माह में एक दिन की आय सब लोग दें।

ऐसा देखा गया कि जिस ग्रामसभा के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष सक्रिय हैं, उत्साही हैं तथा गांव में लोकप्रिय हैं वहां कोष संग्रह की नियमितता सध जाती है। मुसहरी के माधोपुर ग्राम की स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। वहां का नेतृत्व जागृत है। ये लोग हर कार्य के लिये स्वयं प्रयत्नशील रहते हैं। माधोपुर ग्रामसभा प्रारंभ से ही सक्रिय रही है। इसी सक्रियता का परिणाम है कि यहां "एवार्ड" की ओर से निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है और इस कार्य को ग्रामसभा के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

माधोपुर ग्रामसभा के मंत्री जी ने बताया कि हम चाहते हैं कि ग्रामसभा के पास अच्छी खासी रकम हो। पर इसके लिये काफी सक्रियता की आवश्यकता है। समय पर वसूली करना एक बड़ा कार्य है। अभी ग्रामसभा ने निम्नलिखित शर्तों के अनुसार ग्रामकोष जमा करने का निर्णय किया है :—

1–प्रत्येक किसान अपनी वार्षिक उपज की कुल मात्रा का मन में एक सेर के हिसाब से ग्रामकोष में जमा करे। इसके लिए जमीन और उससे होने वाले उत्पादन का हिसाब लगाकर प्रत्येक किसान से लेना चाहिये। इस प्रक्रिया में उत्पादन आंकने की अस्पष्टता रहती है पर इससे धीरे-धीरे सामाजिक नैतिकता विकसित होने का मौका भी मिलता है।

2–प्रत्येक मजदूर माह में एक दिन की मजदूरी ग्रामकोष में जमा करे। अभी यहां "एवार्ड" की ओर से निर्माण का कार्य चल रहा है। गांव के अधिकांश मजदूर यहां काम करते हैं और मजदूरी लेने के बाद एक दिन की मजदूरी ग्रामकोष में जमा करा देते हैं। आगे यह योजना है कि श्रम के रूप में श्रम ही जमा किया जाय और ग्रामसभा उस श्रम का उपयोग निर्माण-कार्य में करें।

3–व्यापारियों से आधा प्रतिशत लिया जाता है। यह प्रतिशत माल की कुल कीमत पर लिया जाता है, लाभ पर नहीं। इस क्षेत्र में तम्बाकू की अच्छी खेती होती है। बाहर के, कभी कभी गांव के भी, व्यापारी तम्बाकू की खरीद करते हैं। उनसे यह रकम वसूल की जाती है।

अभी नौकरी करने वालों से ग्रामकोष में नहीं जमा किया जा सका है।

रूपौली :—

रूपौली प्रखण्ड में अधिकांश लोग किसान-मजदूर हैं। मुसहरी की तरह शहर के काम करने वाले यहां नहीं मिलेंगे। यहां की परिस्थिति कुछ हद तक सहरसा से मिलती जुलती है। जहां तक ग्रामकोष का प्रश्न है यहां के लोगों ने

अब तक उसे किसानों तक सीमित रखा है। हां, मंशा यह है कि इस कोष में श्रमशक्ति को भी शामिल किया जाय। नकद जमा किया जाय इसके लिये सेन्ट्रल बैंक की स्थानीय शाखा का अच्छा सहयोग है। सभी सर्वेक्षित गांवों का खाता स्थानीय बैंक में है और ग्रामकोष की रकम वहां जमा है।

जहां तक कोष जमा करने की शर्तों का सवाल है मतेली क्षेमनारायण की ग्रामसभा अभी तक केवल किसानों से ही कोष की वसूली करती रही है। मजदूरों से अभी तक नहीं लिया गया है। यहां के युवा मंत्री की राय में यहां के मजदूर जिस गरीबी में जीवन-व्यतीत करते हैं उसमें कोष की रकम वसूल करना कठिन दिखता है। किसान भी जिस परिस्थिति में है उसमें दबाव डालकर या बार-बार तकाजा करके वसूल करने की हिम्मत नहीं होती। परिणाम-स्वरूप व्यक्ति की स्वेच्छा यहां की शर्त है। यही स्थिति मेहता टोला की भी है। आजाद दरगाह के लोग अधिक उत्साही दिखे। यहां जातीय एकता का भान विशेष है। उत्साही मंत्री ग्रामकोष की रकम से बहुत कुछ करना चाहते हैं। सीमित शक्ति होते हुये भी ग्रामसभा कोष के माध्यम से कुछ कर सकेगी, ऐसी संभावना है। यही कारण है कि यहां की ग्रामसभा मन में सेर के हिसाब से कोष जमा करने को तत्पर है। मजदूर भी एक दिन की मजदूरी दे इसका पूरा प्रयास रहता है। रूपौली के अन्य सर्वेक्षित गांवों में भी ग्रामकोष की शर्त में किसानों का योगदान मुख्य है। यहां के लोगों की राय में (1) अभी प्रारंभिक स्थिति होने के कारण गांव के लोग कोष के महत्त्व को नहीं समझ सके हैं। इस कारण सबका एकसा सहयोग नहीं मिल पाता है। (2) फिर, क्षेत्र की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुये कोष में जमा करने को बहुत कहना उनके प्रति अन्याय सा लगता है। लोगों का विश्वास है कि स्थिति सुधरने पर कोष संग्रह की शर्तों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।

झाझा:—

झाझा प्रखण्ड, जैसा कि ऊपर कहा गया है, समस्या-प्रधान प्रखण्ड है। इस प्रखण्ड के लोगों की आय का स्रोत जमीन होते हुये भी उसमें अन्य धन्धों का योगदान अधिक रहता है। जमीन कम उपज देने वाली है। इसलिए रोजी-रोटी की तलाश में बाहर जाने वालों की संख्या पर्याप्त है। यहां का स्थानीय धन्धा बीड़ी बनाना है। जंगल में प्राप्त होने वाली लकड़ी एवं पत्ते की आय भी जीवन को राहत पहुँचाती है। यहां कोष की शर्तें किसके लिये क्या रखी जाय यह भी एक सवाल है। ग्रामस्तर पर इस सवाल को हल करने

की अपेक्षा क्षेत्र स्तर पर हल करना ज्यादा लाभकर होगा। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है यहां कृषि के अतिरिक्त बीड़ी के धन्धे से एक व्यक्ति एक दिन में करीब 2 रु० कमा लेता है। यहां की ग्रामसभाओं ने ग्रामकोष की शर्तों में बीड़ी से होने वाली आय को भी शामिल किया है। अभी ग्रामसभा ने कोष संग्रह में स्वेच्छा से योगदान को ही स्वीकार किया है। बीड़ी बनाने वालों से माह में एक दिन की आय अर्थात् 2 रु० प्रतिमाह लें ऐसा माना गया है। लेकिन अनुभव यह बताता है कि सभी बीड़ी बनाने वाले इस हिसाब से कोष में नहीं जमा करा पाते हैं। जो लोग बाहर काम करते हैं उनका सहयोग प्रायः नहीं मिल पाता है। कुल मिलाकर स्थिति यह बनती है कि किसानों का योगदान ही मुख्य रहता है। जिन गांवों में "ऑक्सफॅम" की ओर से निर्माण-कार्य चल रहा है वहां मजदूरी करने वाले मजदूरों से कोष संग्रह नियमित होता है। इस प्रकार के मजदूर माह में एक दिन की मजदूरी ग्रामकोष में जमा कराते हैं।

विभिन्न प्रखण्डों में कोष संग्रह की शर्तों में सूक्ष्म अन्तर अवश्य है। लेकिन सामान्य मान्यता है कि जो नियम ग्रामदान में प्रचलित हैं उसी हिसाब से कोष संग्रह किया जाय। जिन गांवों में 3-4 वर्षों से ग्रामकोष का कार्य चल रहा है वहां के लोग संग्रह की शर्तों में परिवर्तन के पक्ष में हैं। परन्तु यह परिवर्तन किस प्रकार का हो-यह अभी साफ नहीं हो पाया है। ग्रामकोष का संग्रह नियमित रूप से हो इसके लिये आवश्यक है कि (1) नियमानुसार सबका नियमित सहयोग मिले। कुछ के देने और कुछ के न देने से कई प्रकार की परेशानियां बढ़ती हैं। (2) कोष संग्रह की शर्त इस प्रकार की हो जिससे बिना परेशानी के सबको यह मालूम हो जाय कि कितना देना है। (3) ग्रामसभा के पास उतनी प्रेरणा-शक्ति हो कि सबसे वसूल कर सके। (4) साथ ही साथ इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे लोगों को अन्न या नगद देने को बाध्य न होना पड़े। साफ है श्रम को ग्रामकोष के साथ जोड़ा जाय। इसके लिये जरूरी है कि श्रम का उपयोग पूंजी के रूप में करने की पद्धति विकसित की जाय।

कोष संग्रह:—

भिन्न सर्वेक्षित प्रखण्डों के विभिन्न गांवों में अपनी शक्ति अनुसार कोष का संग्रह किया गया है। आगे हम दो बातों पर विचार करेंगे। (1) ग्रामकोष में जमा की गयी राशि (2) गांव की आर्थिक स्थिति के अनुसार जमा की जा सकने वाली राशि।

मरौना प्रखण्ड के सर्वेक्षित गांवों में कोष संग्रह की स्थिति इस प्रकार रही है।

सारणी संख्या–8

कोष-संग्रह–मरौना

गांव	1968 मन सेर	रु.	प. सं.	1969 मन सेर	रु.	प. सं.	1970 मन सेर	रु.	प. सं.	1971 मन सेर	रु.	प. सं.	1972 मन सेर	रु.	प. सं.
1. नवटोल	— —	—	30	— —	—		— —	—		3 —	—	30			
2. घरहा	— —	—		— —	—		— —	—		6 —	125				
3. दानापुर	16–22	—	50	10–11	—	50	5–14	—	54	4–4	—	55	30–13	1000	—
4. कोनीगनौरा	— —	—		— —	—		— —	—		6 —	—	62	5 —		—
5. सिरखड़िया	— —	—		— —	—		— —	—		11 —	—	50	22 —		—
6. खुशियाली	— —	—		— —	—		— —	—		— —	260	10	— 30		10

कोष संग्रह की उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रायः सभी गांवों में अभी प्रारम्भिक स्थिति है। मरौना के अधिकांश गांवों में ग्रामकोष 1971 से प्रारम्भ किया गया है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण अन्न का संग्रह अधिक है। जहां तक संग्रह का सवाल है दानपुर ग्रामसभा के पास अपना संग्रह गृह है। अन्य गांवों में यह संग्रह इस रूप में किया जाता है। (1) कोषाध्यक्ष के घर पर अन्न जमा रहता है। (2) अनाज बेच कर नकद राशि अध्यक्ष, मंत्री या कोषाध्यक्ष के पास जमा रहती है यह भी देखा गया कि संग्रहीत ग्रामकोष का उपयोग किसी न किसी मद में होता रहता है। इस कारण नकद जमा कम हो पाता है।

मुसहरी प्रखण्ड में ग्रामकोष का कार्य 1970–71 से प्रारम्भ किया गया। इस क्षेत्र में कोष संग्रह की स्थिति इस प्रकार है।

सारणी संख्या–9

कोष संग्रह—मुसहरी

गांव	1971			1972		
	मन सेर	रु.	प. सं.	मन सेर	रु.	प. सं.
1. मदापुर	–	–	–	– –	2500	130
2. सुस्ता	–	375	105	– –	1118	105
3. माधोपुर	7–27	–	–	14–20	–	135

ऊपर हमने मरौना एवं मुसहरी क्षेत्रों के सर्वेक्षित गांवों में कोष संग्रह का मोटा हिसाब देखा। यहां सहज ही सवाल उठता है कि उक्त संग्रह गांव में कितने लोगों द्वारा किया गया है। सर्वेक्षण से साफ जाहिर होता है कि इसमें सबका सहयोग नहीं मिल पाता है और न ही जितना सहयोग मिलता है उसमें सबका समान योग रहता है। कुछ लोग कम देते हैं तो कुछ लोग ज्यादा। ऐसे लोग भी हैं जो किन्हीं परिस्थितियों से बिलकुल ही सहयोग नहीं करते हैं, पर सहयोग से इन्कार नहीं करते हां परिस्थितिवश सहयोग नहीं कर पाते हैं। मरौना के नवटोल में 90 प्रतिशत ने कुछ न कुछ योग दिया है। जबकि अरहा में कमोबेश सबने दिया है। दानापुर ग्रामसभा की स्थिति यह रही कि सर्वेक्षित

वर्षों में 40-50 प्रतिशत परिवारों ने ग्रामकोष संग्रह में योगदान दिया। इस गांव के किसानों में प्रायः सबने कोष में योग दिया परन्तु मजदूर वर्ग उस योग से अलग रहा। कोनीगनौरा में सहयोग देने वालों का यह प्रतिशत 60 रहा। खुशियाली में प्रथम वर्ष तो गिने चुने लोगों ने योग दिया। मुसहरी के मादापुर जैसे गांव में सबका सहयोग नहीं मिला। फिर भी यदि कुछ न कुछ देने वालों को लें तो सहयोगियों का प्रतिशत 60 के आसपास पहुंचता है। सुस्ता जैसे मजदूर प्रधान गांव में सहयोगियों का प्रतिशत 50 है। किसानों की संख्या कम होने के कारण यहां नगद देने वालों की संख्या अधिक है। माधोपुर जैसे बड़े गांव में यह प्रतिशत 50 से 60 तक रहा। मुख्य सहयोग किसानों एवं मजदूरों का रहा।

रूपौली क्षेत्र में सर्वेक्षित गांवों में कोष संग्रह की स्थिति इस प्रकार रही—

सारणी संख्या—10
कोष संग्रह—रूपौली

गांव	1971			1972		
	मन सेर	रु.	प. सं.	मन सेर	रु.	प. सं.
1. मतेलीक्षेमनारायण	1–20		2	9·27	25	52
2. मेहताटोला		391	16	—	—	—
3. आजाद दरगाह		64	55		600	55
4. झलारी		53	30		141	30
5. मैनमा	10 –		102	8	97	100

उक्त तालिका में जो रकम जमा है उसके जमाकर्त्ताओं की संख्या मतेलीक्षेत्रनारायण में 30 से 40 प्रतिशत है। परन्तु मेहता टोला में यह प्रतिशत ऊंचा है। एक परिवार को छोड़कर सबने उसमें योग दिया है। आजाद दरगाह में भी सहयोगियों की संख्या काफी है। 1971 के वर्ष में शत-प्रतिशत लोगों ने सहयोग दिया था। 1972 के फरवरी माह तक अधिकांश परिवारों ने कुछ न कुछ जमा किया था। परन्तु झलारी में यह प्रतिशत काफी कम है। इस गांव में 10 प्रतिशत लोगों का ही सहयोग रहा। मैनमा की स्थिति अच्छी है। यहां ग्रामकोष में जमाकर्त्ताओं का प्रतिशत 80 से 90 तक है।

झाझा में कोष संग्रह की स्थिति इस प्रकार है।

सारणी संख्या—11

कोष संग्रह—झाझा

गांव	1969			1970			1971			1972		
	मन सेर	रु०	प. सं.	मन सेर	रु०	प. सं	मन सेर	रु०	प. सं.	मन सेर	रु०	प. सं.
1. खुरण्डा	–	–	–	–	–	–	1·25	263	20	–	–	–
2. बनगावां	2.35	10	25	–	162	30	–	30	30	2·35	.10	35
3. महापुर	–	–	–	–	–	–	–	275	160	–	100	160
3. ताराकुड़ा	–	–	–	–	–	–	–	165	70	1 7	585	80

इस प्रखण्ड में कोष की रकम भले ही कम हो पर ग्रामदान का कार्य कई वर्षों से चल रहा है, फलस्वरूप ग्रामकोष की समस्याओं से परिचितों की संख्या पर्याप्त है। खुरण्डा में ग्रामकोष का कार्य काफी पहले प्रारम्भ हुआ था। परन्तु स्थानीय मनमुटाव के कारण उसे बन्द करना पड़ा। ग्रामदान पुष्टि के बाद 1971 में पुनः कोष-संग्रह का कार्य प्रारम्भ किया गया और जो भी रकम जमा हो सकी है वह शत प्रतिशत लोगों के सहयोग का परिणाम है। नये नेतृत्व द्वारा नये जोश के साथ कोष संग्रह का कार्य प्रारम्भ किया गया है। खुरण्डा एवं बनगांव। दोनों 'ग्राम भारती' सिमुलतला कर पड़ोसी गांव हैं। उन गांवों का सीधा सम्पर्क आश्रमों से रहता है। बनगांवा में 1968 में कोष संग्रह प्रारम्भ हुआ और अनियमित रूप से चलता रहा। 1971 के वर्ष में इसे व्यवस्थित किया गया। 1968–69 में इसमें सहयोगियों का प्रतिशत 30 के आस पास था। परन्तु 1971–72 में शत प्रतिशत लोगों ने इसमें योग दिया। महापुर में सहयोग करने वालों का प्रतिशत 60 से 75 प्रतिशत तक रहा। यही स्थिति ताराकुड़ा की है। जहां 70 से 80 प्रतिशत परिवारों ने ग्रामकोष में योग दिया है।

अब संग्रह पक्ष के दूसरे मुद्दे पर विचार करें। उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने पर इस बात की जानकारी मिलती है कि कोष की अभी प्रारम्भिक स्थिति है। इस स्थिति में नियमानुसार कोष नहीं जमा हो सका है। अब तक जो भी संग्रह हुआ वह स्वेच्छापूर्वक योगदान का परिणाम है। लेकिन सभी ग्राम सभाओं ने स्वीकार किया कि ग्रामकोष नियमित निकलना चाहिये। यदि ग्रामकोष नियमित निकाला जाय तब गांव के पास कितना कोष संग्रह हो सकता है, यह विचारणीय प्रश्न है। वैसे यह माना गया है कि ग्रामीण आय के प्रत्येक स्रोत का अंश ग्रामकोष में आये। किसान, मजदूर, व्यापारी, नौकरी वाले तथा अन्य धन्धों में लगे सभी लोगों का अंश इसमें आये। परन्तु व्यवहार में ऐसा देखा गया कि किसानों का योग मुख्य रहा है। ग्रामीण मानस को देखते हुये कोष संग्रह के बारे में ये बातें कहीं जा सकती हैं।

1—ग्रामीण मानस को देखते हुये अभी ग्रामकोष में मुख्य योगदान किसानों का मानना चाहिये और उत्पादन में से हिस्सा प्राप्त करने की दृष्टि से संग्रह की व्यवस्था करनी चाहिये।

2—नौकरी, व्यापारी एवं अन्य स्रोतों से नियमित आय प्राप्त होने की कठिनाइयों को देखते हुये इन स्रोतों से संग्रह के लिये विशेष प्रयास किया जाना चाहिए।

3—श्रमिकों से श्रम के रूप में योगदान लेना चाहिये।

कोष संग्रह की संभावना

उक्त संग्रह को ध्यान में रखकर सर्वेक्षित गांवों में ग्रामकोष की संभावित राशि का हिसाव लगाया जा सकता है। यहां केवल किसानों से या यों कहें उत्पादन से प्राप्त होने वाले हिस्से पर विचार करेंगे। फिलहाल जमीन को ग्रामकोष का आधार मानें तो गांव के कुल उत्पादन से प्रति वर्ष ग्रामकोष में जितना संग्रह हो सकता है इसे नीचे की तालिका में देखा जा सकता है।

सारणी सं० 12

ग्रामकोष का संभावित वार्षिक संग्रह

गांव	खेती की कुल जमीन (वीघे में)	प्रति वीघा संभावित वार्षिक उपज (मन में)	ग्रामकोष में वार्षिक संग्रह (मन में) (रु.)
1. नवटोल	49	50	61– 2440.00
2. अरहा	134	50	167– 6680.00
3. दानापुर	100	40	100– 4000.00
4. कोनीगनौरा	406	35	355–14200.00
5. सिरखड़िया	207	30	155– 6200.00
6. खुशियाली	247	40	247– 9880.00
7. मादापुर	150	40	150– 6000.00
8. सुस्ता	50	40	50– 2000.00
9. माधोपुर	366	30	274–10960.00
10. मतेलीक्षेमनारायण	162	35	141– 5640.00
11. मेहताटोला	35	30	27– 1080.00

12.	ग्राजाद दरगाह	35	25	22– 880.00
13.	भलारी	105	18	47– 1880.00
14.	मैनमा	53	26	45– 1800.00
15.	खुरण्डा	160	10	37– 1480.00
16.	वनगांवा	80	11	22– 880.00
17.	महापुर	400	25	250–10000.00
18.	ताराकुड़ा	500	20	250–10000.00

स्पष्ट है जो राशि जमा की गई है और जो जमा की जा सकती है उसमें काफी अन्तर है। इस अन्तर को तो तभी दूर किया जा सकता है जब कोष संग्रह का कार्य नियमित चले। प्राय: सभी गांवों में कोष संग्रह प्रारम्भ 1970–71 वर्ष में हुआ है। ग्रामसभा अभी संगठन की प्रक्रिया से गुजर रही है। ग्राम नेतृत्व ज्यों-ज्यों मजबूत होगा ग्रामकोष का कार्य भी सघनता प्राप्त करेगा।

ग्रामकोष और ग्राम नेतृत्व

ग्रामकोष ग्राम नेतृत्व से अवश्य प्रभावित होता है। खास कर कोष संग्रह में ग्राम नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कार्य में ग्राम नेतृत्व की कई स्थितियां पाई गई :— (1) कुछ गांवों में ऐसा नेतृत्व देखने को मिला जिसे कोष के महत्व का भान नहीं है। अत: वे कोष संग्रह में खास रुचि नहीं ले पाते हैं। ऐसे गांव में संग्रह में ढील देखने को मिलती है। (2) ऐसे गांव भी मिलेंगे जहां ग्रामस्तर पर कई गुट बने हैं। यह गुटबन्दी हर कार्य की तरह ग्रामकोष-संग्रह में भी बाधक बनती है। ग्रामकोष का कार्य जिस गुट के हाथ में है उस गुट से तो संग्रह आसानी से हो जाता है पर अन्य लोग बाधक नहीं है तो भी आलस्य तो करते ही हैं। यहां गुटबन्दी की समाप्ति प्रथम कार्य हो। फिर ऐसा मानस बने जिससे गुटबन्दी का प्रभाव ग्रामस्तर के कार्यों पर न पड़े। (3) तीसरे प्रकार का नेतृत्व ऐसा भी मिलता है जिसे अपने कार्य से फुरसत नहीं। ग्रामसभा जिसे कार्य सौंपती या जो इस कार्य को कर सकते हैं उन्हें अपने कार्य से समय ही नहीं बचता है। यही कारण है कि कोष संग्रह में घर घर जाकर वसूल करना कठिन हो जाता है और अभी ऐसा मानस बना नहीं कि लोग स्वयं जमा कर जायं। (4) जहां का नेतृत्व

सक्रिय है, वहां कोष-संग्रह सुविधापूर्वक होता है। लोगों को संग्रह के लिये बराबर प्रेरित करते रहना तथा मौका मिलते ही संग्रह कर लेने से संग्रह हो जाता है।

परन्तु इन बातों का तो व्यवस्थागत सम्बन्ध है। मुख्य प्रश्न तो यह है कि गांव के लोग इस कार्य के प्रति जागरूक हों। जिन गांवों में जागरूकता आयी है वहां कोष संग्रह में शत प्रतिशत का योगदान रहा है। यहां दो बातें सामने आती हैं। एक, कोष-संग्रह की मात्रा अधिक हो; दो, इस बात का प्रयास रहे कि गांव के सभी परिवारों का सहयोग रहे। आज गांव की जो स्थिति है उससे गांव में सामूहिक शक्ति प्रगट करना प्रथम आवश्यकता है। अधिक राशि जमा हो यह तो आर्थिक दृष्टि से ठीक है, इसकी आवश्यकता भी है। परन्तु सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि प्रत्येक कार्य में पूरे गांव का योग रहे। इसलिए ग्रामकोष संग्रह में सबका अंशदान आवश्यक है। ग्रामसभा का यह प्रयास अधिक लाभ का होगा कि चाहे थोड़ा कम भी मिले पर सबसे मिले।

चतुर्थ अध्याय

ग्रामकोष का विनियोग

सामाजिक नैतिकता:—

सार्वजनिक संपत्ति के संग्रह एवं विनियोग दोनों में व्यवस्थागत सतर्कता की आवश्यकता है। ग्रामकोष संग्रह के साथ-साथ उसके विनियोग की पद्धति पर विचार करने से पूर्व इस बात पर विचार करना चाहेंगे कि इस विनियोग में सामाजिक नैतिकता का क्या रूप रहता है? यह सर्वमान्य विचार है, और इसे सभी ग्रामसभाओं ने स्वीकार किया कि सार्वजनिक संपत्ति में थोड़ा भी सामाजिक नैतिकता का ह्रास हुआ नहीं कि आगे का कार्य कठिन हो जाता है। इस सहज दुरुपयोग से ग्रामकोष बचे यह प्रयास प्रारम्भ से ही रहना चाहिये। इस दिशा में कई प्रयास किये भी गये हैं। इस संबंध में दो बातें विचारणीय हैं। (1) कौन से ऐसे तत्व हैं जो "ग्रामकोष का सामाजिक नैतिकता में ह्रास" को रोकते हैं? (2) आज की प्रारम्भिक स्थिति में ग्रामकोष के विनियोग के संबंध में क्या व्यवस्था है?

पहली बात को पहले लें। (1) ग्रामसभा गांव के सर्व के कल्याण का ध्यान रखती है। ग्रामकोष का कार्य भी ग्रामसभा के माध्यम से किया जाता है। ग्रामकोष में गांव के प्रत्येक परिवार का हिस्सा रहता है, और प्रत्येक व्यक्ति उस कोष का संरक्षक होता है। (2) विनियोग किस मद में, कब किया जाय इसका निर्णय ग्रामसभा में सार्वजनिक रूप से किया जाता है। इस परिस्थिति में किसी प्रकार की गुप्त बात नहीं रहती जिससे कि कोई खास व्यक्ति इस कोष का विनियोग कर दे। (3) यह संग्रह तथा विनियोग हर वर्ष होता है। हर वर्ष का हिसाब रहता है, प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रति जागरूक होता है। (4) इससे लाभान्वित गांव के ही लोग होते हैं। किसको कितना मिला, किसने कितना वापस किया इन सारी बातों की तफसील से जानकारी सबको रहती है। वास्तविकता तो यह है कि जब इस कोष से सबका हित जुड़ता है तथा सारा निर्णय 'खुले' तौर पर होता है, उस स्थिति में निजी स्वार्थगत गड़बड़ी होने की काफी कम गुजांइश रहती है। ग्रामदान में ग्रामसभा एक ऐसी संस्था है जो हर

कार्य एवं व्यवस्था पर निगाह रखती है। उसको अधिकार है कि किसी भी गड़वड़ी के वारे में पूछ ताछ करे एवं नियन्त्रण रखे।

विनियोग की प्रक्रिया:—

अब ग्रामकोष के विनियोग के संवंध में विचार करें। यह भी देखें कि आज विनियोग की व्यवस्था क्या है ? आज सभी गांवों की एक स्थिति नहीं है, कुछ गांवों की व्यवस्था हिसाव-किताव काफी दुरूस्त है, जवकि कुछ गावों में व्यवस्था नाम की कोई चीज ही देखने को नहीं मिलेगी। आज विनियोग की जो स्थिति है उस के वारे में कह सकते हैं कि (1) प्रारंभिक स्थिति होने के कारण विनियोग की कोई निश्चित पद्धति नहीं विकसित हो सकी है। (2) जिन गांवों के लोगों को, खास कर ग्राम सभा के पदाधिकारियों को, आर्थिक कार्यों का अनुभव है वहां हिसाव किताव की दृष्टि से व्यवस्था ठीक है। (3) सर्वेक्षित क्षेत्रों में अभी एक दो वर्षों से ही ग्राम कोष का कार्य प्रारम्भ हुआ है। इसके अलावा ग्रामदान का कार्य भी नया है। नया उत्साह है, कार्य के प्रति नया विश्वास है। इस विश्वास एवं उत्साह के कारण सामाजिक नैतिकता कायम है। अभी तक तो एक भी गांव में ग्रामकोष के संवंध में सामाजिक नैतिकता का ह्रास देखने को नहीं मिला। पर यह सभी मानते हैं। कि इस कार्य को अधिक व्यवस्थित करना चाहिए। आवश्यकता इस वात की है कि तत्काल ग्रामकोष के कार्य को व्यवस्थागत दृष्टि से सही दिशा प्रदान की जाय।

अब तक कुछ गांवों में इस ओर प्रारम्भिक प्रयास किये गये हैं। सवसे ठोस प्रयास रूपौली में देखने को मिला। वहां प्रत्येक ग्रामसभा का, जहां ग्राम कोष चल रहा है, वैंक में खाता है। ग्रामकोष की रकम वैंक में जमा की जाती है। यह रकम कम से कम दो पदाधिकारियों-सामान्यतः ग्रामसभा के मन्त्री एवं कोषाव्यक्ष-के हस्ताक्षर से निकाली जाती है। ग्रामसभा जिस मद में खर्च करने की अनुमति देती है उस मद में रकम खर्च की जाती है। प्रयास यह रहता है कि कोष जमा होते ही वैंक में जमा कर दिया जाय, लेकिन कतिपय सामाजिक कारणों से ऐसा पाया गया कि कोष-संग्रह की पूरी रकम नहीं जमा हो पाती है। कभी कभी तो वैंक में जमा करने के पहले ही ग्रामसभा की अनुमति से खर्च कर दी जाती, तो कभी आलस्यवश भी नहीं जमा हो पाता। ऐसा भी होता है कि कोष का संग्रह अन्न के रूप में किया जाता है और वैंक में तो नकद रुपया जमा करना है। अतः संग्रह एवं विक्री में जो समय लगता है उस

बीच संग्रहीत वस्तु संबंधित पदाधिकारी के पास जमा रहती है। कभी-कभी विनियोग अन्न के रूप में ही करना होता है, इसलिए ग्रामकोष का संग्रह अन्न के रूप में रहे यह भी ग्राम के हित में आवश्यक है। क्योंकि अकाल, बाढ़ आदि के समय खाद्य और बीज के रूप में इसका उपयोग ग्रामसभा कर सकती है और ग्राम-जन के लिये बहुत हितकर और आवश्यक हो सकता है। ग्रामकोष के इस पहलू पर भी ग्रामसभाओं का ध्यान जाना आवश्यक है।

सर्वेक्षित गांवों में दानापुर जैसा गांव भी है जहां ग्रामकोष का पूरा हिसाब ग्रामसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। दानापुर ग्रामसभा में ग्रामकोष विनियोग के प्रश्नों पर खुलकर चर्चा होती है और सर्वसम्मति या सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान ग्रामकोष की रकम के विनियोग के संबंध में खुलकर चर्चा होते देखी गयी है। ग्रामसभा दो प्रश्नों पर विचार करने हेतु बैठी थी (1) क्षेत्रीय शिविर की व्यवस्था के संबंध में निर्णय। (स्मरण रहे पिछली 20–21 एवं 22 फरवरी 1972 को मरौना प्रखण्ड के मुख्य लोगों का एक शिविर दानापुर गांव में किया गया जिसकी पूरी व्यवस्था गांव के लोगों ने की।) (2) ग्रामकोष से कर्ज लेने के लिए आवेदनों पर विचार। यहां हमारा संबंध दूसरे प्रश्न से है। गांव के कई लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामसभा से कोष की जमा रकम में से कर्ज की मांग की थी। एक सज्जन ने अन्न के रूप में कर्ज की मांग की थी जिसका विनियोग मृत्युभोज में किया जाना था। आज मृत्युभोज एक परम्परा सी बन गयी है। परन्तु दानापुर ग्रामसभा पहले ही तय कर चुकी है कि सामाजिक रीतिरिवाजों में होने वाली फिजूल खर्ची रोकनी चाहिए। अतः कुछ लोगों की राय में मृत्युभोज के लिए कोष की रकम में से कर्ज देना उचित नहीं था। काफी समय इसी वाद विवाद में बीता कि कोष की रकम में से इसके लिए दिया जाय या नहीं। अन्त में यह राय बनी कि उक्त व्यक्ति की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर्ज दिया जाय। इस बात पर ग्राम सहमति हुई कि इन मदों पर खर्च बन्द होना चाहिये, लेकिन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए एकाएक इसे बन्द नहीं किया जा सकता। सभा का मानस ऐसा बना कि मृत्युभोज जैसा खर्च कम करना ही चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामसभा यदि सक्रिय है तो विनियोग पर पूरी निगरानी रखती है। दानापुर की एवं इसी प्रकार अन्य सक्रिय ग्रामसभायें ग्रामकोष का पूरा लेखा जोखा ग्रामसभा के सम्मुख प्रस्तुत करती हैं। इस स्थिति में संग्रह एवं विनियोग में अविश्वास का अंदेशा जाता रहा है।

जैसा ऊपर लिखा गया है ग्रामकोष के संबंध में निर्णय का पूरा अधिकार ग्रामसभा को है और प्रायः सभी ग्रामदानी गांव इसी पद्धति को अपनाते हैं लेकिन व्यवहार में दो स्थितियां देखने को मिलीं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां ग्रामसभा अधिक सक्रिय है। ऐसी स्थिति में ग्रामसभा का निर्णय महत्व का होता है। ऐसे गांव में ग्रामसभा प्रत्येक निर्णय स्वयं करने का प्रयास करती है। स्पष्ट है कि इस स्थिति में कार्यकारिणी को अपने हर कार्य के लिए ग्रामसभा की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। ऐसी ग्रामसभायें हैं जिनमें कार्यकारिणी को अपने कार्यों के लिए ग्रामसभा पर निर्भर करना पड़ता है और इस स्थिति में कार्यकारिणी की शक्ति सीमित होती है। परन्तु ज्यादातर गांव ऐसे मिलेंगे जहां कार्यकारिणी शक्तिशाली होती है, कार्यकारिणी के लोग खासकर अध्यक्ष, मन्त्री, कोषाध्यक्ष आदि मिलकर सारा निर्णय कर लेते हैं। इस स्थिति में ग्रामसभा को कार्यकारिणी के निर्णय की मात्र जानकारी देदी जाती है। इस प्रकार के गांवों में ग्रामसभा की सक्रियता मारी जाती है। ग्रामसभा की सक्रियता कम होने से यह सारा कार्य कुछ की सक्रियता पर ही निर्भर रह जाता है। ग्रामकोष के विनियोग की यह स्थिति बनती है कि अध्यक्ष मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष जिसे उचित समझते हैं कर्ज देते हैं, मदद करते या अन्य किसी कार्य में खर्च करते हैं। सर्वेक्षित गांवों में ग्रामसभा की सक्रियता कम देखने को मिली। इस स्थिति में कार्यकारिणी ही मुख्य कर्ताधर्ता पाई गई। वैसे व्यवस्था एवं कार्य की शीघ्रता की दृष्टि से कार्यकारिणी द्वारा किये जाने वाले कार्य सुविधाजनक भी देखने को मिले। जो हो, पर अंतिम रूप से कोष-विनियोग के लिए उत्तरदायी-ग्रामसभा ही है और कार्यकारिणी भी ग्रामसभा के प्रति उत्तरदायी है पर आमराय यह सब जगह पर पाई गई कि कोष-विनियोग का निर्णय ग्रामसभा द्वारा किया जाना चाहिये।

विनियोग का क्षेत्र :

विभिन्न सर्वेक्षित क्षेत्रों में ग्रामकोष के विनियोग की क्या स्थिति है इस पर विचार करने से स्थिति और अधिक स्पष्ट होगी। मरौना प्रखण्ड के सर्वेक्षित गांवों में ग्रामकोष विनियोग की स्थिति इस प्रकार देखने को मिली।

मरौना :—

नवटोल में 1971 में कोष विनियोग की जो स्थिति रही उससे गांव के 8 परिवारों को लाभ मिला। यहां की ग्रामसभा ने यह निर्णय लिया कि

फिलहाल ग्रामकोष का विनियोग गांव के गरीव वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में किया जाय। अभी इतनी रकम नहीं है जिससे कोई बड़ा कार्य हाथ में लिया जाय। अतः ग्रामसभा के निर्णयानुसार 1 मन अन्न कर्ज देने पर 5 सेर व्याज के रूप लिया गया। यह व्याज वार्षिक माना गया। इस प्रकार उस वर्ष जो कोष जमा हुआ वह पूरा का पूरा कर्ज के रूप में दे दिया गया। यह कर्ज दो मदों के लिए दिया गया (1) खाने के लिये (2) कृषि एवं अन्य कार्य के लिये, जैसे वीज 1972 वर्ष में यह 8 मन 15 सेर वापस होने थे अरहा गांव में यह विनियोग दो प्रकार से हुआ। (1) 4 मन अन्न 15 परिवारों को कर्ज के रूप में दिया गया था। (2) 45 रुपया ग्रामसभा द्वारा खर्च किया गया। यह खर्च पत्र-पत्रिकायें मंगाने, स्टेशनरी खर्च, सभा बुलाने आदि में किया गया। शेष अन्न एवं रुपया ग्रामसभा के पास जमा है। वापसी की शर्त यहां भिन्न है। यहां की ग्रामसभा एक मन में 10 सेर व्याज लेती है। कोनी गनोरा में जो भी अन्न जमा हुआ वह पूरा का पूरा कर्ज के रूप दे दिया गया। इस प्रकार इस गांव में 1971 वर्ष में 6 मन अन्न 12 लोगों को कर्ज के रूप में दिया गया। यहां वापसी की शर्त नवटोल की भांति है, अर्थात् 1 मन का वार्षिक व्याज 5 सेर माना गया है। सिरखड़िया में 11 मन अन्न 24 लोगों को दिया गया और एक मन पर 5 सेर के हिसाब से वापस लेने की शर्त रखी गयी। खुशियाली में विनियोग का रूप थोड़ा भिन्न प्रकार का है। यहां दोनों प्रकार का (अन्न एवं नकद) संग्रह हुआ। पूरा का पूरा अन्न अभी जमा है। यहां के लोगों की राय में ग्रामसभा के पास संकट के समय के लिए अन्न एवं नकद रकम जमा रहनी चाहिये। 1971-72 में निम्नलिखित मदों में कोष का विनियोग किया गया है—

	रु० पै०
स्टेशनरी—	20-00
दवा—	20-00
कर्ज—	25-00
	65-00

स्पष्ट है मात्र 25 रु० जरूरतमंद को कर्ज के रूप में दिया गया है। अभी ग्रामसभा के पास 30 मन अन्न और 95 रु० जमा है। आम राय है कि जरूरतमंद को कर्ज दिया जा सकता है, पर किसी योजना में खर्च करना अधिक लाभकर होगा। कर्ज में वापसी की शर्त क्या हो ? इसका निर्णय किया जाना है।

दानापुर की ग्रामसभा में विनियोग की विभिन्न मदें हैं। यहां विनियोग की स्थिति इस प्रकार है—

सारणी सं–12

ग्रामकोष विनियोग–दानापुर

वर्ष	मात्रा मन सेर	रु०	मदें	लाभांवित वापसी (परिवार)
1968	16—22	—	उपभोग, कृषि कार्य	26—21–
1969	27— 8	—	„ „	33—30
1970	20—27	—	„ „	32—32
1971	4—21	—	„ „	9— 8
कुल योग	68—38	—	—	100—91

दानापुर ग्रामसभा के निर्णयानुसार 1868 से 1971 तक कर्ज वापसी का नियम प्रति मन 10 सेर ब्याज था। परन्तु यह ब्याज वार्षिक न हो कर एक मुश्त था। 1 मन लेने पर 10 सेर अधिक वापस करने का नियम था चाहे एक वर्ष से अधिक ही क्यों न लग जाय। प्रयास यह रहता था कि कर्ज 1 वर्ष में वापस हो जाय। 1972 में ग्रामसभा ने इस संबध में नियम बदल दिया है। अब प्रतिमाह प्रतिमन 1 सेर ब्याज के रूप में लिया जायगा। इससे कई लाभ हैं (1) लोग जल्दी कर्ज वापसी का प्रयास करेंगे। (2) सभी कर्जदारों पर समान भार पड़ेगा। पहले कम दिन रखने वाले से भी उतना ही ब्याज लिया जाता था जितना कि ज्यादा दिन रखने वाले से।

मरौना प्रखण्ड में कर्ज वापसी के संबंध में ग्रामराय है कि लोग समय पर वापस करते हैं। हां, किसी वर्ष उपज न होने पर समय पर वापसी में परेशानी हो जाती है।

मुसहरी:—

मुसहरी के प्रायः सभी गांवों में कोष-संग्रह एवं विनियोग का कार्य प्रारंभिक स्थिति में है। यहां विनियोग का स्वरूप भिन्न प्रकार का देखने को मिला। मादापुर में 1971–72 वर्ष में कुल 2035 रु० व्यय किये गये। यह विनियोग सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में किया गया। यहां विनियोग की मुख्य मदें हैं

(1) विद्यालय भवन-निर्माण (2) सड़क निर्माण में नगद खर्च (3) ग्रामसभा के लिए स्टेशनरी एवं पत्र-पत्रिकायें। साफ जाहिर है यहां कर्ज एवं सहायता के मद में रकम नहीं खर्च की गयी। यही कारण है कि व्याज एवं वापसी की शर्तें यहीं नहीं निश्चित की गयी है। यह भी स्पष्ट है कि यहां जो रकम व्यय की गयी वह वापस नहीं आयेगी, क्योंकि सभी सहायतार्थ खर्च हैं, कर्ज नहीं।

माधोपुर ग्रामकोष का विनियोग 1971–72

	(रु० में)	(मन में)
1–व्यवस्था खर्च	66–36	–
2–अन्य व्यय	122–30	–
3–श्रमदान	600–00	–
4–अन्न का कर्ज	–	8
योग	788–66	8

माधोपुर में ग्रामकोष की रकम के विनियोग से कुल 49 परिवारों को लाभान्वित किया गया। ये परिवार प्रायः सभी मजदूर स्तर के हैं। यहां की ग्रामसभा ने कर्ज की वापसी के भी नियम बनाये हैं। यहां दो प्रकार के व्यय हैं। एक तो जिस पर व्याज नहीं लिया जाता है जैसे व्यवस्था एवं सहायता खर्च। सहायता में यहां के लोगों ने कई प्रकार के खर्च किये हैं--(1) पास के गांवों में आग से हानि हुई। यहां की ग्रामसभा ने उक्त गांव की ग्रामसभा को 50 रु० की सहायता की। इसी प्रकार 56.20 पैसे सुरक्षाकोष में दिये। पत्र-पत्रिकाओं पर 10–10 पैसा व्यय किया गया। जहां तक व्याज का सवाल है यहां कर्ज का उचित व्याज लेने की व्यवस्था है। जिन लोगों को कर्ज दिया

जाता है उन्हें यदि नकद कर्ज दिया गया है तो उनसे 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाता है। यदि अन्न के रूप में कर्ज दिया जाता है तो वार्षिक प्रति मन 10 सेर ब्याज लिया जाता है।

रूपौली

जैसा कि ऊपर कहा गया है रूपौली में 1970 से कार्य प्रारम्भ हुआ था और कोष संग्रह का कार्य 1971 से प्रारम्भ किया गया। मतेलीक्षेम नारायण में इस वर्ष विनियोग की यह स्थिति रही :—

विनियोग की मदें	नकद (रु०)	(अन्न सेर में)
1– स्टेशनरी	27–29	–
2– कर्ज	3–00	–
3– अन्न का कर्ज	–	16

कर्ज से लाभान्वित लोगों की संख्या दो है। मेहता टोला में विनियोग नकद किया गया है। विभिन्न लोगों को कर्ज के रूप में 243 रु० दिया गया। इस कर्ज से 8 लोग लाभान्वित हुए। ग्रामसभा का व्यवस्था खर्च 90) रुपये है। इसमें मुख्य खर्च शिविर एवं स्टेशनरी का है। जिन लोगों को कर्ज दिया जाता है उनसे 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिया जाता है।

आजाद दरगाह में नकद संग्रह है। इस संग्रह का विनियोग अब तक दो मदों में किया गया है—

	(रु०)
1– व्यवस्था खर्च	50.00
2– विभिन्न लोगों को कर्ज	454.00
कुल योग—	504.00

गांव के निम्नतम आर्थिक स्थिति के 8 परिवारों को कर्ज देकर सहायता की गई। कर्ज की वापसी 10 प्रतिशत वार्षिक व्याज लेकर की जायेगी। यहां के उत्साही मन्त्री की राय में ग्रामकोष की रकम से ठोस योजना प्रारम्भ की जानी चाहिए। इनकी योजना है कि अगले पांच वर्षों में ग्रामकोष के माध्यम से इन दो कार्यों की शुरूआत की जाय। (1) सभी कच्चे मकानों को पक्का बनाया जाय। इसके लिए श्रम के साथ ग्रामकोष की रकम तथा अन्य वाहरी सहायता को मिलाकर मकान निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है। (2) हड्डी की खाद बनाने का धन्धा शुरू किया जाय। परन्तु अभी रकम पर्याप्त नहीं है। जब तक पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं हो जाते, तब तक ग्रामकोष का उपयोग कर्ज देने में किया जाय।

मैनमा में कोष का विनियोग ग्रामसभा की व्यवस्था खर्च में किया गया। यहां कुल 173 रु० खर्च हुआ, जिसमें 1970 वर्ष में 147 रु० विद्यालय, पुस्तकालय एवं स्टेशनरी में खर्च किया गया और 1971 में भी 26 रु० का व्यय इन्हीं मदों में किया गया। यहां ग्रामकोष की रकम भी अधिक नहीं है। यही स्थिति झलारी की भी है। वैसे यहां अन्न एवं नगद दोनों प्रकार की रकम जमा है। जहां तक व्यय का सवाल है मुख्यतः दो मदों में व्यय किया गया (1) स्टेशनरी (2) सार्वजनिक समारोह। कुल व्यय मात्र 37–55 रु० है। इस प्रकार रूपौली प्रखण्ड में दोनों प्रकार के गांव मिले। ऐसे गांव भी हैं जहां कर्ज एवं सहायता दोनों दी जाती है और कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां सभी खर्च व्यवस्था संबंधी हुए हैं। रूपौली जैसे पिछड़े एवं छोटे किसानों के क्षेत्र में यदि ग्रामकोष जरूरत मंद को कुछ भी आर्थिक मदद दे सका तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।

झाझा:—

झाझा प्रखण्ड में विनियोग की दिशा कुछ भिन्न प्रकार की देखने को मिली। इस प्रखण्ड के खुरंडा गांव में ग्रामकोष रकम का विनियोग इन मदों में किया गया—

सारणी सं–14

खुरण्डा का विनियोग

वर्ष	मदें	रकम (रु०)
1971	1–प्रखण्ड कोष में जमा–	50–00
	2–सिंचाई व्यवस्था में	132–00
	3–स्टेशनरी–	14–00
1972	1–प्रखण्ड कोष	50–00
	2–पत्रिका, सम्मेलन	14–00
कुल योग–		260–00

उक्त रकम के अतिरिक्त करीव एक मन अन्न विभिन्न लोगों को कर्ज दिया गया। अभी जो भी कर्ज दिया गया है उसे विना व्याज के ही दिया गया है। इसी प्रखण्ड के वनगांवा गांव की स्थिति इस प्रकार रही:– यहां 1968 से अनियमित ग्रामकोष का कार्य चल रहा है। 1968 में कुल 20 मन 22 सेर अनाज कर्ज के रूप में दिया गया था। इसके साथ ही करीव 4 रु० व्यवस्था खर्च हुआ। 1969 के वर्ष में कार्य प्रायः वन्द रहा और 1970 में 40 रु० का कर्ज दिया गया जिससे एक परिवार को लाभ मिला। 1971 में प्रखण्ड सभा में 50 रु० जमा किये गये और 115 रु० का कर्ज दिया गया। अनाज के रूप में 9 मन कर्ज दिया गया। अनाज एवं नगद दोनों विना व्याज के दिये गये हैं। झाझा प्रखण्ड के पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति अत्यन्त गिरी हुई है। इस स्थिति में फिलहाल कर्ज के साथ व्याज को नहीं जोड़ा गया। प्रयास रहता है कि लोग विना व्याज के ही सही, समय पर मूल वापस कर दें। माहापुर में 1971 में कुल खर्च 275 रु० हुए हैं। यह खर्च पानी की मशीन चलाने, कुए खुदाने एवं अन्य मदों में किया गया। ताराकुड़ा में भी ग्रामकोष का विनियोग निर्माण कार्यों में किया गया। यहां कुल 710 रु० का खर्च हुआ है। पूरी रकम तालाव-निर्माण में व्यय की गई है। स्पष्ट है, झाझा प्रखण्ड में कार्य

विकास को आधार मानकर किया जा रहा है। बाहर से आर्थिक मदद आ रही है और आर्थिक विकास कार्य में गांव के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। विकासात्मक दृष्टि होने के कारण किसी खास जरूरतमंद को कम लाभ मिल पाया है, हां, ऐसे कार्यों को पूरा करने में मदद की जाती है जिसका लाभ बाद में सबको मिलेगा। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, इस क्षेत्र में ऑक्सफॉम की ओर से कृषि विकास के कार्य चल रहे हैं। गांव के मजदूर गांव में कार्य करते हैं। जो लोग श्रम करते हैं उनकी महीने में एक दिन की मजदूरी ग्रामकोष में जमा की जाती है। फिर इस जमा मजदूरी का विनियोग पुनः सार्वजनिक निर्माण कार्य में कर दिया जाता है।

झाझा प्रखण्ड में ग्रामकोष संग्रह के संबंध में एक खास बात यह है कि यहां प्रखण्ड कोष जमा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास यह है कि पूरे प्रखण्ड के प्रत्येक बालिग से एक रुपया प्रखण्ड कोष में जमा किया जाय। इस हिसाब से प्रखण्ड कोष में 50 हजार रुपया जमा होगा। प्रखण्ड कोष जमा करने की वर्तमान पद्धति यह है कि ग्रामसभा प्रखण्ड सभा में रकम जमा करे। स्थिति यह बनती है कि ग्रामसभा अपने ग्रामकोष से निश्चित रकम प्रखण्ड कोष में जमा कराती है। फिलहाल 1971 एवं 1972 में कुछ गांवों ने 50 रुपया प्रति वर्ष प्रखण्ड कोष में जमा किया है। कुल मिलाकर यहां दो प्रकार का कोष संग्रह एवं विनियोग हो रहा है (1) ग्रामस्तर पर ग्रामकोष (2) प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड स्वराज्य कोष। प्रखण्ड स्वराज्य कोष में अब तक 4 हजार रु० से अधिक का संग्रह हो चुका है। इस कोष का विनियोग निश्चित योजना के अनुसार किया जायेगा। प्रखण्ड स्तर पर संग्रह लक्ष्य पूरा करने के बाद प्रखण्ड में विकास कार्य की योजना बने और विकास के कार्य को हाथ में लिया जाय। इस प्रकार ग्रामस्तर पर ग्रामकोष, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड स्वराज्य कोष और बाहरी ऐजेंसियों से सहायता एवं कर्ज लेकर प्रखण्ड-स्तरीय आर्थिक विकास की योजना चलायी जाय।

लाभान्वित लोग:—

ग्रामकोष की इस विनियोग पद्धति में किसको लाभ है? आज इस कोष का विनियोग जिस रूप में किया जा रहा है उसके प्रति जन मानस कैसा है और गांव का सबसे गरीब तबका क्या सोचता है? उसे क्या मिलता है? आमराय है कि कोष का लाभ सबको मिले। सामान्यजन इससे लाभ की आकांक्षा रखता है। सर्वेक्षण के दौरान 90 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इस

सारणी सं–14

खुरण्डा का विनियोग

वर्ष	मदें	रकम (रु०)
1971	1–प्रखण्ड कोष में जमा–	50–00
	2–सिंचाई व्यवस्था में	132–00
	3–स्टेशनरी–	14–00
1972	1–प्रखण्ड कोष	50–00
	2–पत्रिका, सम्मेलन	14–00
कुल योग–		260–00

उक्त रकम के अतिरिक्त करीव एक मन अन्न विभिन्न लोगों को कर्ज दिया गया। अभी जो भी कर्ज दिया गया है उसे विना व्याज के ही दिया गया है। इसी प्रखण्ड के वनगांवा गांव की स्थिति इस प्रकार रही:– यहां 1968 से अनियमित ग्रामकोष का कार्य चल रहा है। 1968 में कुल 20 मन 22 सेर अनाज कर्ज के रूप में दिया गया था। इसके साथ ही करीव 4 रु० व्यवस्था खर्च हुआ। 1969 के वर्ष में कार्य प्राय: वन्द रहा और 1970 में 40 रु० का कर्ज दिया गया जिससे एक परिवार को लाभ मिला। 1971 में प्रखण्ड सभा में 50 रु० जमा किये गये और 115 रु० का कर्ज दिया गया। अनाज के रूप में 9 मन कर्ज दिया गया। अनाज एवं नगद दोनों विना व्याज के दिये गये हैं। झाझा प्रखण्ड के पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति अत्यन्त गिरी हुई है। इस स्थिति में फिलहाल कर्ज के साथ व्याज को नहीं जोड़ा गया। प्रयास रहता है कि लोग विना व्याज के ही सही, समय पर मूल वापस कर दें। माहापुर में 1971 में कुल खर्च 275 रु० हुए हैं। यह खर्च पानी की मशीन चलाने, कुए खुदाने एवं अन्य मदों में किया गया। ताराकुड़ा में भी ग्रामकोष का विनियोग निर्माण कार्यों में किया गया। यहां कुल 710 रु० का खर्च हुआ है। पूरी रकम तालाव-निर्माण में व्यय की गई है। स्पष्ट है, झाझा प्रखण्ड में कार्य

विकास को आधार मानकर किया जा रहा है। वाहर से आर्थिक मदद आ रही है और आर्थिक विकास कार्य में गांव के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। विकासात्मक दृष्टि होने के कारण किसी खास जरूरतमंद को कम लाभ मिल पाया है, हां, ऐसे कार्यों को पूरा करने में मदद की जाती है जिसका लाभ वाद में सवको मिलेगा। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, इस क्षेत्र में ऑक्सफॉम की ओर से कृषि विकास के कार्य चल रहे हैं। गांव के मजदूर गांव में कार्य करते हैं। जो लोग श्रम करते हैं उनकी महीने में एक दिन की मजदूरी ग्रामकोष में जमा की जाती है। फिर इस जमा मजदूरी का विनियोग पुनः सार्वजनिक निर्माण कार्य में कर दिया जाता है।

झाझा प्रखण्ड में ग्रामकोष संग्रह के संबंध में एक खास वात यह है कि यहां प्रखण्ड कोष जमा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास यह है कि पूरे प्रखण्ड के प्रत्येक वालिग से एक रुपया प्रखण्ड कोष में जमा किया जाय। इस हिसाव से प्रखण्ड कोष में 50 हजार रुपया जमा होगा। प्रखण्ड कोष जमा करने की वर्तमान पद्धति यह है कि ग्रामसभा प्रखण्ड सभा में रकम जमा करे। स्थिति यह वनती है कि ग्रामसभा अपने ग्रामकोष से निश्चित रकम प्रखण्ड कोष में जमा कराती है। फिलहाल 1971 एवं 1972 में कुछ गांवों ने 50 रुपया प्रति वर्ष प्रखण्ड कोष में जमा किया है। कुल मिलाकर यहां दो प्रकार का कोष संग्रह एवं विनियोग हो रहा है (1) ग्रामस्तर पर ग्रामकोष (2) प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड स्वराज्य कोष। प्रखण्ड स्वराज्य कोष में अव तक 4 हजार रु० से अधिक का संग्रह हो चुका है। इस कोष का विनियोग निश्चित योजना के अनुसार किया जायेगा। प्रखण्ड स्तर पर संग्रह लक्ष्य पूरा करने के वाद प्रखण्ड में विकास कार्य की योजना वने और विकास के कार्य को हाथ में लिया जाय। इस प्रकार ग्रामस्तर पर ग्रामकोष, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड स्वराज्य कोष और वाहरी ऐजेंसियों से सहायता एवं कर्ज लेकर प्रखण्ड-स्तरीय आर्थिक विकास की योजना चलायी जाय।

लाभान्वित लोग:—

ग्रामकोष की इस विनियोग पद्धति में किसको लाभ है? आज इस कोष का विनियोग जिस रूप में किया जा रहा है उसके प्रति जन मानस कैसा है और गांव का सवसे गरीव तवका क्या सोचता है? उसे क्या मिलता है? आमराय है कि कोष का लाभ सवको मिले। सामान्यजन इससे लाभ की आकांक्षा रखता है। सर्वेक्षण के दौरान 90 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इस

कोष से सबको लाभ है, खास कर संकट के समय यह मददगार सिद्ध होता है। लेकिन गांव में एक वर्ग ऐसा भी है जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। इस संपन्न वर्ग को ग्रामकोष का क्या लाभ मिल रहा है? फिर यदि संपन्न वर्ग ग्रामकोष से कर्ज लेना भी चाहे तो उससे उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती। ग्रामकोष की वर्तमान में जो स्थिति है उसमें बड़ी रकम देना संभव नहीं और उच्च वर्ग पेट के लिए तो ग्रामकोष से कर्ज लेगा नहीं, जबकि कोष की क्षमता सीमित है। यही कारण है कि एक वर्ग ऐसा भी है जो समझता है कि इससे गरीबों को ही लाभ है। विनियोग की मदों को देखने से भी इस बात की पुष्टि होती है कि इससे गरीबों को, भूखे पेट को रोटी मिली है।

विनियोग की मदों को देखने पर दो प्रकार के विनियोग देखने को मिलते हैं (1) विनियोग की ऐसी मदें जिससे गरीबों को राहत मिलती है, जैसे खाने एवं अन्य कार्यों के लिये, कृषि कार्य के लिये आसान शर्त पर कर्ज दिया गया। कभी कभी मदद भी की गई (2) ऐसी मदें जिसे व्यवस्था खर्च या सार्वजनिक कार्यों पर विनियोग कहा जा सकता है। इसमें इस प्रकार के व्यय आते हैं:- ग्रामसभा का व्यवस्था खर्च, स्टेशनरी, सभा-सम्मेलन, विद्यालय, मंदिर, सड़क निर्माण आदि। सड़क, विद्यालय, आदि में अन्य ऐजेंसियां, सरकार से भी आर्थिक मदद मिलती है। ग्रामकोष की रकम इसमें व्यय करने पर आंशिक मदद अवश्य मिलती है। सर्वेक्षित गांवों में दोनों प्रकार के व्यय देखने को मिले। इस दृष्टि से प्राथमिकता किस प्रकार के व्यय को दी जाय यह विचारणीय है। मरौना प्रखण्ड में प्रथम प्रकार का व्यय मुख्य है। इस प्रखण्ड के अधिकांश गांवों में कोष का विनियोग गरीबों को आसान किश्त पर कर्ज देने में किया गया है। लेकिन इसके विपरीत मुसहरी प्रखण्ड में विनियोग की दिशा दूसरे प्रकार की देखने को मिली। यहां की ग्रामसभा सड़क, विद्यालय, स्टेशनरी, एवं अन्य मदों पर अधिक व्यय करती रही है। पर यहां सभी गांवों की एक सी स्थिति नहीं है। माधोपुर जैसे गांव में दोनों प्रकार के व्यय हैं। रूपौली में भी दोनों प्रकार के व्यय हुए हैं। झाझा प्रखण्ड का कार्य विकास के साथ साथ जुड़ा हुआ है, इस कारण विनियोग की दिशा विकासात्मक है।

कुल मिलाकर स्थिति यह बनती है कि जिस क्षेत्र को जैसा मार्गदर्शन मिला एवं जैसी स्थानीय परिस्थिति एवं मानस रहा है विनियोग की मदें भी उसी प्रकार की तय हुई। जहां तक जन मानस का सवाल है जिस वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है उसका आशावान् होना स्वाभाविक है। यदि गरीब को

संकट के समय प्रत्यक्ष राहत मिलती है तो उसका उत्साह बढ़ना स्वाभाविक है। पिछले दो वर्षों में ग्रामकोष की रकम से सबको लाभ पहुंचाना संभव भी नहीं था। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि पिछले दो वर्षों के कोष-विनियोग से (1) सामान्य जन में ग्रामकोष के प्रति आशा एवं विश्वास बढ़ा है। वे समझने लगे हैं कि इससे सबको लाभ मिल सकता है। (2) जिस वर्ग को खास कर गरीब को लाभ मिला वह और अधिक आशावान है। (3) सार्वजनिक कार्यों में व्यय होने से सबको लाभ हुआ। यदि ग्रामदान से समाज के अंतिम वर्ग को कुछ राहत मिलती है तो यह शुभ लक्षण है। शायद हमारी एक कसौटी यह भी है कि ग्रामदान समाज के निचले, सबसे गरीब वर्ग को क्या कुछ दे पाता है। ग्रामदान के बाद ग्रामकोष के माध्यम से, सबके सहयोग से, एक कोष बनता और उससे अंतिम वर्ग को मदद मिलती है तो इसे एक उपयोगी प्रयास मानना चाहिये।

पंचम अध्याय

ग्रामकोष संग्रह-विनियोग की समस्यायें

जैसाकि पिछले पृष्ठों में कहा गया है ग्रामदान के सिद्धान्त एवं व्यवहार के साथ-साथ ग्रामकोष का कार्यक्रम आया है। मंशा यह है कि ग्रामकोष गांव को आर्थिक सुरक्षा दे तथा गांव के आर्थिक विकास को गति प्रदान करे। जहां तक ग्रामकोष के व्यवहार का सवाल है, छिटपुट रूप में वह कई वर्षों से चल रहा है। ऐसे गांव भी देखने को मिलेंगे जहाँ कभी ग्रामकोष का प्रारम्भ हुआ था, लेकिन कतिपय कारणों से वह वन्द हो गया। फिर ग्रामदान-प्राप्ति एवं पुष्टि की जो संख्या है उसके अनुपात में ग्रामकोष चलने वाले गांवों की संख्या काफी कम है। आम धारणा है कि व्यवहार में ग्रामकोष की अनेक समस्यायें हैं, जिनके कारण वह चल नहीं पाता। यह भी तथ्य है कि ग्रामकोष को अब तक व्यापक सफलता नहीं मिल पायी है। तो उसकी अपनी समस्याये हैं। संग्रह एवं विनियोग दोनों की समस्यायें हैं। यहां यह भी कहा जाना संदर्भगत होगा कि ग्रामविकास के लिए अन्य सामूहिक एवं सहकारी संस्थायें भी अपने अन्तर्विरोधों के कारण व्यावहारिक नहीं सावित हुई हैं, हालांकि उनकी सफलता-असफलता को ग्रामकोप के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। दोनों का संदर्भ विलकुल भिन्न है-लक्ष्य में एक सीमा तक साम्य खोजा जा सकता है। सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी ऐजेंसियों आदि के द्वारा अनेक आर्थिक प्रयास किये गये और आशा की गयी कि उनसे सामूहिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी, लेकिन ये संस्थायें एक सीमित वर्ग के हाथ में रहीं और सामान्यजन इससे अछूता रहा। सरकारी माध्यम होने के कारण गांव के लोग अपनी अभिरुचि उसके साथ नहीं जोड़ सके। वैसे इनकी असफलता के अनेक कारण गिनाये जाते हैं। अन्य कारणों के अतिरिक्त हमें ये कारण मुख्य दिखे (1) इन संस्थाओं का संचालन ऊपर की सरकारी या अन्य वाहरी ऐजेंसियों से किया जाता है जिससे गांव के लोग इस कार्य के साथ एकरस नहीं हो सके। (2) गांव वालों की यह आकांक्षा वनी कि उक्त संस्था के निर्माण से वाहर से मदद मिलेगी। वाहर से मदद लेने की अपेक्षा वढ़ी। (3) इन संस्थाओं का प्रारम्भ ही स्वार्थ एवं राजनीति के साथ हुआ।

(4) फिर स्वार्थ एवं राजनीति से प्रेरित संस्थाओं में सामाजिक नैतिकता का गिरना सहज हो गया है। (5) इन संस्थाओं को गांव के सबका न तो सहयोग मिला और न इनका लाभ ही सबको मिला।

ग्रामकोष में उक्त कमियां नहीं होगी, यह प्रयास किया जा रहा है। ऐसी अपेक्षा भी है। ग्रामकोष गांव का अपना सर्वसम्मत निर्णय है इसलिए इसमें सबका सहयोग प्राप्त होता है। इसमें प्रत्येक का भाग है, इसलिए इसमें प्रत्येक की रुचि संभव है। यह स्वैच्छिक है, इसलिए इसमें सरकारी दबाव नहीं है। इसमें सब से अंतिम की सहायता की भावना है, अतः स्वार्थ का अवसर नहीं है। इसका विनियोग खुले रूप में सबकी राय से होता है, अतः इसमें राजनीति की गुंजाइश नहीं है। फिर भी ग्रामकोष संग्रह एवं विनियोग की अनेक समस्यायें हैं जिनके कारण ग्रामकोष का कार्य नियमित रूप से नहीं चल पा रहा है। इन समस्याओं को सुलझाये बिना इसमें नियमितता नहीं लायी जा सकती है। संग्रह एवं विनियोग दोनों प्रकार की समस्याये हैं।

संग्रह की समस्यायें

(1) स्वेच्छा का निर्णय है इसलिए कम से कम दबाव का सहारा लिया जाय यह प्रयास सहज ही रहता है। हालांकि सबने मिलकर ग्रामकोष का निर्णय लिया है, लेकिन गांव में हर प्रकार के लोग होते हैं, मानस भी सबका एकसा नहीं होता है। फलस्वरूप अनुभव यह बताता है कि व्यवहार में, निर्णय ले लेने के बाद भी, सब लोग स्वेच्छा से अपना हिस्सा ग्रामकोष में नहीं जमा करते, इस प्रकार प्रथम समस्या है स्वेच्छा से किये गये निर्णय का पालन करने की। चूंकि निर्णय स्वेच्छा का है इसलिये आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं के निर्णय के प्रति जागरूक रहे, निर्णय का पालन करे।

इस समस्या का समाधान तो स्वयं के निर्णय के प्रति जागरूक रहने से ही हो सकता है। जिन गांवों में यह जागरूकता है वहां जमाकर्त्ताओं का प्रतिशत ज्यादा है। ग्रामसभा एवं गांव के जागरूक नागरिक इस सक्रियता को कायम रख सकते हैं। कई गांवों में इस प्रकार की जागरूकता की कमी देखी गयी है। यह स्थिति भी देखने को मिली कि प्रारम्भ में तो जागरूकता रहती है,परन्तु बाद में क्रमशः कम होती जाती है। जिन गांवों की कार्यकारिणी में जागरूकता है वहां के लोग भी ग्रामकोष के प्रति जागरूक हैं। यह जागरूकता गांव के हर स्तर के लोगों में कायम रहे इस ओर काफी प्रयास करने की आवश्यकता है।

(2) स्वेच्छा से संग्रह का निर्णय लिया जाता है, तभी से ग्रामसभा के सम्मुख संग्रह की व्यवस्था का प्रश्न सबसे प्रमुख हो जाता है। अभी तक संग्रह की कोई ऐसी प्रक्रिया हाथ नहीं लगी है जिससे कोष का संग्रह सुविधा-पूर्वक हो सके। सामान्यतया कार्यकारिणी के पदाधिकारी, अध्यक्ष, मन्त्री या कोषाध्यक्ष में से किसी को प्रत्येक घर से कोष संग्रह करना पड़ता है। परेशानी तब बढ़ जाती है जब लोग एक बार मांगने से कोष नहीं जमा कर पाते हैं। कतिपय सामयिक कारणों से एक व्यक्ति से कई बार तकाजा करना पड़ता है। तकाजे की यह स्थिति किसी एक व्यक्ति के लिए परेशानी की हो जाती है। फिर गांव के विभिन्न वर्गों के लोगों की विभिन्न स्थिति होती है। गरीब-मजदूर जिस आर्थिक परिस्थिति में होता है उसमें समय पर देने में वह परेशानी व्यक्त करता है। चूंकि निर्णय स्वेच्छा का है, इस कारण दबाव भी नहीं डाला जाता है।

इस समस्या का समाधान ग्रामसभा को करना है। व्यवस्था की दृष्टि से ग्रामसभा कोष संग्रह के लिये जिम्मेदार है और ग्रामसभा में वे सभी लोग हैं जो कि ग्रामकोष देने वाले हैं। इस समस्या के समाधान के लिये ग्रामसभा कौन सा कदम उठाये? यदि ग्रामसभा को मुख्य इकाई माना गया है तो ग्राम-स्तर पर नियम बनाने के अधिकार होने चाहिए—अधिकार है भी। एक बार स्वेच्छा से निर्णय कर लेने के बाद व्यक्ति का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन करे। यदि कर्त्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो ग्रामसभा को यह अधिकार है कि उनसे कर्तव्य का पालन कराये। बाद में, ग्रामदान की कानूनी पुष्टि के बाद, ग्रामदान कानून के घेरे में भी आता है। इस दृष्टि से भी ग्रामसभा कड़े नियम बनाकर संग्रह की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। यह आगे विचारणीय विषय होगा कि इस दिशा में किस प्रकार के कदम उठाये जा सकते हैं।

(3) जब संग्रह का प्रसंग है तो हिसाब की दृष्टि से कोष का संग्रह कहां किया जाय यह भी विचारणीय है। अभी तक फुटकर रूप में संग्रह किया जाता रहा है। सवाल है ग्राम सभा कोष किस रूप में जमा करे। उसके पास अन्न तथा नगद दोनों प्रकार की आय होगी। इसे यदि संग्रह करके अन्न के रूप में रखना है तब तो स्थाई भण्डार गृह की व्यवस्था रखनी होगी। अब तक अन्न का संग्रह किसी के घर पर रखा जाता रहा है, जो कि सुरक्षा एवं सामाजिक नैतिकता दोनों दृष्टियों से कभी-कभी उचित सिद्ध नहीं होता।

नगद आय की भी यही स्थिति है। नगद आय भी किसी व्यक्ति के पास जमा रहने के बाद कभी-कभी समस्या बन जाती है। इसका यह समाधान हो सकता है कि बैंक या डाकघर में संग्रह को जमा कर दिया जाय। परन्तु गांव की जो व्यवस्था है उसमें सब जगह बैंक या डाकघर की व्यवस्था भी नहीं चल पाती। व्यवहार में स्थिति यह बन जाती है कि इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए एक खास व्यक्ति की पूरी शक्ति की जरूरत होती है, जो कि ग्रामसभा अब तक नहीं कर सकी है।

(4) लोगों से चर्चा के दौरान संग्रह का सवाल बारबार उपस्थित हुआ। जैसा ऊपर कहा गया है सामाजिक नैतिकता इस प्रकार के कार्यों में मुख्य बात होती है। संग्रह-विनियोग के हिसाब की पूरी जानकारी ग्रामसभा के प्रत्येक व्यक्ति को हो, यह अपेक्षा होना स्वाभाविक है। इस अपेक्षा की पूर्ति ग्रामसभा के सम्मुख हिसाब प्रस्तुत करके ही की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मन में शंका उठना स्वाभाविक है। फिर शंका की गांठ एक बार पड़ने पर विश्वास जाता रहता है। परन्तु हिसाब साफ रखने में ग्रामसभा की कई शैक्षणिक कठिनाईयां है। यह कठिन होता है कि ग्रामसभा इस कार्य के लिए ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति रखे जो पूरा हिसाब रख सके, और सभा के सामने प्रस्तुत कर सकें। गिनीचुनी ग्रामसभाओं को छोड़ कर हिसाब का व्यवस्थित रूप देखने को नहीं मिला।

(5) कारण चाहे जो हो निर्णय ले लेने के बाद भी लोग सहज ही देने की मानसिक स्थिति में नहीं होते हैं। वे देने से इनकार नहीं करते हैं। लेकिन टालते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके मन में एक अंश में न देने की बात भी रहती है। शायद यह टालना उनका संस्कार भी है या फिर नया कार्य होने के कारण सहज ही नहीं दे पाते हैं। देने वाले का सहज उत्तर होता है, अभी नहीं, कुछ दिन बाद दूंगा, कुछ पैदावार हुई नहीं, आय हुई नहीं क्या दूं आदि टालने जैसी बात कही जाती है।

विभिन्न वर्ग के लोगों की संग्रह के संबंध में क्या धारणा है यह विचारणीय है। वैसे ग्रामकोष के संबंध में सबकी सहानुभूति है और सर्वेक्षण के दौरान ग्रामदान में शामिल लोगों में से किसी का विरोध नहीं मिला। गांव में छोटे-बड़े किसान, मजदूर, व्यापारी, नौकरी करने वाले लोग भी हैं। नियमतः सभी की आय का एक हिस्सा ग्राम कोष में आना चाहिए। पर जैसा कि ऊपर कहा गया है अब तक किसानों का ही मुख्य सहयोग रहा है। मजदूर का स्थान

दूसरा है। वैसे सर्वेक्षित क्षेत्रों में मजदूरों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कोष के लिये देना उनके लिए कष्टकर सावित होता है। फिर भी हमें ऐसा लगा कि यदि प्रयास किया जाय तो मजदूर वर्ग का सहयोग प्राप्त करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। इस संवंध में व्यापारी, उद्योग में लगे लोग एवं नौकरी वालों का मानस ज्यादा अनुकूल नहीं दीखा। इस वारे में दो वातें हैं। एक तो यह धारणा वन गई है कि ग्रामकोष में केवल उत्पादन का हिस्सा जमा होता है। यह धारणा गलतफहमी एवं जानकारी न होने के कारण होती है। दूसरे, जव सही जानकारी हो जाती है तो भी व्यापारी एवं नौकरी करने वाले लोग कोष जमा करने से कतराते हैं। इन वर्गों से कोष जमा करना अभी तक नहीं संभव हो सका है।

नौकरी करने वाले लोग प्रायः गांव से वाहर रहते हैं। उनसे कोष तभी प्राप्त किया जा सकता है जव वे गांव आते हैं। देखा यह गया कि नौकरी करने वाले लोग देने की भूमिका में नहीं होते हैं। इस स्थिति में इनका हिस्सा नहीं प्राप्त हो पाता। कुछ लोग यह समझते हैं कि जव परिवार की एक प्रकार की आय-कृषि उत्पादन-का हिस्सा कोष में जमा हो गया तो नकद आय का हिस्सा मैं क्यों जमा करूं ? वाहर रहने के कारण गांव के प्रति तथा गांव के कार्यों के प्रति उनकी रुचि भी कम हो जाती है। इस कारण भी वे इससे वचना चाहते हैं। ऐसे लोग भी काफी हैं जो कि ग्रामदान में पूरा विश्वास भी व्यक्त नहीं करते हैं। गांव से वाहर रहने के कारण ग्रामदान और गांव में होने वाले कार्यों की जानकारी भी नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर स्थिति इस प्रकार की है कि नौकरी करने वालों से कोष का संग्रह एक समस्या है। यह ऐसा प्रश्न है जो प्रायः सभी गांवों में मिलेगा। कहीं कहीं तो नौकरी करने वाले लोग अपने को ग्रामदान से ही अलग मान लेते हैं। कुछ गांवों में उनके द्वारा विरोध भी देखने को मिला।

व्यापारियों की एवं अन्य प्रकार की आय से हिस्सा प्राप्त करना भी सहज नहीं है। व्यापारियों की स्थिति सभी जगह एक सी नहीं है। कहीं तो पैसे वाले व्यापारी हैं तो कहीं छोटे-छोटे व्यापार करने वाले हैं। परन्तु व्यापारी हैं सभी जगह। दूध का व्यापार, छोटी दूकान, चाय-पानी की दूकान, पैसे का लेन-देन करने वाले, अनाज खरीदने वाले, आदि अनेक प्रकार के व्यापारी एवं धन्धे वाले मिलेंगे। इनसे ग्रामकोष का हिस्सा केवल मुसहरी क्षेत्र के माधोपुर ग्रामसभा ने प्राप्त किया है। अन्य गावों में इस ओर कोई प्रयास भी नहीं किया जा सका

है, लेकिन उनका मानस यह है कि वे कोष का हिस्सा देने से बचें। गांव में सबका संबंध कृषि से होता है। अतः व्यापारी, नौकरी करने वाले प्रायः सभी यह कहने की स्थिति में होते हैं कि हमने तो कृषि-आय का हिस्सा तो दिया ही है। बड़े पैमाने पर व्यापार करने वाले, पैसे का लेनदेन करने वालों का मानस दूसरे प्रकार का देखने को मिला। इनके मन में यह भय उठता है कि ग्रामदान से तथा ग्रामकोष से हमारे धन्धे को घाटा है। इससे हमारा प्रभुत्व समाप्त होगा। एक सीमा तक यह भय सही भी है। आज तक ये मनमाना लाभ लेते रहे हैं, शोषण करते रहे हैं और ग्रामदान के बाद यह चलने वाला नहीं। तो व्यापारी एवं नौकरी करने वालों से ग्रामकोष कैसे प्राप्त किया जाय, यह ग्रामसभा के सामने समस्या रूप है।

विनियोग की समस्यायें :—

विनियोग की यदि छूट दी जाय तो उसका कोई अन्त नहीं। लेकिन ग्रामकोष की रकम के विनियोग की छूट नहीं दी जा सकती है। कोष के विनियोग के बारे में भिन्न भिन्न गांवों के लोगों का सोचने का ढंग भिन्न 2 पाया गया, जैसा पिछले अध्याय में कहा गया, विनियोग मुख्य दो मदों में किया गया है (1) गरीब वर्ग को कर्ज एवं सहायता और (2) सार्वजनिक कल्याण एवं निर्माण कार्य।

विनियोग के संबंध में ग्रामसभा ग्राम राय से निर्णय करती है। ग्रामसभा में ग्राम राय जिस प्रकार की होती है उसी के अनुसार विनियोग किया जाता है। व्यवहार में यह ग्राम राय ग्राम नेतृत्व पर निर्भर करती है। ग्राम नेतृत्व जिस मानस का होता है उस प्रकार की राय ग्रामसभा की बनती है। फिर भी इस संबंध में कुछ समस्यायें ग्रामसभा के सम्मुख उपस्थित होती हैं। जिसका समाधान खोजना है।

1—ग्रामसभा या यों कहें ग्राम नेतृत्व किस प्रकार के विनियोग को प्राथमिकता दे? उनके सामने आर्थिक-सामाजिक नियोजन का कोई स्पष्ट चित्र नहीं है, इस कारण विनियोग पर विचार करते समय कोई निश्चित आधार उनको मालूम नहीं। आवश्यकता इस बात कि है कि प्रत्येक गांव के सम्मुख आर्थिक विकास का चित्र हो ताकि प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर विनियोग पर विचार किया जा सके।

2–प्राथमिकताओं का सवाल तो आज भी है। गरीबों को कर्ज, सहायता बीमार को दवा, भूखे को भोजन, वेकार को काम, सड़क, विद्यालय, ग्रामसभा व्यवस्था संबंधी व्यय आदि न जाने कितने व्यय की मदें उनके सामने आज भी हैं। परन्तु उनके सम्मुख विचार की स्पष्टता नहीं है। यही कारण है कि विचार करते समय कोई ठोस आधार नहीं रह पाता। आज जो भी विनियोग होता है उसको सही दिशा मिले, इसके लिए आवश्यक है कि (1) ग्रामसभा के सामने गांव की जनता की आर्थिक परिस्थिति का खुलासा रहे। (2) उसके सामने आर्थिक विकास की योजना भी रहे ताकि कोष विनियोग को सही दिशा मिल सके। उक्त दो समस्याओं पर विचार करने के लिये आवश्यक है कि बाहर के लोगों का सहयोग प्राप्त हो। वर्तमान शैक्षणिक परिस्थिति में गांव के लोग उक्त समस्याओं को सुलझाने में सक्षम नहीं हैं।

3–सामाजिक नैतिकता कायम रखने का सवाल संग्रह से अधिक विनियोग के समय अधिक महत्व का होता है। सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग हुआ नहीं कि ग्रामकोष का चलना असंभव हो जाता है। अन्य सार्वजनिक संपत्ति की तरह ग्रामकोष के दुरुपयोग की पूरी संभावना रहती है। जहां कई वर्षों तक ग्रामकोष चला और बन्द हो गया, वहां बन्द होने का मुख्य कारण नैतिकता का ह्रास होना मुख्य कारण है। खुरण्डा में ग्रामकोष कई वर्ष पहले भी प्रारम्भ हुआ था, परन्तु सामाजिक नैतिकता में ह्रास के कारण बन्द हो गया। ग्रामसभा के सामने यह एक विकट समस्या है कि आर्थिक शुद्धता कैसे कायम रखी जाय। यदि नैतिकता कायम नहीं रह सकी तो ग्रामकोष की भी वही स्थिति होगी जो कि अन्य कार्यों में सार्वजनिक संपत्ति की होती है। ग्रामसभा इस नैतिकता को कायम रख सकेगी, यह अपेक्षा है। जिन गांवों में ग्रामसभा सक्रिय है वहां इस अपेक्षा की पूर्ति भी होती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए मुख्य दो प्रयास किये जा सकते हैं (1) ग्रामसभा इतनी सक्रिय और जागरूक हो कि अनैतिकता को प्रोत्साहन का मौका न मिल सके। (2) ग्राम नेतृत्व का नैतिक स्तर ऊंचा हो और वह सामाजिक नैतिकता को कायम रखे। सर्वेक्षित गांवों में अभी कार्य का प्रारम्भ है, वहां स्थिति ठीक देखने को मिली। ग्राम नेतृत्व एवं ग्रामसभा दोनों में सामाजिक नैतिकता कायम रखने के लिए उत्साह है।

अन्य समस्यायें–कर्ज वापसी:—

4–कुछ व्यावहारिक प्रश्न भी ग्रामकोष संग्रह विनियोग के संबंध में है। (क) कई ग्रामसभाओं में गांव के जरूरत मंद लोगों को कर्ज दिये गये हैं।

हालांकि यह कर्ज की मात्रा काफी कम है, फिर भी इसकी वसूली की समस्या आती है। खास कर बड़े गांवों में यह समस्या अधिक मुखर होती है। यह आम धारणा है कि कर्ज वापसी में कठिनाई होती है। लेकिन ग्रामदानी गांवों में यह समस्या अभी बहुत मुखर नहीं है। सर्वेक्षित गांवों में 70 से 90 प्रतिशत कर्ज की वापसी नियमित रूप से हो रही है। कई गांवों में तो शत प्रतिशत वापसी हुई है, फिर भी लोगों के मन में यह शंका है कि वापसी में परेशानी होगी।

(ख) विनियोग के प्रश्न पर सर्वसम्मति लाने की समस्या भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। आज की परिस्थिति में हर व्यक्ति अपने लाभ की बात सोचता है। यह प्रश्न उस समय और अधिक विवादग्रस्त हो जाता है जब कि विनियोग के प्रश्न पर आपस में मतभेद बन जाता है और लोग कई गुटों में बंट जाते हैं। ऐसा भी देखा गया कि गरीबों को कर्ज एवं सुविधा के प्रश्न पर मनमुटाव कम होता है। दो समस्तरीय लोगों या समुदायों पर यदि विनियोग होता तो सर्व सम्मति में थोड़ी कठिनाई होती है। सर्व सम्मति होने की इस समस्या का समाधान खोजना है। यह खोज तो अनुभव एवं विचार-विर्मश से ही संभव है।

ग–संग्रह-विनियोग दोनों की मिली जुली समस्या है हिसाब रखने की। रूपौली में हिसाब की शुद्धता के कुछ ठोस प्रयास किये गये हैं। इस प्रयास में बैंक में खाता खोला गया है। कहीं कहीं डाक घर में भी खाते खोले गये हैं। मुख्य समस्या नियमित हिसाब लिखने की है। नित्य का हिसाब लिखना सधता नहीं, यहां तक कि व्यवस्थित हिसाब भी नहीं सध रहा। खुशी की बात यह है कि पिछले दो वर्षों में जिन गांवों ने ग्रामकोष का प्रारम्भ किया है, वहां आय-व्यय का मोटा हिसाब रखने का प्रयास सभी ने किया है। सर्वेक्षित गांवों में हिसाब से संबंधित निम्नलिखित रजिस्टर या कापियां देखने को मिलीं:—

1–आय रजिस्टर,
2–विनियोग रजिस्टर,
3–जमा-खर्च रजिस्टर,
4–पारिवारिक संग्रह-पुस्तिका,
5–कर्ज एवं सहायता संबंधी विनियोग पुस्तिका,
6–आवेदन-पत्र संग्रह फाइल,

उक्त रजिस्टर सभी जगह है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। परन्तु प्रयास यह है कि ठीक-ठीक हिसाब रखा जाय। दानापुर, माघोपुर, मतेली क्षेमनारायण, आजाद दरगाह, बनगांवा आदि गांवों में आय-व्यय का हिसाब काफी व्यवस्थित देखने को मिला।

षष्ट अध्याय

ग्रामसभा और ग्रामकोष

ग्रामसभा और ग्रामविकास:—

गांव में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से जो भी कार्य होते हैं उसका सीधा संवंध ग्रामसभा से होता है। आर्थिक विकास की दृष्टि से ग्रामसभा की जिम्मेदारी और भी अधिक है। गांव में आर्थिक विकास की जो भी योजना बनती है उसका संचालन भी ग्रामसभा द्वारा होता है। सर्वेक्षित गांवों में आर्थिक दृष्टि से ग्रामसभा तीन प्रकार के कार्य कर रही है—

1–ग्रामस्तर पर ग्रामसभा स्वयं के स्रोतों से निर्माण के कार्य हाथ में लेती है।

2–ग्रामकोष संवंधी कार्य,

3–वाहर से प्राप्त साधनों से आर्थिक विकास के कार्यों का संचालन।

सभी सर्वेक्षित क्षेत्रों में उक्त कार्य समान रूप से किये जाते हों ऐसी वात नहीं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामसभा सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक विकास में, और इसी प्रकार ग्रामकोप में भी, सहयोग देती है। यहां यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि ग्रामसभा आर्थिक विकास में किस सीमा तक मदद कर पाती है यह ग्रामसभा की सक्रियता पर निर्भर करता है। सक्रिय ग्रामसभा किसी न किसी रूप में गांव के आर्थिक विकास में योगदान करती है। परन्तु ग्रामसभा गांव के आर्थिक विकास में ग्रामकोष के संग्रह एवं विनियोग आदि में कितना योगदान दे पा रही है यह अन्य कई वातों पर भी निर्भर करता है। सर्वेक्षित क्षेत्रों के अनुभव के आधार पर वे वातें इस प्रकार हैं:—

1–वाहर के कार्यकर्ताओं का सहयोग एवं मार्गदर्शन।

2–ग्राम नेतृत्व की सक्रियता।

3–वाहरी ऐजेंसियों से प्राप्त होने वाली आर्थिक मदद।

4–सरकार से मिलने वाली मदद।

5–ग्रामकोष एवं गांव के अन्य आर्थिक साधनों की प्राप्ति।

मरौना में स्थानीय शक्ति की झलक देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में अब तक वाहरी ऐजेन्सियों से किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिली है, यहां तक कि ग्रामदान के वाद ग्रामदान के कारण विशेष सरकारी मदद भी नहीं मिली है। इस दृष्टि से यहां की ग्रामसभा की स्थिति थोड़ी भिन्न है, अन्य क्षेत्रों मुसहरी, रूपौली एवं झाझा में कमोवेश सभी जगह वाहर की ऐजेंसियों का सहयोग है। मरौना क्षेत्र की जो ग्रामसभा जितनी सक्षम एवं सक्रिय है उतनी ही आर्थिक सफलता उसने प्राप्त की है। यहां की ग्रामसभा ने स्वयं की शक्ति एवं सहयोग से ग्रामविकास एवं समाजकल्याण के कार्य हाथ में लिये हैं। इस प्रकार की ग्रामसभाओं की संख्या कम है। फिर भी इनमें स्वयं की शक्ति से कुछ करने की भावना अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिली। सक्रिय ग्रामसभाओं ने सामूहिक शक्ति से निम्नलिखित कार्यों को पूरा किया या उनमें मदद की है।

1–ग्रामकोष संग्रह एवं विनियोग के संवंध में निर्णय लेना एवं उसे कार्यरूप देना।

2–वाढ़ से रक्षा की दृष्टि से कई ग्रामसभाओं से मिलकर वांध वनाना।

3–ग्राम की श्रम शक्ति एवं सहयोग से ग्रामसभा भवन का निर्माण।

4–अन्न संग्रह की दृष्टि से भण्डार कोठी का निर्माण।

5–ग्रामदान के विचार-प्रचार एवं लोकशिक्षण की दृष्टि से गोष्ठियों एवं शिविर का आयोजन।

उक्त कार्य मरौना के सभी गांवों ने किया है ऐसी वात नहीं है। परन्तु कुछ न कुछ सहयोग प्रायः सभी ग्रामसभाओं से मिला है। सर्वेक्षित क्षेत्र की 6 ग्रामसभाओं में से 4 ने इन कार्यों में पर्याप्त सहयोग दिया है। नवटोल, अरहा एवं दानापुर का नाम इन कार्यों की दृष्टि से उल्लेखनीय है। दानापुर में ग्रामसभा भवन, मन्दिर एवं ग्रामकोष भण्डार का निर्माण किया गया है। नवटोल ने ग्रामकोष शिविर में पर्याप्त योगदान दिया है। शिविर-आदि में दानापुर का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है।

जहां तक ग्रामकोष का प्रश्न है सभी ग्रामसभाओं का पर्याप्त योगदान रहा है। प्रारम्भ से ही ग्रामसभा और ग्रामकोष एक दूसरे से इतने निकट के संवंधी वन गये हैं कि उनको अलग करना संभव नहीं। विना ग्रामसभा के

ग्रामकोष का चलना संभव नहीं। यही कारण है कि ग्रामकोष के संग्रह एवं विनियोग के सभी निर्णय ग्रामसभा के द्वारा किये जाते हैं। मरौना क्षेत्र में आर्थिक विकास के वाहरी स्रोतों के अभाव के कारण वे ही कार्य सफल हो पाते हैं जिसको पूरी ग्रामसभा का सहयोग एव समर्थन प्राप्त हो। इसका मुख्य कारण यह है कि उस कार्य में ग्रामसभा के प्रत्येक सदस्य का योगदान आवश्यक होता है जव कि वाहर की मदद से चलने वाले कार्यों को ग्रामसभा की कम सक्रियता एवं सहयोग से भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन गांवों की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ग्रामसभा को आर्थिक विकास की वाहरी ऐजेन्सियों से आर्थिक सहयोग की पर्याप्त आवश्यकता है। यदि ग्रामसभा में स्वयं की जागरूकता है तो वाहरी मदद उन्हें काफी उत्साह पहुँचाती है। मरौना की ग्रामसभा को देखते हुए वाहर से मदद के संवंध में हम निम्न वातें कहने की स्थिति में हैं:—

1–जहां ग्रामसभा सक्रिय हो वहां ग्रामसभा को गांव की योजना के अनुसार वाहर से कर्ज या सहायता मिलनी चाहिये।

2–वाहर से कर्ज एवं सहायता का आधार ग्रामकोप को वनाना चाहिए। ग्रामकोप की रकम को आधार वनाकर उसी अनुपात में वाहर की सहायता लेनी चाहिए। केवल वाहर के कर्ज एवं मदद को सक्रियता का माध्यम नहीं वनाना चाहिए। पहले सक्रियता तव सहायता।

3–ग्रामविकास में पूंजी की दृष्टि से श्रम को शामिल करना चाहिए और कुछ हद तक शामिल किया भी गया है। कई गांवों की यह स्थिति होती है कि वहां श्रम शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन नगद पूंजी की कमी है। इस स्थिति में गांव की श्रमशक्ति को वाहर से प्राप्त पूंजी के साथ जोड़ना चाहिए।

4–आर्थिक विकास में वाहरी पैसा तभी लगाना चाहिए जवकि ग्राम-सभा सर्वसम्मति से उसका संचालन करने की स्थिति में हो।

उक्त मान्यताओं को आधार वनाकर देखें तो मरौना प्रखण्ड की कई ग्रामसभायें वाहरी सहयोग प्राप्त करने में सक्षम है, उससे इनकी सक्रियता वढ़ेगी। इनकी सक्रियता का ही परिणाम है कि कई ग्राम सभाओं ने ग्रामकोप की रकम का का अच्छा उपयोग किया है। वाहरी मदद एवं ग्राम-नियोजन और मार्गदर्शन के अभाव में ग्रामकोप का विनियोग ग्रामसभा अपने ढंग से

कर रही है। इस प्रखण्ड में ग्रामदान प्राप्ति एवं पुष्टि की जो प्रक्रिया देखने को मिली उस पर से यह कहने की भी स्थिति में हैं कि उन्हें वाहर के कार्यकर्ताओं का अपेक्षित मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो पाता है। यदि कार्यकर्ताओं का सतत मार्गदर्शन मिले तो यह सक्रियता और भी वढ़ सकती है। गांव के लोग स्वयं कार्यों का संचालन करें और कार्यकर्ता स्थायी जिम्मेदारी से मुक्त रहे, यह अपेक्षा होते हुए भी यह एक कटु सत्य है कि विना कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग के ग्रामसभा फिलहाल पूर्णतया सक्षम नहीं हो पाती है।

मुसहरी में ग्रामसभा आर्थिक विकास के साथ-साथ फल फूल रही है। अपेक्षा है कि पहले सक्रियता हो और वाद में सहयोग। मरौना में इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो पा रही है जवकि मुसहरी में वह पूरी हो रही है। वैसे मुसहरी में कार्य के प्रारम्भ का संदर्भ सर्वथा भिन्न है। इसके साथ-साथ यहां की शक्ति एवं मार्गदर्शन भी भिन्न प्रकार का है। ग्रामसभा गठन के वाद वाहरी सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास का कार्य हाथ में लिया जाय, यह प्रयास किया जाता है। व्यवहार में स्थिति यह वनी कि ग्रामदान के साथ-साथ आर्थिक विकास की अपेक्षा आयी। ग्रामदान प्राप्ति एवं पुष्टि के साथ-साथ आर्थिक विकास कार्य का प्रारम्भ हुआ। जिन गांवों को (1) कार्यकर्ता शक्ति एवं मार्गदर्शन अधिक मिला (2) आर्थिक विकास की सुविधा मिली, वहां की ग्रामसभाएं अधिक सक्रिय हुई। फिर मुसहरी की राजनीतिक परिस्थिति भी खास ढंग की है जिसका प्रभाव भी ग्रामसभा और अन्ततः ग्रामकोष पर पड़ता है। इस स्थिति में यहां की ग्रामसभा में सर्व की सक्रियता से अधिक महत्व ग्रामनेतृत्व की सक्रियता का हो जाता हैं।

मुसहरी को कार्यकर्ता शक्ति एवं वाहरी मदद दोनों सुविधायें प्राप्त हैं। वाहर से आर्थिक सुविधायें प्रदान करने वाली ऐजेंसियों में मुख्य है:—

1–विहार रिलीफ कमेटी

2–एवार्ड, (AWARD)

3–वैंक

4–सरकारी विभाग

जो ग्रामसभा जितनी सक्रिय है, तथा स्वयं की जितनी शक्ति अर्जित करे, उसी अनुपात में वाहर की मदद मिले, इस प्रयास में प्रायः सभी ग्रामसभाओं ने सिंचाई के लिए हैण्डपाइप की सुविधा प्रदान की है। लेकिन ग्रामसभा

ग्रामकोष के माध्यम से आर्थिक विकास का कार्य करे या उसमे मदद करे ऐसी स्थिति अभी नहीं आयी है। दिशा भी वह नहीं है। ग्रामकोप एवं ग्रामसभा का व्यवस्था की दृष्टि से एक दूसरे संबंध है। ग्रामसभा की पूरी जिम्मेदारी है कि ग्रामकोप के संग्रह एवं विनियोग के बारे में निर्णय करे। नेतृत्व की दृष्टि से विचार करने पर ग्रामसभा की कार्यकारिणी की सक्रियता पर ही ग्रामकोप की व्यवस्था निर्भर करती है। जहां की कार्यकारिणी जितनी सक्रिय है ग्रामकोप का कार्य उतना व्यवस्थित है। ग्रामसभा ग्रामकोष के विनियोग को कौनसी दिशा प्रदान करती है, यह विनियोग के अध्ययन में हम देख चुके हैं। प्रायः सभी सर्वेक्षित क्षेत्रों में यह महसूस किया गया कि ग्रामसभा की सक्रियता से ही ग्रामकोष के संग्रह एवं विनियोग को गति प्रदान की जा सकती है। इस क्षेत्र में वाहरी मदद प्राप्त है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि स्थानीय शक्ति का आर्थिक कार्यों में योगदान में कमी है। जिन गांवों में ग्रामसभा की सक्रियता है वहां स्थानीय शक्ति से निर्माण के अनेक कार्य किये गये। मादापुर ग्रामसभा ने श्रमदान से सड़क एवं विद्यालय भवन निर्माण में उल्लेखनीय योगदान किया है। यही स्थिति सुस्ता की भी है। मादापुर ग्रामसभा ने शिविर एवं गोष्ठियों का भी आयोजन किया है। श्री जयप्रकाश नारायण का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन होने के कारण यहां की ग्रामसभा का नेतृत्व वर्ग अपने ढंग से सक्रिय है। इस पर उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

रूपौली की परिस्थिति मरौना से मिलती जुलती है। भौगोलिक दृष्टि से भी मरौना और रूपौली में काफी समानता है। लेकिन सामाजिक परिस्थितियां मरौना से भिन्न हैं। रूपौली में बड़े किसानों, खासकर अनुपस्थित भूमिमालिकों का प्रभाव है। इन लोगों के पास गांव की अधिकांश जमीन है, जबकि शेप परिवारों के पास नाम मात्र की जमीन है। ग्रामदान में शामिल करने के प्रयास में ये बड़े किसान अपने को अलग रखते रहे हैं। भूस्वामी यहां रहते नहीं, फलस्वरूप उनसे प्रत्यक्ष चर्चा सम्भव नहीं हो पाती है। प्रायः यह देखा गया कि इस प्रकार के बड़े किसान ग्रामदान में शामिल नहीं है और इस प्रकार उनका ग्रामसभा से भी संबंध नहीं रहता है। इस परिस्थिति में वे गांव से अलग माने जाते हैं। गांव में जमीन होते हुए भी उनका गांव से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है। उत्पादन भी उनका बाहर चला जाता है। इसका प्रभाव ग्रामकोष पर पड़ता है, हालांकि यहां ग्रामकोप पर जो भी विचार व्यक्त किये गये है या आंकडे प्रस्तुत किये गये है उसमें अनुपस्थित भूस्वामी की जमीन नहीं शामिल है।

ग्रामसभा का आर्थिक विकास के साथ सीधा संबंध कायम हो, इस दिशा में रूपौली में कुछ प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं। वैसे एक प्रयास तो यह है कि विकास के जो भी कार्य हों वे ग्रामसभा के माध्यम से किये जांय। प्रखण्ड स्तर पर ग्रामसभा का सहयोग मिले, इसके लिए प्रखण्ड स्तर का संयोजन किया गया है। ग्रामकोष के अतिरिक्त बाहर से प्राप्त होने वाली आर्थिक सुविधाओं का उपयोग भी ग्रामसभा के माध्यम से मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। ज्यों ज्यों ग्रामसभा में सक्रियता आयेगी, त्यों त्यों आर्थिक विकास के मार्ग प्रस्तुत होंगे, यह अपेक्षा रखी गयी है। प्रारम्भिक आवश्यकता को देखते हुए यहां बिहार रिलीफ कमेटी की ओर से छोटे पैमाने पर सिंचाई एवं पीने के पानी के लिये हैण्डपम्प लगा सकने की सुविधा उपलब्ध है। जो ग्रामसभा सक्रिय है वह ग्रामवासियों को इसकी सुविधा उपलब्ध करा सकती है। पूरी ग्रामसभा का प्रत्यक्ष संबंध ग्रामकोष के साथ हो, इसके लिये आवश्यक है कि ग्रामकोष में सबका हिस्सा हो। इस प्रखण्ड में कुछ गांव ऐसे हैं जहां की ग्रामसभा की सक्रियता में कमी दिख सकती है। लेकिन सामान्य गांव की जो स्थिति है उसमें ग्रामसभा ग्रामकोष की व्यवस्था में महत्व की भूमिका निभा रही है। यहां के ग्राम नेतृत्व में गांव के तथा क्षेत्र के शिक्षक समुदाय का अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है। पिछले अभियान के दौरान यहां के शिक्षकों ने जो भूमिका निभाई है उससे इस बात की आशा बंधती है कि शिक्षक लोक शिक्षण के वाहक बनेंगे। यही कारण है कि यहां की ग्रामसभाओं ने ग्रामकोष के हिसाब आदि को व्यवस्थित किया है। हाल ही में प्रखण्ड सभा का गठन किया गया। प्रखण्डसभा की कार्य पद्धति एवं भावी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर ग्रामसभा के साथ ग्रामकोष तथा विकास की योजनाओं के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। फिलहाल प्रखण्ड सभा में आर्थिक विकास के सभी विभागों के लिए अलग अलग प्रभारी चुने गये हैं। प्रखण्ड सभा, ग्रामसभाओं में ग्रामकोष नियमित रूप से निकले, इसके लिये प्रयास करती है। इस प्रयास में ग्रामसभा की बैठक बुलाकर ग्रामकोष के लिए प्रेरित करना, संग्रह में आने वाली समस्याओं पर विचार विनिमय करना आदि तथा किसी खास व्यक्ति की कोई समस्या हो तो उस पर विचार करना आदि कार्य किये जाते हैं। यहां इस बात का प्रयास है कि ग्रामसभा की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी तो पूरा गांव मजबूत होगा। ग्रामकोष की दृष्टि से ग्रामसभा इस बात पर बराबर चर्चा कर रही है कि ग्रामकोष की

पूंजी कैसे बढ़े । फिलहाल ग्रामसभा के पास किसानों से प्राप्त उत्पादन का हिस्से के अतिरिक्त ग्रामकोष की आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है । नौकरी करने वाला एवं व्यापारी वर्ग यहां भी ज्यादा अनुकूल नहीं है । इनके साथ वे ही समस्यायें हैं जो कि मुसहरी में हैं ।

इस क्षेत्र में अनुपस्थित भूस्वामियों की एक खास स्थिति है । जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस प्रकार के बड़े अनुपस्थित किसान गांव में हुई पैदावार को हर साल ले जाते हैं । जमीन गांव में होने तथा उत्पादन भी गांव वालों द्वारा किया जाने के बाद भी उत्पादन का हिस्सा गांव को नहीं मिल पाता है । इस संबंध में ग्रामसभा क्या कर सकती है यह विचारणीय है । कुछ लोगों की राय में अनुपस्थित भूस्वामियों की जमीन पर खेती के संबंध में ग्रामसभा को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए । इससे ग्रामकोष की भी वृद्धि हो सकती है । इस बारे में इस प्रकार के प्रयास किये जा सकते हैं ।—

1–जमीन गांव में होने के कारण उत्पादन में से ग्रामकोष का हिस्सा लिया जाय । ये लोग ग्रामदान में नहीं शामिल है, गांव में रहते भी नहीं । इस स्थिति में ग्रामसभा के सामने ग्रामकोष लेने के निर्णय के समय सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रश्न खडे हो सकते हैं । लेकिन कुछ की राय में इनकी पूरी खेती गांव के लोग करते हैं । फिर अनुपस्थित भूस्वामित्व एक प्रकार का शोषण है । ग्रामसभा ग्राम के हित में ग्रामकोष जमा करे, इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए । यह एक विचार है । परन्तु यह विचार तो ग्रामसभा एवं भूस्वामी के साथ चर्चा के बाद ही व्यवहार में लाया जा सकता है ।

2–अनुपस्थित भूस्वामी की जमीन की खेती ग्रामसभा कराये और कानून सम्मत जितना हिस्सा भूस्वामी को मिलना चाहिए उतना दिया जाय ।

3–भूस्वामी गांव में आकर रहें और ग्रामदान में शामिल हों ।

ये तीन विचार क्षेत्र के जन मानस में हैं । आगे ग्रामसभा एवं प्रखण्ड सभा इन प्रश्नों पर विचार करेगी ।

झाझा प्रखण्ड की कार्य पद्धति विकासात्मक है । यहां ऑक्सफॉम की ओर से कृषि विकास के कार्य चल रहे हैं । ग्रामसभा इस कार्य का माध्यम बनी है । पहाड़ी एवं अत्यन्त गरीब क्षेत्र होने के कारण यहां की मुख्य समस्या है, सिंचाई एवं पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना । यह व्यवस्था मरौना, मुसहरी एवं रूपौली की तरह सहज नहीं है । यहां पानी

की सुविधा प्रदान करने के समय भी (1966–67 में) भोजन एवं पानी की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया था। इन कार्यों का ग्रामदान पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इस प्रखण्ड में प्रारम्भ से ही प्रयास रहा कि ग्रामसभा सभी कार्यों का माध्यम बने। यही कारण है कि अकाल राहत के समय से ही ग्रामसभा को राहत एवं विकास के कार्यों का माध्यम बनाया गया। जैसा ऊपर कहा गया है इस अत्यन्त गरीब एवं भौगोलिक दृष्टि से विकट क्षेत्र में हमेशा अकाल की स्थिति बनी रहती है। यही कारण है कि ग्रामकोष का कार्य प्रारम्भ होने में देर लगी। देर सही, पर कोष की शुरुआत उत्साहवर्धक है। प्रखण्ड सभा बनजाने के बाद ग्रामकोष को एक नयी दिशा मिली है। प्रखण्ड कोष जमा करने का निर्णय ग्रामकोष को प्रोत्साहित करता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हर ग्रामसभा अपना हिस्सा प्रखण्ड कोष में जमा करे। अपेक्षा यह रखी गयी कि प्रखण्ड सभा के बाद ग्रामसभा और भी मजबूत होगी, संगठित होगी और अन्ततः ग्रामकोष को गति मिलेगी। जैसा कि ऊपर कहा गया है यहां पूंजी संग्रह की दो इकाईयां मानी गयी है। 1. ग्रामसभा में ग्रामकोष, 2. प्रखण्ड सभा में प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड कोष। दोनों में कोई विरोध नहीं है। ग्रामसभा मजबूत होगी तो ग्रामकोष की पूंजी बढ़ेगी और इस प्रकार पूरा प्रखण्ड मजबूत होगा और अन्ततः प्रखण्ड सभा और प्रखण्ड कोष मजबूत होगा।

झाझा में विकास का कार्य ग्रामसभा देखती है और पिछले 5 वर्षों से विभिन्न गांवों में विकास का कार्य चल रहा है। जिन गांवों में विकास का कार्य चलता है वहां ग्रामकोष संबंधी कार्य बढ़ जाता है। जो भी निर्माण का कार्य चलता है उसका एक हिस्सा ग्रामकोष के रूप में जमा किया जाता है। फिर कार्य का बटवारा, मजदूरी का भुगतान एवं हिसाब आदि रखना भी ग्रामसभा द्वारा किया जाता है। सक्रियता की दृष्टि से इस प्रखण्ड में हर स्तर के गांव देखने को मिलेगें। सक्रिय ग्रामसभाओं में ग्रामकोष संबंधी सभी निर्णय उत्साहपूर्वक किये जाते हैं। इस गरीब एवं आर्थिक कठिनाइयों से ग्रसित क्षेत्र में ग्रामसभा ग्रामकोष का संग्रह किन स्रोतों से करे यह मुख्य समस्या है:—

सर्वेक्षित क्षेत्रों में ग्रामसभा एवं ग्रामकोष के संबंध में जो बातें सामने आयी है उस पर से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:–

1–जहां की ग्रामसभा सक्रिय होगी वहां ग्रामकोष का कार्य सुविधा-पूर्वक चलेगा। ग्रामकोष के नियमित चलने के लिए आवश्यक है कि पूरी ग्रामसभा में सक्रियता हो।

2–ग्रामसभा ग्रामकोष संग्रह एवं विनियोग की विभिन्न शर्तों एवं स्रोतों पर विचार एवं निर्णय करती है।

3–ग्रामकोष नियमित चले और उसका पूरा पूरा लाभ गांव को मिले, इसके लिये आवश्यक है कि सामाजिक नैतिकता कायम रहे। यह सामाजिक नैतिकता ग्रामसभा कायम रख सकती है।

4–ग्रामकोष संग्रह के लिए आवश्यक है कि ग्रामसभा के सदस्यों को सतत् प्रोत्साहित किया जाता रहे। इसके लिए लोकशिक्षण की आवश्यकता है, और वह लोकशिक्षण ग्रामसभा के माध्यम से संभव है।

5–ग्रामकोष ग्राम विकास एवं अन्य समस्याओं के साथ जुड़े, इसके लिये भी आवश्यक है कि ग्रामसभा का सीधा नियन्त्रण ग्रामकोष पर हो।

———

सप्तम अध्याय
ग्राम और ग्रामकोष

ग्रामकोष : ग्रामपूंजी

जैसा कि हमने देखा ग्रामकोष का प्रारम्भ पिछले 2-3 वर्षों में व्यवस्थित रूप से हुआ है। इस प्रारम्भ के प्रति जनमानस काफी अनुकूल है। ग्रामदान में ग्राम आयोजन की दृष्टि से ग्रामकोष की क्या भूमिका होगी यह विचारणीय है। आर्थिक दृष्टि से विचार करें तो ग्रामकोष पूंजी निर्माण में किस सीमा तक मददगार होगा, यह महत्त्व का सवाल है। पूंजी निर्माण आज की मुख्य समस्या है। गांव की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सहज ही यह कहा जाता है कि वहां पूंजी निर्माण की क्षमता नहीं के बराबर है। गांवों में पूंजी निर्माण की क्षमता आये इसके लिए अब तक ठोस प्रयास नहीं किये जा सके हैं। हां, बाहर से पैसा पहुंचाकर राहत पहुंचाने का प्रयास जरूर किया गया है। गांव के लोग स्वयं की शक्ति से पूंजी निर्माण करें, इस ओर प्रयास की आवश्यकता है और ग्रामदान में ग्रामसभा ग्रामस्तर पर आर्थिक संयोजन करेगी। इस संयोजन में उनके पास ग्रामकोष की भी पूंजी रहेगी। वैसे आज की परिस्थिति में ग्रामकोष से राहत का कार्य मुख्यतः होगा। राहत के साथ साथ आर्थिक विकास में भी इसका योग रहेगा। अभी तक ग्राम संयोजन की यह स्थिति नहीं है, और न ही ग्रामकोष की पूंजी इतनी है कि उसको आधार बनाकर आर्थिक विकास की योजना बन सके। अभी ग्रामकोष कमजोर वर्ग को आर्थिक राहत देने का मुख्य कार्य कर रहा है। कालांतर में, जब ग्रामकोष का नियमित संग्रह होगा, उस समय गांव के पास ग्राम विकास के लिए पूंजी की प्राप्ति में भी ग्रामकोष से योग लिया जा सकेगा। जैसा कि हमने देखा अब तक केवल कृषि उत्पादन का हिस्सा ही ग्रामकोष में जमा करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि अन्य प्रकार की आय को छोड़ दें और कृषि उत्पादन का ही पूरा संग्रह करें तो भी गांव के पास अच्छी रकम जमा हो सकती है।

सर्वेक्षित क्षेत्रों में उत्पादन और जमीन की मात्रा को देखते हुए कोष-संग्रह का अंदाज लगाया गया है। मरौना प्रखण्ड के सर्वेक्षित 6 गांवों में एक

वर्ष में 1085 मन अन्न जमा किया जा सकता है। यदि 5 वर्षों तक यह संग्रह किया जाय तो इन 6 गांवों के पास 5425 मन अन्न जमा किया जा सकता है जिसकी कीमत करीब 21700 रुपया आंकी जानी चाहिए। जहां ग्रामस्तर पर कुछ भी पूंजी नहीं है वहां 5 वर्षों में इतनी रकम जमा की जा सकती है। यह तो नगद जमा की स्थिति है। जैसा कि ऊपर कहा गया गांव में नगद जमा से अधिक महत्त्व श्रमशक्ति का है। आवश्यकता इस बात की है कि नगद पूंजी के आधार पर श्रमशक्ति का उपयोग किया जाय। यदि उक्त रकम को मूल पूंजी मान कर और बाहरी स्रोतों से पूंजी संग्रह कर श्रम का उपयोग किया जाय तो ग्राम नियोजन को गति मिल सकती है। इसकी यह स्थिति हो सकती है :—

1– ग्रामकोष की रकम को मूल पूंजी के रूप में जमा किया जाय।

2– इस पूंजी को आधार बनाकर सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों से कर्ज एवं सहायता ली जाय।

3– गांव में प्राप्त श्रम शक्ति का उपयोग किया जाय और प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले इसका प्रयास ग्रामसभा करे।

ग्रामकोष की जो स्थिति मरौना में है वही स्थिति अन्य क्षेत्रों की भी मानी जानी चाहिए। क्षेत्र के हिसाब से प्रति वर्ष संभावित जमा हो सकने की जो स्थिति है उसे इस रूप में देख सकते हैं :—

सारणी संख्या–15

क्षेत्र	गांव सं०	प्रति वर्ष संभावित जमा (मन)		रु०
मरौना	6	1085	–	43400·00
मुसहरी	3	474	–	19260·00
रूपौली	5	282	–	11280·00
झाझा	4	559	–	22360·00
	18	2400	–	96300 00

जैसा कि उक्त सारणी से स्पष्ट है एक वर्ष में 18 गांवों में 2400 मन अन्न जमा किया जा सकता है। इसको नगद रूप में देखा जाय तो करीब

96300 रुपये प्रति वर्ष जमा किया जा सकता है। स्मरण रहे इसमें नौकरी करने वाले, उद्योग एवं व्यापार में लगे लोगों का हिस्सा नहीं शामिल है। एक गांव प्रति वर्ष कितना कोष जमा कर सकता है। इसका अंदाज तीसरे अध्याय में दिया गया है।

जब पूंजी निर्माण का सवाल आता है तो यह देखना आवश्यक है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से मौलिक इकाई क्या है? क्या आज पूरे गांव की एक इकाई बने जा सकता है? स्थिति यह है कि आज की परिस्थिति में पूरा गांव एक इकाई नहीं है। ग्रामदान में यह आदर्श निहित है कि पूरा गांव एक इकाई बने और आर्थिक विकास की पूरी योजना ग्राम स्तर पर बने। पूरा गांव एक इकाई बन जाने पर भी पारिवारिक इकाई का लोप नहीं होगा। परिवार एक मूलभूत इकाई आज भी है और आगे भी रहने वाली है। हां, ग्रामदान के विकास से गांव एक इकाई बनेगा जिसमें परिवार भी शामिल होंगे। आज की स्थिति में ग्रामसभा को आर्थिक विकास की दृष्टि से परिवारों की संपन्नता प्रदान करने की आवश्यकता है। ग्रामसभा में, ग्रामकोष में प्रत्येक परिवार का सक्रिय सहयोग होता है, परिवारों से मिलकर ही ग्राम इकाई बनती है। अनेक आर्थिक क्रियायें भी परिवार के स्तर पर होती है। ग्रामदान के बाद दो स्तर की आर्थिक क्रियायें होगी– (1) ग्रामस्तर पर (2) परिवार स्तर पर। ग्राम के सामूहिक विकास की दृष्टि से ग्रामसभा परिवारों को किस प्रकार सहयोग करे यह विचारणीय है। ग्रामकोष संग्रह के बाद ग्रामसभा के सामने यह सवाल आता है कि पूंजी निर्माण में और उसके फलस्वरूप आर्थिक विकास में परिवार की किस प्रकार की सहायता करे। अब तक तो ग्रामकोष जरूरतमंद परिवार को कर्ज देता रहा है। कालांतर में ग्राम-विकास की दृष्टि से ग्रामसभा को परिवार एवं ग्राम दोनों स्तर पर नीतिनिर्धारण करना होगा।

जैसा कि हमने देखा, जीवन एवं जीविका का आधार परिवार है। आर्थिक नियोजन तो ग्रामस्तर पर होगा परन्तु अन्ततः लाभ को परिवार स्तर पर ही देखना होगा। गरीब से गरीब परिवार को पहले और अधिक लाभ पहुंचे, यह देखना होगा। गांव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आर्थिक विकास की दृष्टि से ग्रामसभा एवं परिवार के संबंध इस प्रकार के बन सकते हैं। (1) पूंजी निर्माण का कार्य, परिवारों के सहयोग से, ग्रामस्तर पर किया जाय। (2) परिवार को आर्थिक विकास के लिए ग्रामसभा कर्ज दे (3)

ग्रावश्यकता पड़ने पर सहायता भी दी जा सकती है। (4) ग्रामस्तर पर ऐसी योजनायें चलायी जांय जिससे सबको लाभ मिले और सब का आर्थिक विकास हो। कृषि की स्थिति को देखते हुए ग्रामसभा के सामने मुख्य समस्या कृषि की सुविधायें प्रदान करना है। ये सुविधायें पारिवारिक एवं ग्राम दोनों स्तर पर देने की आवश्यकता है। छोटे किसानों को परिवार स्तर पर सिंचाई एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता है। कहीं-कहीं सामयिक समस्यायें इतनी विकट हो जाती है कि उन्हें हल करना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार ग्रामसभा को ग्राममाता की भांति दुर्बल परिवारों को संरक्षण प्रदान करना होगा। गांव में कृषक मजदूरों की समस्या भी विकट है। उन्हें पूरा काम और पूरी मजदूरी मिले इसके लिए काफी प्रयास की आवश्यकता है। ग्रामविकास के क्रम में बेरोजगार हाथ को काम देने में ग्रामकोष का पर्याप्त योगदान हो सकता है। ग्रामसभा ग्रामकोष का विनियोग इस प्रकार करे जिससे अंतिम वर्ग को भर पेट भोजन की सुविधा मिले। उसकी श्रम शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग किस प्रकार हो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसे उत्तरित करना बाकी है।

ग्रामकोष और श्रम:—

जिसके पास श्रम शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है उसका आर्थिक विकास हो इसके लिए आवश्यक है कि श्रम को पर्याप्त प्रतिष्ठा प्रदान की जाय। उत्पादन के अन्य साधनों की तरह श्रम को भी महत्व प्रदान किया जाय। जिस प्रकार भूमि, पूंजी एवं साहसी को इसका हिस्सा मिलता है उसी प्रकार श्रम को भी उचित हिस्सा मिले। यहां पर इतना ही कहना चाहेंगे कि ग्रामकोष में श्रम को वही महत्व दिया जाय जो कि किसान से प्राप्त अन्न का है। इस प्रकार ग्रामकोष में दो मुख्य जमाएँ होंगी। (1) नगद या अन्न के रूप में (2) श्रम के रूप में। श्रम के रूप में जमा श्रमशक्ति के उपयोग के लिए संयोजन की आवश्यकता है। इस दिशा में किये गये प्रयास नहीं के बराबर हैं। अब तक श्रम का उपयोग जिस प्रकार किया जा सका है उसे बिलकुल प्रारंभिक प्रयास माना जाना चाहिए। कुछ गांव में श्रमदान के माध्यम से निर्माण कार्य किये गये हैं और उसका हिसाब ग्रामकोष में रखा गया है। इसी प्रकार कुछ गांवों में, जैसे झाझा में बाहरी ऐजेंसियों के सहयोग से श्रमिकों को काम दिया गया और माह में एक दिन की मजदूरी जमा करके उस जमा रकम से पुनः उनसे मजदूरी करायी गयी। । इससे जमा ग्रामकोष से श्रमिक को काम मिला।

अन्न संग्रह का महत्व:—

ग्रामकोष में अन्न जमा हो, इसका खास महत्व है। प्रत्येक गांव के पास कम से कम दो वर्ष तक खाने के लिए अन्न जमा रहे, यह कल्पना ग्रामदान के साथ जुड़ी है। अन्न संग्रह से गांव वालों की विविध आवश्यकतायें पूरी होती है। विनियोग के अध्याय में हमने देखा है कि ग्रामकोष से कर्ज के रूप में अन्न की मांग अधिक है। आज गरीबों की मुख्य मांग है, भूखे पेट को अन्न मिले। इस प्रकार अन्न संग्रह का मुख्य उपयोग है (1) तात्कालिक राहत की दृष्टि से जरूरत मंद को अन्न मिले। (2) संकट के समय के लिए पूरे गांव को 2 वर्ष तक खाने का अन्न संग्रह जमा रहे। (3) फिर उत्पादक कार्यों में श्रमिक को मजदूरी में अन्न का उपयोग सुविधा जनक होता है। यदि इस बात का प्रयास रहता है कि श्रमिक को श्रम के बदले मजदूरी में अन्न मिले तो भूमिहीन मजदूर को जीवन-यापन का मुख्य साधन तुरन्त प्राप्त हो जाता है।

ग्रामीण व्यापार की दिशा:—

गांव के आर्थिक शोषण को रोकने और गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जरूरी है कि वर्तमान आयात-निर्यात की, व्यापार की पद्धति में परिवर्तन किया जाय। गांव को वर्तमान ढंग की साहूकारी से मुक्त कराया जाय। एक राय यह दी जाती है कि गांव का आयात-निर्यात तथा व्यापार सहकारी पद्धति से किया जाय। लेकिन स्थिति यह है कि इससे वर्तमान साहूकारी व्यवस्था पर कुठाराघात करना सहज नहीं है। ग्रामीण जीवन महाजनी व्यवस्था के जंगल में इतना अधिक फंसा है कि उससे निकलना असंभव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य लगता है। ग्रामीण के दिमाग में व्यक्तिगत व्यापार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यापारिक पद्धति का व्यावहारिक चित्र साफ नहीं है। आज का ग्रामीण आज के व्यापार से शोषित होता है परन्तु वह इस परिस्थिति में नहीं है कि किसी अन्य पद्धति को अपना सके। इसके कई कारण हैं। इनमें मुख्य हैं–

1–अन्य किसी भी व्यापारिक पद्धति का उसे अनुभव नहीं है। जबकि व्यक्तिगत व्यापार के लाभ का उसे परम्परा से ज्ञान है। वह उसका अभ्यस्त हो चुका है।

2–अभ्यास हो जाने के कारण इसकी बुराइयों को समझते हुए भी सहज ही छूटता नहीं। वह इस बात से सशंकित होता है कि पता नहीं दूसरी व्यवस्था कैसी हो ?

3–सबसे बड़ा कारण है महाजनों का जकड़न। प्रत्येक परिवार का महाजन से किसी न किसी प्रकार का संबंध होता है। महाजन किसान को अनेक रीति से अपने पक्ष में और अपने कब्जे में रखता है। वह कई सुविधायें भी देता है जिसके कारण किसान उससे बंधा रहता है (क) जरूरत पड़ने पर कर्ज देता है। (ख) सामान उधार देता है। (ग) शादी, मृत्यु आदि अवसर पर मददगार होता है। हां, यह मदद वह सहायता रूप में नहीं, कर्ज रूप में देता है। (घ) गांव से बिक्री का सामान ले जाता है जिससे किसान को बाजार में जाकर बेचने की परेशानी बचती है। उसी प्रकार जरूरत पड़ने पर सामान पहुंचा भी देता है।

4–जो लोग रोज कमाते रोज खाते हैं, उनके लिए महाजन 'मां बाप" की तरह है। एक तरह से अन्तदाता है। श्रम बेचकर जो चंद सिक्के प्राप्त करते हैं उससे पूरा परिवार तभी जिन्दा रह सकता है जबकि महाजन की दया हो। महाजन इन दया के पात्र ग्रामीणों को जरूरत की चीजें तुरन्त मुहैया करता है। ये लोग रोज ही फुटकर सामान खरीदते हैं जिनकी मात्रा अत्यन्त कम होती है। इनका संबंध मात्रा रोज खरीद से ही नहीं है बल्कि अन्य संबंध भी, जैसे उधार देना, कर्ज देना आदि।

यहां यह स्पष्ट है कि उक्त जो भी कारण बताये गये उनमें महाजन भरपूर शोषण करता है। यह शोषण किस रूप में किस अंश में होता है वह दूध, पटुआ, बीड़ी आदि के व्यापार के संदर्भ में दिये गये हिसाब से स्पष्ट है। यहां उसे दुबारा लिखने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में यह कहना चाहेंगे कि व्यापारी मुख्य इन रूपों में किसान, मजदूर तथा अन्य ग्रामीणों का शोषण करता है:—

1–सामान महंगा देखकर तथा सस्ता खरीद कर।
2–गलत हिसाब रखकर जिसे ग्रामीण नहीं समझ पाता है।
3–अधिक ब्याज ले कर।
4–परम्परागत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के कारण दबाव डालकर।

उपरोक्त परिस्थिति है जिसमें ग्रामीण व्यापार का विकल्प ढूंढना है। ग्रामदान यह नहीं कहता कि व्यक्तिगत व्यापार समाप्त करना है या गांव के व्यापारियों को समाप्त करना है। वह तो गांव एवं व्यापारियों के सहयोग से ही रास्ता निकालने के प्रयास में है। देखना यह है कि वर्तमान व्यवस्था में जो शोषण एवं अन्याय है वह समाप्त कैसे हो। इस शोषण एवं अन्याय को समाप्त करने के लिए ही विभिन्न विकल्प सुझाये जाते रहे हैं। यहां हम यह कह

देना चाहेंगे कि सर्वेक्षित गांवों में अब तक व्यापार का कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत किया जा सका है। ग्रामसभा इस आशा में है कि ग्रामसभा की शक्ति बढ़ने पर व्यक्तिगत व्यापारी एवं ग्रामसभा के आपसी सहयोग से कोई रास्ता निकलेगा।

ग्रामसभा के लोग इस विषय पर कोई निश्चित राय देने की स्थिति में नहीं है। सर्वेक्षण के दौरान चर्चा के बाद हम यह कहने की स्थिति में हैं कि वर्तमान परिस्थिति में ग्रामसभा ग्रामीण व्यापार का किसी व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। इस विषय पर वे मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। फिर भी चर्चा के बाद कुछ बातें सामने आयी हैं जिनसे विकल्प ढूंढ़ने में मदद मिल सकती है। ग्रामसभा सभी कार्यों का केन्द्र है यह गांव वाले भी स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि प्रायः सब ने यह मत व्यक्त किया कि यदि ग्रामसभा मजबूत हुई तो आर्थिक शोषण को दूर करने की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। ग्रामसभा के मजबूत होने के इस संदर्भ में दो अर्थ है—(1) संगठन की दृष्टि से ग्रामसभा इस स्थिति में हो कि सब लोग एक राय से किसी कार्य को सक्रियता से कर सकें। (2) आर्थिक दृष्टि से ग्रामसभा मजबूत हो ताकि इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध यदि कोई निर्णय लिया गया, योजना बनी तो उसे मूर्त रूप दिया जा सके। कई ग्राम सभायें ऐसी हैं जो संगठन की दृष्टि से मजबूत है, पर आर्थिक विषमता के कारण कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। जैसे मरोना क्षेत्र में दूध एवं पटुआ के व्यापार को अपने हाथ में लिया जा सकता है। संगठन की दृष्टि से कई ग्रामसभायें इसमें सक्षम भी हैं। परन्तु पूंजी एवं व्यवस्था की कमी के कारण ऐसा नहीं संभव हो पा रहा है।

व्यक्तिगत बाजार पद्धति से होने वाली हानियों से अवगत होने के बाद आम राय यह देखने को मिली कि ग्राम सभा यदि प्रयास करे तो शोषण कम हो सकता है। सरकारी दूकान, सस्ते गल्ले की दूकान तथा सहकारी दूकान के सम्बन्ध में इनकी धारणा ज्यादा अनुकूल नहीं दिखी। सहकारी दूकान, राशन की दूकान की अपनी व्यावहारिक परेशानियां हैं, जिनके कारण जनमानस इसके पक्ष में नहीं है।

ग्रामसभा, व्यापार, ग्रामकोष, इनका आपसी सम्बन्ध कैसा हो तथा व्यापार का क्या स्वरूप होगा इस बारे में कुछ बातें विचारणीय हैं। ग्रामसभा ग्रामीण व्यापार पर एकाधिकार करे, यह मंशा नहीं है, ऐसी अपेक्षा भी नहीं है। इससे साफ है कि ग्रामसभा का व्यापार, आयात-निर्यात में हस्तक्षेप करने पर। भी व्यक्तिगत व्यापारी कायम रहेंगे। इस स्थिति में व्यापार की यह स्थिति हो सकती है :—

1—ग्रामसभा अपने नियम एवं नैतिक दवाव से व्यक्तिगत व्यापारियों को इस वात के लिए तैयार करे कि वे अनुचित लाभ न लें और शोषण न करे।

2—जो व्यापारी शोषण करे, अन्याय करे उनके सम्बन्ध में ग्रामसभा नियम वनाये तथा यथा संभव कार्यवाही करे। इस सम्वन्ध में ग्रामसभा उन पर नैतिक दबाव डाल सकती है।

3—ग्रामसभा अपनी शक्ति के अनुसार व्यापार अपने हाथ में ले सकती है। ग्रामसभा जिन वस्तुओं का व्यापार एवं आयात–निर्यात करने की स्थिति में हो उनका व्यापार अपने हाथ में ले सकती है।

4—अन्न, भंडार, पूंजी के कोष के माध्यम से इस दिशा में होने वाले शोषण को कम किया जा सकता है। अन्न संग्रह से मजदूर तथा छोटे किसानों को मदद पहुंचाई जा सकती है और रोज-रोज के जीवन में महाजन के हस्तक्षेप एवं प्रवेश से उन्हें मुक्त कराया जा सकता है। इसी प्रकार ग्रामकोष से नकद सहायता भी की जा सकती है। गांव का 'अन्तिम वर्ग' 5–10 रुपये के कर्ज का शिकार रहता है। यदि ग्रामसभा इस छोटी रकम की सुविधा प्रदान कर सके तो इस वर्ग को सहज की राहत मिल सकती है।

5–सहकारी दूकान की व्यवस्था ग्रामसभा कर सकती है। आवश्यकता की चीजें उचित मूल्य पर प्राप्त हों इस दिशा में सहकारी दूकान ग्रामसभा चलाये यह वात जँचने लायक है। हां, इस कार्य में कुछ कठिनाइयां अवश्य हैं। पहली कठिनाई पूंजी की है। यह पूंजी दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। (क) ग्रामकोष से पूंजी मुहैया की जाय। (ख) शेयर के रूप में पूंजी जमा की जाय। दूसरी कठिनाई व्यवस्था सम्वन्धी है, जो कि अन्ततः सामाजिक नैतिकता से जा जुड़ती है। इसके लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश की आवश्यकता है जो व्यवस्था को संभाल सके।

महाजन भी ग्रामसभा का सदस्य है, अतः ग्रामदान में महाजन की भूमिका ग्रामसभा के सदस्य की होगी। परिणामस्वरूप ग्रामदान के वाद व्यक्तिगत व्यापारी का न तो लोप होगा और न ही उनसे विरोधी सम्बन्ध ही कायम होगा। प्रयास यह होना चाहिए कि व्यापार को नैतिक वनाया जाय और उसमें से शोषण तथा अन्याय समाप्त किया जाय। इसी प्रकार ग्रामसभा के व्यापार तथा व्यक्तिगत व्यापार में परस्पर विरोधी संवंध भी नहीं होने चाहिए। ग्रामसभा जो भी कार्य करेगी वह सर्व के कल्याण के होंगे। सहकारी दूकान और व्यक्तिगत व्यापार दोनों साथ-साथ चल सकते हैं। इस कार्य का व्यावहारिक स्वरूप क्या होगा यह तो व्यवहार पर से निखरेगा। अभी तो आवश्यकता है कि ग्रामसभा इस दिशा में अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करे।